खण्ड-409, अंक-10
मंगलवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(8 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–70
पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग	70–76
प्रश्नों का पूर्ण उत्तर न प्राप्त होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ..	76
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77
जनपद देवरिया के विभिन्न मार्गों पर रोडवेज बसों की संख्या कम होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77–78
जनपद जौनपुर के बरसठी क्षेत्र में कठवतिया घाट बसुही नदी पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78
वाराणसी नगर में पार्कों की दयनीय स्थिति में सुधार किये जाने तथा अवैध कब्जों को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78–79
जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण इलाके के ढालथला, तपोवन आदि को हरिद्वार प्राधिकरण क्षेत्र से अलग कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79
अल्मोड़ा जिले की तहसील रानीखेत के ग्राम कुमाल्ट में हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79–80
जनपद वाराणसी के खमरिया टाउन एरिया में घोर बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80
गाजियाबाद सिटीबोर्ड की सीमा के सुभाषनगर नई आबादी धूकनामोड में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80–81
जनपद लखनऊ के ग्राम खरिका निवासी श्री अनिल यादव के अपहरण किये जाने एवं उसकी हत्या किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	81–85
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा बिहार की जनसभा में भाषण के दौरान अपनी हत्या होने की पूर्व आशंका संबंधी बयान दिये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	85–92
नियम 311 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ..	92–95
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों में असमान गन्ना आपूर्ति के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	95–98

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ दुग्ध डेरी में दूध की कीमत में वृद्धि तथा बिक्री कर की चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	99–100
संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सदन में सुने जाने की मांग	100–101
जिला सहरानपुर के ग्रामीणों द्वारा पी०ए०सी० के जवानों की पिटाई तथा हत्या किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	101–103
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	103–104
घाटमपुर, कानपुर देहात के कतिपय ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना चालू करने तथा ग्राम लहुरीमऊ में पेयजल टंकी के निर्माण कराने की मांग विषयक श्री शिव रतन चौरसिया तथा मोहम्मद जकी प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	104
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित किया गया) ..	104–105
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	105–112
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में शासन से जानकारी समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	112–114
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	114–116
वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान (जारी)	116–120
सदन में सदस्यों के बोलने की समय निर्धारित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ..	120–121
वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	121–131
अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	131
अनुदान संख्या 2–आवास विभाग (स्वीकृत) ..	131
अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ..	131
अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	132

अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) .. 133
अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) .. 133
अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) 133
अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, (कृषि) (स्वीकृत) .. 134
अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) (स्वीकृत) .. 134
अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) (स्वीकृत) .. 134
अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) .. 134–135
अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत).. 135
अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) .. 135
अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत).. 135
अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 136
अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) .. 136
अनुदान संख्या 22–खेल विभाग (स्वीकृत) .. 136
अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) .. 137
अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) .. 137
अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) 137
अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) 138
अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) .. 138
अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 138
अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) .. 139
अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) 139
अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) 139
अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) 140
अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) 140
अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत) 140
अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) 140

अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग (स्वीकृत) 141
अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग (स्वीकृत) 141
अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग (स्वीकृत) 141
अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग (स्वीकृत) 142
अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग (स्वीकृत) 142
अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) 142
अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) .. 143
अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) .. 143
अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) .. 143
अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) .. 144
अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) .. 144
अनुदान संख्या 60–वन विभाग (स्वीकृत) .. 144
अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) .. 145
अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) .. 145
अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) .. 145
अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) .. 146
अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षण अल्प बचत) (स्वीकृत) .. 146
अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) .. 146
अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) .. 147
अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत) 147
अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग (स्वीकृत) .. 147
अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) .. 148
अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) .. 148
अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) .. 148
अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) .. 149
अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) .. 149

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत) ..	149
अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) (स्वीकृत) ..	150
अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) ..	150
अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	150
अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ..	151
अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	151
अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	151
अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ..	152
अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) ..	152
अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ..	152
अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	153
अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	153
अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	153
अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत)	154
उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 (पारित) ..	154–167
कार्य-मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	168–171
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	171
नत्थियां	172–174

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1994

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखलाख, श्री	मेरठ	बशीर, श्री	हमीरपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ		मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
ओंकार सिंह, श्री	एटा	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	रमेश पोखरियाल "निशंक" श्री	गढ़वाल
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ	
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ	राजवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	रामकृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र	विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा	शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ	श्रीराम पाल, श्री	जालौन
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया	समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1994

(विधान सभा की बैठक दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आई० पी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण का विवरण

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की स्थानान्तरण नीति क्या है ? वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने से 6 फरवरी, 1994 तक प्रदेश में कितने आई० पी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं ? क्या उक्त स्थानान्तरण उपर्युक्त नीति के अनुसार हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

शासनादेश संख्या–14/1/90–कार्मिक–4-92, दिनांक 20 मई, 1992 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति यथावत लागू है ।

संदर्भित अवधि में कुल 118 अधिकारीगण स्थानान्तरित हुए हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 4 दिसम्बर, 1993 को नई सरकार बनी है, उस 4 दिसम्बर, 93 से 6 फरवरी, 1994, लगभग दो माह में कितने आई० पी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 118 आई० पी० एस० के ट्रांसफर मात्र दो महीने में हुए हैं और जिस स्थानान्तरण नीति के आधार पर ट्रांसफर किया गया है उसमें 20 मई, 1992 का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब इस सरकार ने अभी तक कोई स्थानान्तरण नीति नहीं बनायी है, जो भी स्थानान्तरण हुए हैं उसी पुरानी स्थानान्तरण नीति के अनुसार हुए हैं । तो वह जो पुरानी स्थानान्तरण नीति है वह क्या है और उस स्थानान्तरण नीति के किन बिन्दुओं के आधार पर 118 आई० पी० एस० के स्थानान्तरण हुए हैं, क्या यह वार्षिक स्थानान्तरण हैं, या प्रशासनिक आधार पर किये गये ? यदि प्रशासनिक आधार पर किये गये तो उनके खिलाफ कौन-कौन से आरोप हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, पाल साहब काफी अनुभवी सदस्यों में से हैं, उन्हें मालूम है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो पहले दो-तीन महीनों में स्थानान्तरण अधिक हो जाते हैं और जो स्थानान्तरण की नीति है उसमें प्रशासनिक आधार पर भी स्थानान्तरण किये गये और समयावधि के आधार पर भी । जो भी स्थानान्तरण किये गये वह स्थानान्तरण नीति के निर्देशों के अनुसार किये गये । पाल साहब आपके

कहने का मतलब यह है कि समयावधि का ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसा नहीं है, जो भी स्थानान्तरण किये गये सब नीति के तहत किये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनमें आई० ए० एस० और आई० पी० एस० दोनों में क्रमशः अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह प्रश्न सिर्फ पुलिस विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में था इसलिये इसमें आई० ए० एस० की कोई जानकारी नहीं है, जहां तक अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या का सवाल है तो जातिगत आधार पर संख्या बताना कदाचित मुनासिब नहीं है और यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुनासिब नहीं है यह दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया है। जब इस प्रश्न को रखने की अनुमति आपने दी और इसका उत्तर दिया। इसी उत्तर के संदर्भ में प्रश्न की जानकारी चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या आई० पी० एस० अधिकारियों के ट्रांसफर में कितनी है ? माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि यह बताना मुनासिब नहीं है। इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। मान्यवर, सभी को अधिकार प्राप्त है। आपके द्वारा अनुमति प्राप्त प्रश्न रखने के बाद भी यह कहा कि कितना मुनासिब नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस तरह से व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाये जाते हैं, यह सदन की परम्परा है, स्वच्छ परम्परा है। यह प्रशासनिक मामला है। इसमें जाति-पात नहीं होता है।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से दो बातें जानना चाहता हूं कि उत्तर लिखित दिया गया है, यह स्थानान्तरण नीति 1992 की है, उसी के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जाते हैं, साथ ही साथ दो माह के सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानान्तरण करते समय जो विरोधाभास हो गया है उसे पहले स्पष्ट बता दें। यह स्थानान्तरण नीति के अनुसार हुए या स्वयं के विवेकानुसार हुए। मान्यवर, दूसरी बात सदन में यह भी बता दें कि जो मितव्ययिता पर रोक लगी और प्रदेश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 118 आई० पी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद शासन को कितने रुपये स्थानान्तरण के पश्चात् टी० ए० या अन्य व्यय के लिये खर्च करना पड़ा है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जैसा कहा गया है कि 1992 की स्थानान्तरण नीति है और उसी के अनुसार ही स्थानान्तरण हुए हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

किस बिन्दु के अनुसार ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, स्थानान्तरण नीति के संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिए और इस नीति को बता दीजिये ?

श्री नरेश अग्रवाल–

उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न करना आवश्यक न होगा "यह स्थानान्तरण नीति प्रशासनिक आधार पर संविधान के तहत नीति निर्देशों सिद्धान्तों के अनुसार बाधक नहीं है ।"

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, स्थानान्तरण में कितने रुपये खर्च हुए । 118 स्थानान्तरणों में मितव्ययिता का ध्यान रहा है या नहीं ? दो माह में इन स्थानान्तरणों में कितना वित्तीय व्यय भार वहन करना पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रशासनिक आधार पर किया गया व्यय कितना हुआ उसको बाद में लायें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया संतोष हो गया । कितना व्यय है इसकी जानकारी नहीं हुई ? स्वयं निर्णय कर लिया होगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बताया कि 118 आई० पी० एस० अधिकारियों के ट्रांसफर सत्ता परिवर्तन के बाद हुए । इन ट्रांसफरों में ऐसा भी हो गया है कि कनिष्ठ अधिकारी उच्च पद पर यहां तक सचिव आदि तक पहुंच गया और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह कनिष्ठ कर दिया गया । मान्यवर, इस तरह के ट्रांसफरों में ऐसा क्यों हुआ, इस पर स्पष्ट कर दिया जाय ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, पुलिस विभाग के स्थानान्तरण के संबंध में जो प्रश्न है उसमें संख्या इस प्रकार है, अपर पुलिस महानिदेशक के दो पद, पुलिस महानिरीक्षक के नौ पद, उप पुलिस महानिरीक्षक के पन्द्रह पद, पुलिस अधीक्षक के चौरासी पद और सहायक पुलिस अधीक्षक के आठ पद ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सूची दी है, उसमें उन्होंने सहायक आई० पी० एस० व आई० पी० एस० की जानकारी दी है । श्री रामबहादुर यादव, सीतापुर पी० ए० सी० में कमान्डेंट थे, उन्हें तत्काल यहां मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया । श्री जगमोहन यादव, एस० पी०

सीतापुर थे, उनका स्थानान्तरण देहरादून कर दिया गया । ठीक 10 दिन बाद श्री राम बहादुर यादव का स्थानान्तरण कानपुर देहात में कर दिया गया और श्री जगमोहन यादव का स्थानान्तरण देहरादून से सहारनपुर हो गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों का स्थानान्तरण किस नीति का परिणाम है ? इतनी जल्दी कोई प्रशासनिक आधार तो बनता नहीं है । क्या इन दोनों अधिकारियों का इतनी जल्दी स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर हुआ है, यदि हां, तो कारण क्या था ? क्या यह भी सही है कि सरकार ने पी० सी० एस० अधिकारियों व आई० ए० एस० अधिकारियों को एक परिपत्र देकर पूछा था कि उनकी जाति क्या है, उनकी रुचि क्या है और उनका ग्रामीण व शहरी बैकग्राउन्ड क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण करने में समयावधि की सीमा शासन के लिये बाध्यकारी नहीं होती है । माननीय श्री गुप्ता जी को काफी जानकारी है और वह सरकार में रह भी चुके हैं । मैं एक बात बता दूं कि हमने जो स्थानान्तरण किये हैं, वह आपसे बहुत कम किये हैं । हमने तो 118 स्थानान्तरण किये हैं परन्तु तीन महीने में इन्हीं लोगों के 166 स्थानान्तरण किये थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–.

मान्यवर, यह कोई उत्तर नहीं हुआ कि हमने कितने किये थे । हमने 566 किये हों, शासन को इससे क्या मतलब ? मैंने तो अपने प्रश्न में दो लोगों के नाम लिये ।

श्री अध्यक्ष–

श्री पाल जी आप अपना अन्तिम प्रश्न पूछें । माननीय श्री गुप्ता जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दिलवा दूंगा । आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं । हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न व्यक्तियों के खिलाफ नहीं लगाते अपितु सरकार की नीतियों के संबंध में इसके अन्दर प्रश्न उठाते हैं । इस बात से आप भी आश्वस्त होंगे कि जब सरकार की नीति के सवाल पर अल्पसूचित प्रश्न उठता है तो उसका समुचित रूप से उत्तर भी आना चाहिए । इस प्रश्न पर जितने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं, माननीय मंत्री जी ने केवल एक ही शब्द कहा है कि प्रशासनिक आधार पर ये स्थानान्तरण किये गये हैं । मान्यवर, प्रश्नकाल में हम लोग कम से कम आप से संरक्षण चाहेंगे । 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं । माननीय श्री गुप्ता जी ने व श्री नरेश अग्रवाल जी ने पूछे हैं । स्थानान्तरण चाहे प्रशासनिक आधार पर हुए हों, चाहे वार्षिक हुए हों या राजनैतिक हुए हों, सभी स्थानान्तरित अधिकारियों को टी० ए० व डी० ए० अनुमन्य होता है । इसी संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि जो 118 अधिकारी स्थानान्तरित हुए हैं, उनके ऊपर टी० ए० व डी० ए० के रूप में शासन पर कितना वित्तीय व्यय भार पड़ा ? दूसरा, उत्तर प्रदेश में 63 जनपद हैं । इन 118 अधिकारियों के स्थानान्तरण से कितने जनपद

प्रभावित हुए ? कितने एस० पी० व एस० एस० पी० इन जनपदों से स्थानान्तरित किये गये और उन जनपदों का नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप गुप्ता जी और पाल साहब दोनों के प्रश्नों को मिला कर उत्तर दे दीजिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, हमारा भी इसमें जोड़ दीजिये चूंकि इसी से संबंधित प्रश्न है आपने जो बीजेपी के समय की संख्या बतायी उसमें किस जाति के कितने थे क्या हरिजन और पिछड़ी जाति के कम थे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपने पूछा कि कितने जिले प्रभावित हुए तो इन स्थानान्तरण से करीब 30 जिले प्रभावित हुए । इस संबंध में गुप्ता जी ने जो कहा उसका उत्तर दे दिया यादव जाति से उनको चिढ़ है तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं । जो स्थानान्तरण नीति है उसमें जो अधिकार है उसका उपयोग किया गया है। इनके वक्त की लिस्ट है उसमें ज्यादा स्थानान्तरण किये गये हैं ।

लम्बित दीवानी मुकदमों की संख्या के अनुसार न्यायालयों के बढ़ाये जाने की मांग

**2–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दीवानी मुकदमें काफी संख्या में लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार न्यायालयों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां, विचार कर रही है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, आप अवगत हैं कि दीवानी मुकदमें में वादकारी गांव का निवासी होता है और लम्बे समय तक मुकदमें चला करते हैं और इस अवधि में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उनका शोषण होता है । मैं शासन को धन्यवाद दूंगा कि जो शासन ने न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की बात कही है । मैं जानना चाहता हूं कि समान्यतया एक मुकदमे के लिये न्याय विभाग कोई मानक होगा कि कितनी अवधि में उसे समाप्त हो जाना चाहिए । तो उस अवधि में जो समाप्त नहीं हो पाये कि अगर तादात है तो उसकी संख्या क्या है ? दूसरा जो सरकार न्यायालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है उसके लिये क्या सरकार ने कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है ? तो जो भी एजेंसी इस पर विचार कर रही है उसके लिये विचारणीय बिन्दु क्या निर्धारित किये गये हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह कहावत है कि दीवानी दीवाना बना देती है । ऐसे भी उदाहरण हैं कि किसी के वक्त के मुकदमे उसके ग्रैंड सन तक मुकदमें चलते रहे । हमारे प्रदेश में इस समय करीब 5,72,492 मुकदमें

लम्बित हैं और 1,554 कोर्ट हैं । तो 55 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है वित्त विभाग उसका परीक्षण कर रहा है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा जी हां, विचार कर रहे हैं और जो संख्या बतायी वह करीब 5 लाख 72 हजार कुछ बतायी तो क्या यह निचली और उच्च दोनों अदालतों में लम्बित मामले हैं और क्या गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

चूंकि न्यायालयों की संख्या है पहले 55 नये न्यायालय सृजित करने का जो विचार है वह हो जायं तो मुकदमे जल्दी निस्तारित होने लगेंगे । उससे सबको लाभ मिलेगा गरीब और अमीर दोनों को लाभ मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं मैंने दीक्षित जी को बुला लिया है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैंने जो पहले प्रश्न किया था वह साफ नहीं हुआ है, बाकी चीजें आ गयी हैं, कि विचार करते हुए कहां-कहां न्यायालय खोले जायेंगे इस संबंध में कोई बिन्दु यदि सरकार ने निर्धारित किये हों तो वह बता दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सूचना तो नहीं है कि कहां-कहां खोले जायेंगे ? लेकिन 55 न्यायालय खोलने का विचार चल रहा है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्न में दीवानी न्यायालय लिखा है । इसलिये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में बहुत मुकदमें लम्बित हैं और बहुत दिनों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिये प्रदेश में मांग चल रही है 20 सालों से तो इसमें भी जो दीवानी मुकदमें पड़े हैं और न्यायालय कम हैं, हाईकोर्ट में मुकदमें बहुत लम्बित पड़े हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग बेंच स्थापना पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । सारा सदन जानता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का प्रश्न है तो इसमें अलग से प्रश्न कर लें तो सारी सूचना दे दी जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । प्रश्न संख्या–2. श्री मित्रसेन यादव ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

(व्यवधान के मध्य) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की बहुत बड़ी मांग है (व्यवधान) मंत्री जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्रथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

[दि० 23-2-94 को अल्प० ता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

अनुसूचित जाति के उत्पीड़न तथा आतंक के रोकथाम के लिये सरकार की नयी नीति की जानकारी

*2–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर व्याप्त अनुसूचित जाति के उत्पीड़न व आतंक को समाप्त करने की कौन-कौन सी सुरक्षात्मक कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की स्थिति प्रदेश में विद्यमान नहीं है । उनके उत्पीड़न व आतंक को समाप्त करने के लिये शासन द्वारा यह कदम उठाये गये हैं :—

(1) शासन ने यह निदेश दिया है कि अत्याचार संबंधी घटनाओं का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा 24 घंटे के अन्दर करके उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई जाय तथा विवेचना 14 दिन के अन्दर समाप्त की जाय ।

(2) ऐसे अपराधों की रोकथाम में सक्रिय सहयोग हेतु जनपद स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है ।

(3) प्रदेश मुख्यालय पर विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है तथा जनपद स्तर पर जनपदीय प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं ।

(4) उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु उनकी शिकायतों की तत्काल सुनवाई एवं इन पर कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा निदेश दिये गये हैं और कर्तव्य पालन में चूक करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके रोकने हेतु मंत्री जी ने कई उपाय बताये हैं । लेकिन जो उपाय किये जा रहे हैं उससे मर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिये आप ऐसे उपाय करें कि मर्ज रुके लेकिन जो उपाय किये हैं उससे उत्पीड़न कम नहीं हुआ है ।

मैं जानना चाहता हूं जैसा उत्तर के बिन्दु 2 और 3 पर जो कहा है कि प्रदेश मुख्यालय पर विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है तथा जनपद स्तर पर जनपदीय प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह अनुश्रवण समितियां कब कायम की गयीं और उसमें कौन लोग सदस्य एवं अध्यक्ष हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जनपदीय स्तर पर जांच प्रकोष्ठ का जो गठन किया गया है उसमें पुलिस के लोग भी होते हैं जैसे सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होते हैं । अनुश्रवण समितियों में भी सदस्य अधिकारी स्तर के हैं ।

श्री मित्रसेन यादव–

मंत्री क्या बतायेंगे कि इसमें कोई जन प्रतिनिधि होता है या नहीं ? और इसका अध्यक्ष कौन होता है ? क्योंकि जनपद में में यदि कोई समिति आदि ऐसी बनती है और वह जनता से संबंधित है, तो उसमें जन प्रतिनिधि का होना आवश्यक है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस उत्पीड़न को रोकने के लिये क्या आप इस पर विचार करेंगे, जो सभी गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी ज्यादा रहती है, लेकिन बहुत से गांवों में ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियमों को शिथिल करके हर गांव में कम से कम दो लोगों को पात्रता के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाए, क्या आप ऐसा करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह आर्म्स ऐक्ट भारत सरकार का है, उसमें कोई संशोधन करने का अधिकार हमको नहीं है, फिर भी जो पात्र होते हैं, वे चाहे जिस वर्ग या जाति के हों, उनको आर्म्स दिये जाते हैं । अब जो आवेदन करते हैं, उनको लाइसेंस स्वीकार किये जाते हैं । जाति के आधार पर कोई अलग से प्राविधान हम नहीं कर सकते हैं ।

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ के छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में शासनादेश के पालन की मांग

*3–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० संख्या–3/3/3/91-का० 2/93, द्वारा आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ के छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा हेतु अनुमन्यता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को समयबद्ध निश्चित विभागों में समायोजित करने हेतु सरकार कोई

योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक कुछ कर्मचारी समायोजित हुए हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां ?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहममद आजम खां)–

जी हां । उन्हीं कर्मचारीगण/अधिकारीगण को सरकारी सेवा में अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान की गयी है, जो आटो टैक्टर्स लि० में 1 अक्टूबर, 1986 के पूर्व रखे गये हैं । छटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलित करने हेतु कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "सरप्लस पूल" गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है । तथा "सरप्लस पूल" को मूर्त रूप दिये जाने की दिशा मे कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार एक अधिकारी को यू० पी० टायर्स एण्ड ट्यूब्स लि० रायबरेली में तथा 2 कर्मचारियों को यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, लखनऊ में समायोजित किया गया है ।

श्री तेजभान सिह–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि क्या इनके लिये कोई समयबद्ध योजना है, क्योंकि तीन साल हो गय ह और इस अवधि में तीन का ही समायोजन अभी हुआ है, तो क्या कोई समयबद्ध कार्य योजना बनाकर आप बतायेंगे, जिसमें अनिवार्य रूप से उनको समायोजित करने की बात हो ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 11 नवम्बर, 93 को यह तय हुआ है कि समायोजन किया जाएगा और 11 नवम्बर, 93 के बाद से इस पर कार्यवाही की जा रही है । आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये तकरीबन 1200 लोग हैं, जिनका समायोजन किया जाना है । इसमें एक लम्बा प्रासेस है, सब यूनिट्स में देखना पड़ेगा कि जो लोग रखे जाने हैं वे कहां एडजस्ट हो सकते हैं, कहां-कहां हो सकते हैं ? फिर भी इसमें जितनी भी जल्दी सम्भव होगा किया जायेगा, कार्यवाही तेजी से की जा रही है ।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है, अगर इस पर कोई स्पष्ट आश्वासन आ जाए कि कितनी अवधि में इनका समायोजन हो जाएगा और जहां कहीं रिक्तियां होनी हैं, उनमें उनको रखने का निर्णय हो जाए तो बहुत अच्छा हो, तो जहां रिक्तियां होनी हैं, वहां उनकी नौकरियों को क्या प्राथमिकता के आधार पर मंत्री जी समायोजित करेंगे, उन्हें समायोजित करने की उनमें कृपा की जाएगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

समायोजन तो प्राथमिकता के आधार पर ही होता है । जैसे-जैसे रिक्तियां होती जाएंगी, उनको ले लिया जाएगा ।

श्री तेजभान सिह–

मान्यवर, आपने यह कहा है कि 1200 कर्मचारी हैं । इन कर्मचारियों को समायोजन किया जाना छोटी बात नहीं है, यह सत्य है लेकिन आज उनकी पारिवारिक स्थिति का आंकलन क्या सरकार ने किया है ? आज उनकी दशा क्या है ? उनकी उस दयनीय हालत को देखते हुए मैंने बार-बार कहा है

कि कोई समयबद्ध योजना बनायी जाय जिसके तहत उन्हें समायोजित किया जाय। आप कह रहे हैं कि सरप्लस पूल बना दिया जायेगा और उन्हें समायोजित किया जायेगा। लेकिन जब तक विभागाध्यक्षों को दबाव नहीं डाला जायेगा तब तक वह मनमाने ढंग से समायोजित कर रहे हैं। क्यों न एक समयबद्ध योजना बनाकर विभागाध्यक्षों को कहा जाय कि इतने-इतने लोगों का समायोजन अपने-अपने विभागों में करें ? यही मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जिन लोगों का समायोजन होना है उनके विषय में यह बताना भी जरूरी है कि यह सारे लोग जो नौकरी से हटाये गये हैं, यह कम किये गये हैं, इनको सारा पैसा नौकरी से हटाये जाने के समय सारी शर्तों को पूरा करते हुए पैसा दे दिया जाता है। लेकिन इनके समय में एक मांग की गयी थी कि इन सारे लोगों का समायोजन भी किया जाय। उस मांग का आदर करते हुए शासन ने निर्णय लिया है और जैसा कि मैंने बताया 93 के ग्यारहवें महीने में यह फैसला हुआ है। तीन लोग रखे भी जा चुके हैं और जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा और लोग भी रखे जाते रहेंगे।

(प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थानान्तरित है और अगला प्रश्न भी स्थानान्तरित है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अगला प्रश्न लेता हूं।

[मंगलवार दि० 8 मार्च, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री ऊदल–

[दि० 1-3-94 को अता० प्र० सं० 1 व 5 द्वारा उत्तरित]

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[तीसरे गुरु में ता० प्र० सं०–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3–श्री सत्य प्रकाश–

[तीसरे गुरु में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० सचिवालय में श्री छोटे लाल आदि के प्रवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की मांग

*4–श्री गनपत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में श्री छोटे लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गयी रिट याचिका संख्या 6193(एस०/बी) आफ 1992 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 सितम्बर, 1992 को यह निर्देश जारी किये थे कि याचिकाकर्ता वरिष्ठताक्रम में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति के पात्र हैं ? उन्हें प्रवर वर्ग सहायक

के पद पर प्रोन्नति प्रदान कर दी जाय ? यदि हां, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन उत्तर प्रदेश सचिवालय में अभी तक क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार याचिकाकर्ताओं को उस तिथि से प्रोन्नति प्रदान करके उनकी वरिष्ठता, वेतन निर्धारण एवं अवशेष वेतन का भुगतान करेगी, जिस तिथि से याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्ति प्रवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्देशों का अनुपालन शासन द्वारा किया जा चुका है ।

याचिकाकर्ताओं को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति दी गयी है, अतः प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है । इस प्रकार की प्रोन्नतियों में कनिष्ठ के सापेक्ष वेतन निर्धारण एवं अवशेष वेतन भुगतान किये जाने की कोई व्यवस्था वित्तीय नियमों में नहीं है ।

(माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्तर पढ़ा)

(कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया)

ग्राम वसूली, विकास खण्ड निचलौल, जिला महराजगंज की सिंचाई कालोनी में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की मांग

*5–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने विकास खण्ड निचलौल, महराजगंज की वसूली सिंचाई कालोनी में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की घोषणा कब तक की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

शासनादेश संख्या–1385/आठ–10–86–1200(65)/86, दिनांक 31-3-86 द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर की ग्राम वसूली (सिसवा बाजार) गोरखपुर में स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी, जिसे गोरे कमेटी की संस्तुति के अनुकूल न होने तथा भूमि ऊंची-नीची व कम भार वहन क्षमता की होने के कारण शासनादेश संख्या–3561/6-पु०–10–90–1200(65)/86, दिनांक 13-12-90 द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर को ग्राम वसूली (सिसवा बाजार) में स्थापित न करके गोरखपुर नगर के निकट स्थापित किये जाने का आदेश दिया गया ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस सर्वे के आधार पर ग्राम वसूली में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करने के आदेश दिये गये थे ? दूसरी बात गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थाई है या अस्थायी ? तीसरी बात महराजगंज में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय खोलने के लिये क्या जमीन की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1986 में जैसा कि मैंने अभी बताया पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का शासन की तरफ से निर्णय हुआ उसमें गोरे कमेटी की संस्तुति थी कि यह पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र शहरों के निकट होना चाहिए। चूंकि वहां ऊंची-नीची जमीन थी तो इसे गोरखपुर के निकट खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री अखिलेश–

क्या माननीय मंत्री जी उस निर्णय पर पुनर्विचार करने पर विचार करेंगे ? यह रिपोर्ट गलत है महराजगंज की जमीन सही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह निर्णय काफी पुराना है इसमें कार्यवाही चल रही है इसमें अब पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। गोरे कमेटी के अनुसार ही विचार करके प्राविधान किया गया है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

जो जमीन ली गयी है उसकी क्षमता गलत बतायी जा रही है। वहां बुलडोजर है वहां की क्षमता अच्छी है क्या वहां पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय खोलने पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गोरे कमेटी की संस्तुति के अनुसार नगर के निकट इसको खोलना उपयुक्त होगा। यह काफी पुराना निर्णय हो गया है गोरखपुर नगर के निकट भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है इसलिये यह सम्भव नहीं है कि इसमें पुनर्विचार किया जाए।

किसान पी० जी० कालेज, बस्ती द्वारा खरीदी गयी कार का मामला

*6–श्री रमेश बहादुर सिंह, श्री मित्रसेन यादव, श्री नन्द किशोर मिश्र, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री धनराज यादव, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री रवीन्द्र पुण्डीर एवं श्री किशन लाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि किसान पी० जी० कालेज, बस्ती द्वारा खरीदी गयी कार के संबंध में श्री गोपाल दास यादव तथा श्री मैनेजर सिंह द्वारा उ० प्र० विधान सभा में दिनांक 20 जून, 1987 को पूछे गये तारांकित प्रश्न–1 नियम 29(4) के अन्तर्गत् शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि कार की खरीद में हुई अंनियमितता के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक जो पी० सी० एस० कैडर के अधिकारी हैं, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु नियुक्ति विभाग को लिखा गया है ? यदि हां, तो प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध नियुक्ति विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी हां।

तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी को निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी है ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक को निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी है । इसका उसके प्रमोशन पर असर पड़ेगा इससे सजा तो मिली नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें आर्थिक गबन का मामला सीधे बनता है । तो क्या उसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराकर मुकदमा करने की कार्यवाही की जा रही है ? जो कार्यवाही की गयी है उससे तो सिर्फ उसके प्रमोशन पर ही असर पड़ेगा ? लेकिन उन्होंने, जो एक कालेज के नियंत्रक होने पर वित्तीय अनियमितता की, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है कि नहीं ? उन्होंने कितने धन का अपराध किया है एवं कितने धन की अनियमितता की है ? इसको आप प्रकाश में लायेंगे कि नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

इस मामले में किसी प्रकार के धन के गबन का प्रश्न नहीं है । बल्कि प्रश्न यह है कि जिस विद्यालय में वह नियंत्रक थे उस विद्यालय में वित्तीय समिति ने एक रिपोर्ट दी कार खरीदने के संबंध में । यह वहां के एस० डी० एम० थे । उस तहसील के जहां यह विद्यालय स्थापित है । नियंत्रक की हैसियत से इन्होंने आदेश दे दिया कि कार क्रय कर ली जाए । श्रीमन्, यह मामला प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेजा गया और यह कहा गया कि इस विद्यालय में कार की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने जब कार खरीदी या कार खरीदने के लिये आदेश दिया तो उनको सोचना चाहिए था कि विद्यालय में कार की आवश्यकता है कि नहीं । यह बिना आवश्यकता के पब्लिक यूटीलाइजेशन फण्ड का मामला है इसलिये 7 फरवरी, 1992 को उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी है । प्रविष्टि एक महत्वपूर्ण काम होता है । प्रविष्टि हो जाने पर प्रोन्नति के समय इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार होता है ।

लखनऊ नगर के न्यू हैदराबाद के मकान संख्या 509/151, राम बिहारी लाल रोड को अपराधिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठगांठ से हड़पने की संबंध में विधायक श्री जगदीश मुनि का पत्र

*7–श्री अजय कुमार पोइया एवं श्री माम चन्द्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना महानगर के अन्तर्गत न्यू हैदराबाद स्थित मकान संख्या 509/151, राम बिहारी लाल रोड पर दिनांक 25 नवम्बर, 1993 को पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर मकान पर कब्जा किये जाने एवं तोड़फोड़ व अत्याचार विषयक श्री जगदीश मुनि, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 15-12-93 त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 15-12-93 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उन दोषी पुलिस अधिकारियों एवं दोषी आपराधिक तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में थाना महानगर पर पंजीकृत अपराध संख्या–532/93, धारा 147/148/149/323/506/452/307 भा० दं० वि० की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । जांच के परिणाम ज्ञात होने पर यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, सदन में मंत्री जी ने भ्रमित करने के लिये यह सूचना दी है । मेरे पास इसकी रसीद मौजूद है 15-12-1993 को मैंने पत्र प्राप्त कर लिया है । श्रीमन्, इसकी रसीद मैं आपको पेश करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप इस प्रश्न से संबंधित रसीद पेश कर देंगे अब यह प्रश्न समाप्त हो गया ।

*8–श्री बची सिंह रावत–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के चुनाव हेतु आदेश जारी करने की मांग

*9–श्री राम स्वरूप (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का चुनाव कराने हेतु आदेश दिनांक 27-10-93 को पारित किये गये थे ? यदि हां, तो निर्धारित तिथि पर चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी जनवरी, 1994 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का चुनाव कराने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

संघ के कतिपय सदस्यों के अनुरोध पर चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी जिसे दिनांक 25-11-93 को निरस्त कर दिया गया ।

चुनाव कराने का दायित्व संघ का है ।

नियमानुसार संघ का चुनाव कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं संघ का है । अतः शासन द्वारा चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण पत्रकारों एवं संवाददाताओं को सरकारी सुविधा दिये जाने की मांग

*10–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं/पत्रकारों को शासन द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावी करने की दिशा में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के पत्रकारों को मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है ? निर्णयोपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना विभाग को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं उनका विवरण संलग्न है ।

(विवरण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे 172 पृष्ठ पर)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण पत्रकारों को शहरी पत्रकारों की सुविधा देने के लिये सरकार विचार कर रही है । और इसके लिये क्या कोई समिति गठित की गयी है और वह समिति किन सुविधाओं पर विचार कर रही है और विचारोपरान्त कब तक कर देगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

ग्रामीण पत्रकारों का शहरी पत्रकारों की सुविधा देने के लिये एक कमेटी का गठन हुआ है और कमेटी के गठन के साथ साथ उसमें खासतौर से 4 बिन्दुओं पर मार्गदर्शन लिया गया है । उसमें एक बिन्दु यह है कि पत्रकारों को उनकी जानमाल की सुरक्षा के मामले में । दूसरा बिन्दु यह है कि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को आवास सुविधा देने के संबंध में । इसके अलावा अन्य जो सुविधायें हैं उन सुविधाओं को ग्रामीण पत्रकारों को देने के लिये समिति के समक्ष मामला रखा गया है । समिति की बैठक हो चुकी है और समिति की अगली बैठक अप्रैल में होने जा रही है । जैसे ही हमारी यह सरकार आयी तो उसने ग्रामीण पत्रकारों और अन्य पत्रकारों को सम्मान देने की नीयत से, सुरक्षा देने की नीयत से कार्य किये हैं। अभी 24 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से एक शासनादेश निर्गत हुआ है जो प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है जिसमें इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि समाचार पत्रों का लोकतंत्र में बड़ा महत्व है, वे जनता की बातें, जनता की समस्यायें और शासन की उपलब्धियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लिख सकें, इसलिये हर हालत में उनका सम्मान किया जाय और उनको सुरक्षा दी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके दो हिस्से हैं, एक तो सुविधायें देने और दूसरे मान्यता देने, मैं जानना चाहता हूं कि मान्यता देने के लिये क्या मानक बनाये गये हैं और जो उस संबंध में एक समिति बनायी गयी है उसमें कौन-कौन से सदस्य हैं ? सूचना विभाग के स्ट्रेंथन करने के लिये बिन्दु संलग्नक में दिये गये हैं उसमें यह भी कहा गया है कि एक पत्रिका "इनहोम" निकाली जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस पत्रिका की विषय सामग्री क्या होगी और उसकी भाषा तथा लिपि क्या होगी, हिन्दी में निकाली जायगी या अंग्रेजी में निकाली जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो "इनहोम" की बात की तो निदेशालय द्वारा एक पत्रिका निकाली जायगी । माननीय गुप्ता जी जानते हैं कि सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में होता है, इस तरह की शंका करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने 2 सवाल पूछे हैं, उत्तर नहीं आते हैं तो जिज्ञासा होती है । मैंने जानना चाहा है कि मान्यता देने के लिये जो समिति बनी है, उसमें कौन-कौन से लोग हैं ? जो पत्रिका निकाली जायगी वह अंग्रेजी भाषा में होगी या हिन्दी भाषा में होगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह शंका में ही रहते हैं, शंका में ही काम करते हैं । हिन्दी में काम होगा, पत्रिका हिन्दी में छपेगी और जो सामग्री इसके लिये आमंत्रित की जायगी उसमें भी यह निवेदन किया जायगा कि सामग्री हिन्दी में दी जाय और इसका प्रकाशन हिन्दी में होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी पत्रकारों को सुविधा देने के बारे में यहां पर उत्तर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में ग्रामीण और शहरी पत्रकारों को शासन द्वारा ऐसी कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, वर्तमान में समाचार पत्रों की महत्ता को देखते हुए तमाम सुविधायें दी गयी हैं जिनके बारे में हम वर्मा जी को बताना चाहते हैं । मान्यवर, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, पत्रकारों की सुरक्षा, आवास सुविधा, आर्थिक सहायता, पत्रकार भ्रमण, पूर्णकालिक पत्रकारों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना, ये तमाम सुविधायें हैं । श्रीमन्, इसका पूरा डिटेल है, अगर आपकी अनुमति हो, तो पूरा पढ़ दें ।

श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पत्रकार बंधुओं की सुविधा के लिये तो आदेश दे दिये गये हैं, लेकिन पत्रकारों को पुलिस के द्वारा, पुलिस के अफसरों के द्वारा सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, उसके संबंध में कौन से निर्देश दिये गये हैं । श्रीमन्, आज से दो साल पहले वाराणसी के दैनिक जागरण के पत्रकार को मारा भी गया था और बेइज्जत भी किया गया था । श्रीमन्, जितने पुलिस के अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के हों, पत्रकारों के साथ संयम भाषा का प्रयोग करे और अच्छा बर्ताव करें, इस प्रकार का आदेश माननीय मंत्री जी जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी ने पत्रकारों पर दो साल पहले हमला की बात और अपमान की बात कही है और श्रीमन्, ऐसे भी अवसर इस प्रदेश में आये, जबकि हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को, संवाददाताओं को, फोटोग्राफरों को अपमानित किया गया था और वह दिन उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिए और लोकतंत्र के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारे पत्रकारों को अपमानित किया गया और बेइज्जत किया गया । श्रीमन्, बनारस के पत्रकार के बारे में माननीय ऊदल जी ने चिन्ता व्यक्त की, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊदल जी को इस आदरणीय विशाल सदन में आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का पत्रकारों का उत्पीड़न होगा, तो शासन उसको बहुत गम्भीरता पूर्वक लेगा और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सुविधाओं की बात कही है, मान्यवर, उससे आप भी अवगत होंगे और वह भी अवगत होंगे, जिला स्तर और राज्य स्तर के जो संवाददाता हैं, उन्हीं को यह निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, पत्रकारों की सुरक्षा, आवास सुविधा आदि उपलब्ध है और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के संबंध में वर्तमान शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं पीलीभीत की बात कहना चाहता हूं । वहां पर अवस्थी नाम के पत्रकार हैं.....

(व्यवधान)

उनको अरेस्ट किया गया और जेल में बन्द किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर दिलवा दूंगा । माननीय मंत्री जी आप पहले पाल जी का और वीरेन्द्र मोहन जी के और मल्ल जी के प्रश्नों का उत्तर दे दें ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कदम उन्होंने उठाया है, क्या वह पूरा हो गया या नहीं । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि निवर्तमान मुख्य मंत्री जी श्री कल्याण सिंह ने देवरिया जिले को एक नई डीजल जीप भेजी थी और वर्तमान सरकार ने उसको बस्ती भेज दिया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसको फिर बस्ती से देवरिया भेजने की कृपा करेंगे और कब तक भेज देंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, दो सवाल आये हैं। एक तो पाल जी का है। अच्छा होता कि वह बगल में ही पूछ लेते, कान में पूछ लिये होते, लेकिन कान में नहीं, वह खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। श्रीमन्, ग्रामीण पत्रकारों की सुविधा के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण पत्रकारों को सुविधा देने के संबंध में मान्यता समिति बनी है और मामला उसके समक्ष रखा जायेगा और जब उसकी सिफारिश आ जायेगी तो उसके आधार पर ग्रामीण पत्रकारों को सुविधायें दी जायेंगी और ग्रामीण पत्रकारों को सुविधायें देने की नियत से 15 जनवरी को जैसे ही हमारी सरकार बनी, जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि स्थायी समितियों में ग्रामीण पत्रकारों को भी आमंत्रित किया जाय, तो इस प्रकार से जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी, उस पर कार्यवाही की जायेगी। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में मान्यता समिति की बैठक होने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने जीप के बारे में पूछा था.....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने बी० एम० सिंह के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है। आपने कहा था कि माननीय मंत्री जी सारे प्रश्नों के उत्तर साथ ही साथ देंगे, लेकिन उत्तर नहीं दिया है।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा सहित जनता दल के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(तारांकित प्रश्न संख्या–11 पुकारे जाने तथा माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने के मध्य श्री अशोक कुमार चन्देल, श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री तेजभान सिंह सहित अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

इस तरह से नहीं चलने दिया जायेगा। जब तक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा तब तक नहीं चलने दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह–

पहले आप प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप खड़े रहिये ।

श्री तेजपाल सिंह–

आपने आदेश दिया कि मंत्री महोदय जवाब दें, उसके बाद भी जवाब क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को आधा घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 35 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगमों के बारे में कतिपय विवरण

*11–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में कितने निगम कार्यरत हैं ? उनका नाम तथा उनके कार्य क्या हैं ? क्या जिन उद्देश्यों हेतु निगम बने थे, उनके अनुसार मानक स्तर तक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो निगम की प्रतिवर्ष आय कितनी है तथा व्यय कितना है एवं शासन से कितना धन प्रतिवर्ष गत पांच वर्षों में मिला ? क्या निगमों ने प्रतिवर्ष नियमानुसार अपने लेखे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को जांच हेतु भेजे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित निगमों के नाम तथा उनके संबंध में प्रश्न में वांछित सूचनायें निम्नवत् हैं :–

(1) <u>उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लि०, अलीगढ़</u>

उद्देश्य पशु उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन चारा एवं बीज का उत्पादन, पशुधन एवं कुक्कुट आदि से संबंधित विकास कार्यों में अनुसंधान करना, पशुधन का विकास उन्नत नस्ल के पशुधन का फार्म स्थापित करना । निगम द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति आंशिक रूप से की जा रही है ।

नोट :–प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत अवशेष प्रश्न उत्तरित माने गये ।

निगम का गत पांच वर्षों का आय-व्यय निम्नवत रहा :--

(लाख रु० में)

वर्ष	आय	व्यय
1988-89	469.468	504.902
1989-90	617.522	606.993
1990-91	700.015	713.960
1991-92	671.494	673.058
1992-93	575.928	594.153

शासन से प्राप्त धनराशि का विवरण :--

वर्ष	उ० प्र० शासन से प्राप्त धनराशि (लाख रु० में)	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि (लाख रु० में)
1988-89	106.798	--
1989-90	--	20.00
1990-91	29.000	72.00
1991-92	67.187	20.742
1992-93	6.675	--

निगम के वर्ष 1987-88 तक के वार्षिक लेखों का वैधानिक सम्परीक्षकों एवं महालेखाकार, उ० प्र० द्वारा सम्परीक्षण किया जा चुका है, एवं आयकर अधिनियम की धारा 44 ए० बी० के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 तक के वार्षिक लेखों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से टैक्स आडिट भी कराया जा चुका है । वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे भारत सरकार द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्परीक्षकों से सम्परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त महालेखाकार द्वारा अनुपूरक सम्परीक्षण रिपोर्ट दी जायेगी ।

(2) यू० पी० पोल्ट्री एवं लाइव स्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड

उद्देश्य :– समग्र पशुधन उद्योग, पशु उत्पादों, पशु आहार एवं संयंत्रों से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन पशुपालन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को पूंजी क्रेडिट, संसाधन, तकनीकी, प्रबन्धकीय परामर्श उपलब्ध कराना, एकीकृत कुक्कुट प्रक्षेत्रों एवं हैचरीच की स्थापना एवं रखरखाव कराना/ निगम द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है ।

निगम के गत पांच वर्ष का आय व्यय का विवरण निम्नवत है :–

(लाख रु० में)

वर्ष	आय	व्यय
1988-89	23.96	25.20
1989-90	60.02	58.64
1990-91	50.27	42.43
1991-92	42.96	42.08
1992-93	48.51	39.84

शासन से प्राप्त अंश पूंजी :–

(रु० लाख में)

1988-89	—
1989-90	49.50
1990-91	10.00
1991-92	24.00
1992-93	10.00

निगम के लेखों का रेगुलर आडिट 31.3.93 तक महालेखाकर, उ० प्र० द्वारा किया जा चुका है।

(3) <u>उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ</u>

उद्देश्य :–उ० प्र० मत्स्य विकास निगम का मुख्य कार्य आधुनिक मत्स्य बीज उत्पादन, हैचरियों को स्थापित करना, एवं प्रदेश में मत्स्य पालकों को तालाब में पालने हेतु उत्तम प्रकृति की तीव्र गति से बढ़ने वाली मछलियों का बीज उत्पादन करना है। उ० प्र० मत्स्य विकास निगम की हैचरियों से होने वाले मत्स्य बीज उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। और अधिक से अधिक बीज उत्पादित किया जा रहा है।

निगम के गत पांच वर्षों का आय-व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	आय	व्यय
1988-89	121.29	108.56
1989-90	139.19	121.57
1990-91	183.13	164.72
1991-92	199.21	195.07
1992-93	232.43	209.36

शासन से कार्यचालन हेतु निगम को पांच वर्षों में कोई धन नहीं दिया गया, केवल निर्माण हेतु धन दिया गया था जिसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जा रहा है।

निगम के लेखों का सम्परीक्षण नियमित रूप से महालेखाकार द्वारा किया जा रहा है। सितम्बर, 1993 तक सम्परीक्षण पूर्ण किया जा चुका है।

अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस की नवीनीकरण की वर्तमान नीति तथा सीमा बढ़ाये जाने की जानकारी

*12–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्रों के लाइसेन्स के नवीनीकरण की वर्तमान नीति क्या है ? क्या वर्तमान समय में जिन लोगों के पास शस्त्र को पूरे प्रदेश एवं देश में सुरक्षा की दृष्टि से ले जाने की अनुमति थी उसे रद्द करके केवल जिले में लेकर चलने की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास शस्त्र होगा वह दूसरे जनपद एवं प्रदेश के बाहर किस तरह से ले जा सकेगा ? उसकी सुरक्षा का क्या उपाय शासन करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आयुध अधिनियम एवं नियमावली में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार अनिषिद्ध बोर के आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं निषिद्ध बोर/अर्द्ध स्वचालित आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार सक्षम है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० में घाटे में चलने वाले निगमों के नाम एवं घाटे का विवरण

*13–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1992-93 में उ० प्र० में कौन-कौन से निगम घाटे में चल रहे हैं ? ऐसे अलग-अलग निगमों में कितना-कितना घाटा हुआ है ? घाटा होने के कारण क्या-क्या हैं ? क्या शासन की नीतियों के विरुद्ध अधिक खर्च किया गया है ? यदि हां, तो निगमों में हो रहे घाटे के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? भारी पैमाने पर हो रहे उक्त घाटे को रोकने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनुमानित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1992-93 में 26 निगमों में घाटा हुआ। निगमवार घाटे की सूची संलग्न है।

घाटा होने के मुख्य कारणों में निगमों की सामाजिक उपादेयता एवं विकासात्मक कार्य प्रकृति, स्थापित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाना, वित्तीय संसाधनों एवं कच्चे माल की आपूर्ति में कमी, उत्पादों का उचित विक्रय मूल्य न मिल पाना, विपणन संबंधी समस्यायें तथा कार्मिकों की अधिकता है।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निगमों के घाटे को नियंत्रित करने के लिये नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, जनशक्ति नियोजन की दृष्टि से कार्मिकों पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना की सुविधा, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश जारी किये गये तथा निगमों के कार्यकलापों की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि लाभकारी बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्वासन किया जा सके । इस समीक्षा के फलस्वरूप जिन निगमों के पुनर्वासन की सम्भावना शून्यप्राय पायी गयी, ऐसे 13 निगमों के कार्य-कलाप बन्द कर दिये गये हैं तथा एक निगम आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड की संयुक्त क्षेत्र में चलाया जा रहा है ।

(नत्थी 'ख' देखिये पृष्ठ 173 पर)

*14–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

[दि० 1-3-94 को ता० प्र० सं०–6 द्वारा उत्तरित]

*15–श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

[स्पष्टकीरण हेतु हटाया गया ।]

मेसर्स इंडियन एयर मैसेज लिमिटेड जी० टी० रोड मुगलसराय वाराणसी के मालिकों द्वारा मजदूरों का उत्पीड़न किये जाने की शिकायत

*16–श्री छब्बू पटेल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मे० इण्डियन एयर मैसेज लिमिटेड, जी० टी० रोड, मुगलसराय, वाराणसी के सेवायोजकों द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिये प्रतिष्ठान के समस्त कर्मचारी 4 दिसम्बर, 1992 से हड़ताल पर हैं ? क्या उप श्रमायुक्त, उ० प्र० वाराणसी क्षेत्र के द्वारा उ० प्र० औद्योगिक विवाद नियमावली–1957 के नियम–4 के अन्तर्गत कार्यवाही दौरान प्रतिष्ठान के 18 कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना नियमानुसार अवैधानिक है ? क्या कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने तथा उनकी न्यायोचित मांगों को दबाने के लिये तालाबन्दी करने व पुनः कारखाना बन्दी करने की सूचना प्रसारित किया जाना तथा कारखाना बन्दी नोटिसों को बिना शर्त वापस लिया जाना अनुचित है ? क्या स्थानीय पुलिस ने कर्मचारियों को झूठे व फर्जी आरोपों के आधार पर मुकदमा कायम कर जेल भेजा है ? क्या सरकार किसी स्वतंत्र एजेन्सी से इसकी जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, श्रम विभाग के हस्तक्षेप से दिनांक 28 फरवरी, 1994 को उक्त हड़ताल समाप्त हो चुकी है । प्रतिष्ठान में कार्यरत यूनियन एयर गैसेज मजदूर संघ के आह्वान पर कार्यालय में कार्यरत 17 कर्मचारियों में 4 कर्मचारी व कारखाने में कार्यरत 61 श्रमिकों में से 54 श्रमिक दिनांक 4-12-92 से हड़ताल पर चले गये थे । प्रबन्धकों द्वारा प्रशासनिक कार्यालय मुगलसराय से वाराणसी शहर में

स्थानान्तरित किये गये प्रकरण में औचित्य/वैधानिकता के निर्धारण हेतु विवाद अभिनिर्णय के माध्यम से निर्णीत करने हेतु संदर्भित किया जा चुका है।

जी नहीं। प्रशासनिक कार्यालय के स्थानान्तरण तथा फलस्वरूप कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं कर्मचारियों के निष्कासन का मामला अभिनिर्णय के माध्यम से निर्णीत करने हेतु संदर्भित किया जा चुका है। विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कारखाना बन्दी की सूचना प्रसारित करना एवं उसे वापस लेना अनुचित नहीं है।

जिला प्रशासन द्वारा शान्ति व्यवस्था के बनाये रखने के लिये सामान्य नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और इस कारण किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम में समता समिति की रिपोर्ट लागू किये जाने की मांग

*17–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के किन कर्मचारियों को समता समिति की रिपोर्ट का लाभ अब तक मिला है ? क्या केवल मुख्यालय के कर्मचरियों को ही इसका लाभ मिला है ? यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा दोहरा मानदण्ड अपनाने का कारण क्या है ? क्या सरकार यूनिट में कार्यरत लिपिक, सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर तथा चपरासी श्रेणी के कर्मचारियों को समता समिति की रिपोर्ट का लाभ मुख्यालय कर्मचारियों की तरह प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के मुख्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों का वेतनमान समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

जी हां।

समता समिति द्वारा केवल मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान संबंधी मामलों का परीक्षण किया गया था और परीक्षणोपरान्त इन्हीं कार्मिकों हेतु वेतनमान संस्तुत किये गये थे। अतः केवल इन्हीं कर्मचारियों का वेतनमान समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया गया था। स्पिनिंग इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों, जिसमें सुरक्षागार्ड, लिपिक, चपरासी आदि सम्मिलित है, की सेवा शर्तें विभिन्न औद्योगिक/श्रम अधिनियम तथा प्रमाणित स्थायी आदेशों से आच्छादित होती हैं इन कर्मचारियों का वेतन ढांचा द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर जारी शासनादेशों से निर्धारित है। अतः इकाइयों में कार्यरत यह कर्मचारी समता समिति के दायरे में नहीं आते हैं। अतः इन कर्मचारियों का समता समिति के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कार्यदशायें तथा वेतन ढांचा मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से भिन्न है तथा इन कार्मिकों के वेतन का मामला समता समिति की परिधि में नहीं था । अतः इन कर्मचारियों को समता समिति के दायरे में लाया जाना सम्भव नहीं है ।

आगरा स्थित ताजमहल के आस-पास एलेक्ट्रनिक उद्योग लगाने हेतु सरकार द्वारा सुविधा दिये जाने की मांग

*18–श्री बदन सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा स्थित ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये आगरा में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाना प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो आगरा में कितने इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगवा दिये गये हैं ? क्या वहां पर उद्योग लगाने वालों को उच्च स्तरीय सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सरकार द्वारा आगरा स्थित ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये आगरा में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाना प्रारम्भ नहीं किया गया है । आगरा में निजी उद्यमियों द्वारा दो लघु इलेक्ट्रानिक उद्योग इकाइयां स्थापित की गयी हैं । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा में इलेक्ट्रानिक इकाइयां लगाने हेतु दो भूखण्ड आवंटित किये गये हैं । आगरा में इलेक्ट्रानिक उद्योग इकाइयां स्थापित करने हेतु उद्यामियों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भूखण्ड आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है । उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम प्रयासरत है कि उद्यामियों को सभी आवश्यक उच्चस्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान की जायें ।

*19–श्री हरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर का औद्योगिक पिछड़ापन एवं बेरोजगारी दूर किये जाने की मांग

*20–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के औद्योगिक पिछड़ेपन एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन प्रथमतः पिछड़े जनपदों के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दे रहा है । मिर्जापुर जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

श्री चन्द्र भूषण तिवारी प्रधानाचार्य इन्टर कालेज चन्दीपुर निवासी ग्राम देहली बाजार पूरे चैतपुर थाना बल्दीराय के घर डकैती की घटना

1–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रभूषण तिवारी, प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज चन्दीपुर, निवासी ग्राम देहली बाजार पूरे चैतसिंह, थाना बल्दीपुर, सुल्तानपुर के घर दिनांक 18-9-93 को डकैती की कोई गम्भीर घटना घटित हुई है जिसे मिनीमाइज कर डकैती में न अंकित करके धारा 307 में अंकित किया गया है और गांव के ही मजदूर पेशेवर गरीब लोगों की नामजदगी की गयी है ? यदि हां, तो घटना का विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री चन्द्र भूषण तिवारी, प्रधानाचार्य इण्टर कालेज चन्दीपुर, सुल्तानपुर के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 19-9-93 को नामजद अभियुक्त हरी, तीरथ व मिश्री तथा 4-5 अन्य नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त के विरुद्ध मुकदमा अ० स० 235/93 धारा 147/323/452/307 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया है ।

श्री चन्द्र भूषण तिवारी द्वारा दिनांक 19-3-93 समय 6-15 पूर्वाह्न में अपने हस्तलिखित तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 11-9-93 को उनके बाग की पैमाइश लेखपाल द्वारा कमीशन की मौजूदगी में हो रही थी । उसी बाग के सिलसिले में गांव के रामतीरथ को जिनसे मुकदमेबाजी चल रही थी, पैमाइश कमीशन की बात रामतीरथ को नागवार गुजरी । उसी रंजिश को लेकर असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर दिनांक 18/19 सितम्बर, 1993 की रात्रि में करीब 12.00 बजे जब श्री चन्द्र भूषण तिवारी मकान के सामने सहन में तथा चन्द्रशेखर (चचेरे भाई) व उनके परिवार वाले छप्पर व मकान में सो रहे थे, अचानक विपक्षी रामतीरथ, हरी व मिश्री अपने चार-पांच और साथियों सहित सोते समय लाठी, चाकू व हाकी से प्रहार किये । विद्याभूषण पुत्र श्री चन्द्र भूषण तिवारी को तथा श्री तिवारी की पत्नी को मारकर घायल कर दिया तथा उनके नौकर व चन्द्रशेखर को परिवार सहित मार-पीट कर घायल कर दिया । वादी व उनके परिवार वालों ने रामतीरथ, हरी, मिश्री तथा उनके 4-5 साथियों को लालटेन व टार्च की रोशनी में पहचाना । वादी मौका पाकर भागा तथा गोहार किया एवं सोनवर्षा गांव के लोगों द्वारा पीछा करने पर मुल्जिमान भाग निकले । इस लिखित सूचना पर मु० अ० सं० 235/93 धारा 147/148/323/452/307 भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना की गयी तथा दिनांक 20-10-93 को न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । श्री चन्द्रभूषण तिवारी ने घायल अवस्था में अपने लड़के श्री भूषण से बोलकर लिखित सूचना थाने पर दी थी, जिसमें थाना स्तर से कोई मिनमाइजेशन (अलपीकरण) नहीं किया गया तथा सही नामजदगी की गई है ।

थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु० अ० सं० 334/93 धारा 363/366 भा० द० वि० में पुलिस कर्मचारियों द्वारा शिथिलता बरतने की शिकायत

2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जेठवारा, जिला प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु० अ० सं० 334/93 धारा 363/366 भा० दं० वि० में थाने की पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ? उक्त उदासीनता का कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग दिनांक 29-10-93 को पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उ० नि० श्री बी० एल० वर्मा द्वारा प्रारम्भ की गयी । अभियोग में वांछित अभियुक्त अमरेश व बाबू लाल उर्फ बब्बू को गिरफ्तार करके दिनांक 11-11-93 को जेल भेजा गया । शेष दो अभियुक्त विजय बहादुर व राम सिंह के विरुद्ध धारा–82/83 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 3-2-94 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

चूंकि संदर्भित अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर (देहात) के ग्राम साढ़ स्थित पुलिस चौकी के उच्चीकरण की मांग

3–श्री राकेश सचान–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के ग्राम साढ़ स्थित पुलिस चौकी को उच्चीकृत करके थाने की स्थापना हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा जिससे इसके अन्तर्गत आने वाले लगभग 85 ग्रामों की कानून व्यवस्था में सुधार हो सके ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

परीक्षणोपरान्त औचित्य न पाये जाने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन के कार्यालय हेतु आवंटन रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट में दिये जाने की शिकायत

4–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगला नं०–19, हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन के कार्यालय हेतु, रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन करते हुये आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

आवंटन को निरस्त करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त बंगले पर पुलिस विभाग का कितना धन नव निर्माण व सजावट पर खर्च हुआ है ? क्या रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत उक्त नव निर्माण हो सकता था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव काशीपुर डड़वां ताल सिरिस्ता थाना अन्तू जिला प्रतापगढ़ के राम टहल तथा छेदी कुर्मी की हत्या का मामला

5–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव काशीपुर डड़वां, ताला सिरिस्ता थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़ में 7-12-93 को रामटहल कुर्मी व छेदी कुर्मी की गांव से आधा किलोमीटर पर हत्या कर दी गयी और लाश को गायब कर दिया गया ? क्या यह सही है कि 13 दिन बाद गांव के उत्तर व पश्चिम नेवादा गांव के पास रामटहल का सर मिला है ? क्या इसकी रिपोर्ट लिखित थाना अन्तू में छेदी की स्त्री ने किया और एस० पी०, प्रतापगढ़ व जिलाधीश को भी प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को 17-1-94 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस एजेन्सी से कराई जा रही है ? काशीपुर डड़वां के कुर्मियों की सुरक्षा किस स्तर पर की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 7-12-93 को प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों की हत्या कर लाश गायब कर दिये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं दी गयी, बल्कि दिनांक 23-12-93 को श्रीमती रंजना पत्नी छेदी निवासिनी ग्राम डड़वां ताला सिरिस्ता, थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना-पत्र दिया कि दिनांक 6-12-93 को उसके पति को गांव का रामटहल पुत्र लोटन बुलाकर ले गया । रामटहल बदनाम आदमी है, उसे आशंका है कि उसके पति के साथ कोई संगीन घटना घट सकती है जिसके आधार पर थाना अन्तू पर भा० दं० वि० की धारा–364 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के दौरान दिनांक 1-2-94 को ग्राम नेवादा के सरपंचों के बीच एक नरकंकाल मिला जिसे पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । उक्त स्थान पर मिला कपड़ा व चाभी का गुच्छा छानबीन से रामटहल का होना सिद्ध हुआ । अभियोग को भा० दं० वि० की धारा–364/302/120बी में परिवर्तित कर विवेचना जारी है । अब तक की विवेचना से यह पता चला है कि प्राप्त नरकंकाल सम्भवतः रामटहल का है । छेदी का पता नहीं चला है ।

जी हां, जांच एफ०आई०एस० से कराई जा रही है ।

ग्राम काशीपुर डड़वां के निवासियों की सुरक्षा हेतु कुछ दिन तक पुलिस फोर्स तैनात थी । बाद में इस क्षेत्र में पुलिस गस्त बढ़ा दी गयी एवं सतर्कता बरती जा रही है ।

जनपद हरदोई, श्री अवधेश कुमार रस्तोगी पिहानी के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 13 नवम्बर, 1992 की रात में जनपद हरदोई की पिहानी नगर कृषि उत्पादन मण्डी समिति शाहाबाद के सभापति एवं अन्य द्वारा लूटपाट किये जाने की जांच श्री मु० इदरीश खां, निरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० द्वारा प्रथम दृष्टया घटनाक्रम को सत्य पाया गया और 3-8-93 को अपराधों का पंजीकरण कोतवाली, शहर हरदोई में अपराध सं० 705/93 तथा थाना पिहानी में 257/93 दर्ज हुआ ? क्या दोनों प्राथमिकी संयुक्त रूप से जांच के लिये श्री जे० बी० सिंह, निरीक्षक, सी० बी०, सी० आई० डी०, लखनऊ खण्ड 85 वजीर हसन रोड, लखनऊ को दी गयी है ? यदि हां, तो उनके द्वारा निष्पक्ष जांच न होने की स्थिति में किसी अन्य निरीक्षक द्वारा जांच कराने हेतु श्री अवधेश कुमार रस्तोगी, पिहानी, हरदोई का एक पत्र महानिदेशक, पुलिस, उ० प्र० को दिनांक 9-12-93 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त दोनों प्राथमिकी की विवेचनायें जांच हेतु निरीक्षक श्री जे० बी० सिंह को नहीं बल्कि निरीक्षक, श्री जे० पी० सिंह को अभिदिष्ट की गयी है ।

जी हां ।

श्री अवधेश कुमार रस्तोगी के शिकायती-पत्र दिनांक 9-12-93 के आधार पर विवेचना निरीक्षक श्री रमाशंकर सिंह परिहार को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

7–श्री विजय सिंह–

[दि० 1-3-94 को अता० प्र० सं०–101 द्वारा उत्तरित]

श्री राधे श्याम निगम तत्कालीन चौकी इंचार्ज अरौल थाना बिल्हौर जिला कानपुर देहात और अन्य कान्सटेबिलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

8–श्री शिवकुमार बेरिया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधेश्याम निगम, तत्कालीन चौकी इन्चार्ज अरौल, थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात एवं दो अन्य कान्सटेबिलों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री कैलाश चन्द्र कटियार, प्रवक्ता, डी० एस० एन० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, उन्नाव, का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-9-93 व शपथ-पत्र दिनांक 22-9-93 पत्र दिनांक 7-1-94 उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त तीनों पुलिस कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक कानपुर (देहात) को श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना तथा रामसनेही का प्रार्थना-पत्र पर हुयी कार्यवाही की जानकारी

9–श्री शिवकुमार बेरिया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट लिखकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना एवं श्री रामसनेही, निवासी ग्राम गांगूपुर, थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात का क्रमशः प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-9-93 व 30-9-93 पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांचोपरान्त प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः प्रार्थना-पत्र में अंकित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

स्वतंत्रता आन्दोलन के विख्यात नेता श्री सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की मांग

10–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या सरकार बतायेगी कि स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अविस्मरणीय योगदान को देखते हुये उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

उक्त अवकाश केन्द्र सरकार की अवकाश सूची में भी नहीं है । शासन की नीति है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाशों के विद्यमान ढांचे में यथासम्भव परिवर्तन न किया जाए । अतः अवकाशों की संख्या में वृद्धि किये जाने का औचित्य नहीं है ।

मुगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर में 30/31 अक्टूबर, 92 को हुयी हत्या की घटना के संबंध में सी० आई० डी० जांच की मांग

11–श्री ऊदल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 30/31-10-92 को मुगरा बादशहपुर, जिला जौनपुर में घटित तीन हत्याओं के आक्रोश में क्षेत्रीय जनता ने हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु रेलवे स्टेशन पर रेल जाम करने की मांग की थी ? क्या इसी के संबंध में दिनांक 31-10-92 को रेलवे स्टेशन मुगरा, बादशहपुर में रेल जाम करने की योजना बनायी गयी थी और इसी संदर्भ में पुलिस वालों से व रेल कर्मियों से व कुछ स्कूल के छात्रों से तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुयी थी ? क्या यह सही

है कि थाना मुंगरा बादशहपुर, जिला जौनपुर ने राजनैतिक कार्यकर्ताओं (जो निर्दोष थे) को मनमाने ढंग से मुकदमें में फांसकर पुलिस परेशान करने लगी है, जिस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला जौनपुर ने दिनांक 22-12-92 को गुप्तचर विभाग से जांच की मांग की है ? क्या गुप्तचर विभाग से जांच करने का आदेश दे दिया गया है ? यदि हां, तो वह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जनवरी 1994 में जनपद अलीगढ़ के थाना देहलीगेट क्षेत्र में जंगलवाड़ी बाईपास पर स्थित फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा गोली चलाकर घायल किये जाने की घटना

12–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि 6 जनवरी, 1994 के आस-पास किसी दिन अलीगढ़ जिले के थाना देहली गेट क्षेत्र में जंगलगढ़ी बाई पास पर एक फैक्ट्री के कर्मचारियों ने गोली चलाकर अनुसूचित वर्ग के कुछ व्यक्तियों को घायल कर दिया था ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा गोली चलाने वालों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-1-94 को श्री बनवारी लाल निवासी मुहल्ला सरांयमियां थाना–देहलीगेट अलीगढ़ ने थाना देहलीगेट पर इस आशय की सूचना अंकित करायी कि दिनांक 5-1-94 की रात्रि को दो नामजद व्यक्तियों जावेद व कफील (जिनके वहीं पर कारखानें हैं) ने सरांयमियां की खाली जगह पर औरतों द्वारा पाथे गये कन्डों को बल पूर्वक उठा कर फेंक दिया एवं गाली गलौज किया । दिनांक 6-1-94 को लगभग 11 बजे दिन उपरोक्त दोनों व्यक्तियों सहित 10 नामजद व्यक्ति, बल्लम, चाकू व फरसों से लैश होकर गाली गलौज करते हुए कन्डों को फेंकने लगे ।

इसका विरोध किये जाने पर अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से फायर किये तथा चाकू बल्लम से वार किये । अन्य लोगों द्वारा भी पथराव किया गया जिससे दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए । अभियुक्तों ने लूट-पाट भी की । इस सूचना पर थाने पर मु०अ०सं०–13/94 धारा 395/397 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचना से उक्त अभियोग धारा–147/148/149/307/504/506 भा० दं० वि० का पाया गया । प्रथम सूचना में नामजद 10 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

थाना विकास नगर जनपद देहरादून में व्यापारी नेता कमल कुमार अग्रवाल की हत्या पुलिस कर्मियों द्वारा किये जाने का संदेह

13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनवरी, 1994 के प्रथम पखवारे में थाना विकास नगर, जिला देहरादून में व्यापारी वर्ग के एक नेता (श्री कमल कुमार अग्रवाल) की हत्या पुलिस कर्मियों द्वारा कर दी गयी है, जिसका सन्देह विकास नगर के थानेदार, श्री मेगूं सिंह पर किया गया है ? यदि हां, तो उक्त

घटना क्या है ? नामजद पुलिस कौन-कौन से हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 7-1-94 को श्री कमल कुमार की दुकान में आग लगा दी गयी थी जिससे वे जलकर बुरी तरह घायल हो गये थे । घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया । तबियत अधिक खराब होने के कारण उपचार हेतु उन्हें चंडीगढ़ अस्पताल ले जाया गया । उनकी मृत्यु पी० जी० आई० चण्डीगढ़ में हो गयी । घटना के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार की सूचना पर थाना विकास नगर पर मु० अ० सं० 14/94 धारा 307/323/436 भा०दं० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । मृत्यु के उपरान्त धारा–302 भा० दं० वि० में तरमीम हो गया ।

नामजद पुलिसकर्मी अभियुक्त उप निरीक्षक श्री मंगू सिंह वर्मा है । उप निरीक्षक श्री मंगूसिंह वर्मा को दिनांक 20-1-94 को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । अभियोग विवेचनाधीन है ।

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र दिनांक 2 सितम्बर 1992 के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

14–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 तक राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कितने आवासों के परिवर्तन हेतु आदेश निर्गत किये गये ? यदि आदेश निर्गत हुये, तो किसके आदेश से ? क्या राज्य सम्पत्ति अधिकारी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1992 मिला है ? यदि हां, तो उस पर किसके आदेश हैं तथा क्या ? उन आदेशों के अनुपालन अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

1 जनवरी, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 तक श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के लगभग–50 आवासों के परिवर्तन के आदेश निर्गत किये गये । उक्त आदेश सक्षम अधिकारी के आदेश से निर्गत हुये हैं ।

जी हां ।

भूतपूर्व मा० वित्त मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर श्री महेश्वरी प्रसाद पाण्डेय का आवास परिवर्तन संबंधी कार्यवाही करने के आदेश दिये थे ।

उन आदेशों के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री महेश्वरी प्रसाद पाण्डेय का आवास परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति निदेशालय के कर्मचारियों की संख्या एवं अन्य अनियमितताएं

15–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति निदेशालय में दि० 31 मार्च, 1991 को कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तथा कितने कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जा रहा था ? क्या यह भी

बतायेंगे कि दि० 30 सितम्बर, 1992 को कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तथा कितने कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जा रहा था ? क्या उक्त अवधि में विभाग में कोई नियुक्ति भी की गयी है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या उक्त विभाग के अन्तर्गत नियुक्तियों पर रोक लगे होने की जानकारी निदेशालय को थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कर्मचारियों की संख्या–39 थी तथा 39 कर्मचारियों का ही वेतन आहरित किया जा रहा था ।

कर्मचारियों की संख्या–39 थी तथा उतने ही कर्मचारियों का वेतन आहरित किया गया था ।

कोई नियुक्ति नहीं की गयी । नियुक्तियों पर रोक लगे होने की जानकारी निदेशालय को थी ।

पुलिस विभाग के इन्सपेक्टरों को मोटर साइकिल एवं वर्दी भत्ता दिये जाने की मांग

16–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश पुलिस विभाग के इन्सपेक्टरों को 120/-प्रतिमाह मोटरसाइकिल एलाउन्स, वर्दी हेतु 500/- रुपये 5 वर्ष में दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था में परिवर्तन कब से होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासन द्वारा, विषयंगत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया । तद्नुसार शासनादेश संख्या–6247/छः–7–70/86 दिनांक 10-2-94 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को अवगत भी कराया जा चुका है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर में माह दिसम्बर, 1993 में दर्ज मुकदमों की संख्या तथा उस पर हुई कार्यवाही का विवरण

17–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर में दिनांक 1-12-93 से 31-12-93 तक कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयीं ? उनमें से कितने मामले निस्तारित कर दिये गये और कितने मामले लम्बित पड़े हैं ? क्या सरकार उन लम्बित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित कराकर जनता को न्याय दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर में कुल 18 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । 17 मामले निस्तारित कर दिये गये हैं । एक मामला लम्बित है जिसे शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को सम्बोधित श्री सूरज प्रकाश सुत व श्री राम लाल ग्राम सेवरहा थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ़ के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को श्री सूरज प्रकाश सुत श्री राम लाल, ग्राम सेवरा, थाना उदयपुर, जिला प्रतापगढ़ का दिनांक 29-8-92 का पत्र मिला है, जिसमें कुछ लोगों के विरुद्ध शिकायत थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र किस आधार पर दिया गया है तथा उसमें शिकायत किन-किन लोगों के विरुद्ध हैं ? क्या इस मामले की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पत्र में दर्शाये गये अभियुक्त किसी अन्य मामले में भी वांछित है ? यदि हां, तो उस मामले का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में ग्राम सेमरा के राम कुमार, राम आधार तथा ग्राम प्रधान नसीर अहमद के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर उक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/201 के अन्तर्गत थाना उदयपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । दिनांक 12-11-92 को अभियोग की विवेचना एस०आई०एस० द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा दिनांक 31-12-93 को समाप्त कर दी गई है । इसे संतोषजनक न पाये जाने के कारण शासन द्वारा इस मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई है ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बृजनाथ यादव, ग्रा० भवानीपुर मजरे चन्दौर थाना कूड़ेभार जिला सुल्तानपुर के यहां घटित घटना पर हुयी कार्यवाही की जानकारी

19–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध सं० 201/93 पर दिनांक 21-6-93 को कोई गम्भीर घटना ग्राम भवानीपुर मजरे चन्दौर, थाना कूड़ेभार, जिला सुल्तानपुर में रिपोर्ट कर्ता श्री बृजनाथ यादव के यहां घटित हुयी है ? यदि हां, तो घटना की प्रकृति एवं संक्षिप्त विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि इस घटना में दो व्यक्ति मरे थे ? यदि हां, तो अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री बृजनाथ यादव के घर पर दिनांक 21-6-93 की रात एक बजे 10-12 डकैत आये । परिजनों के जग जाने पर बदमाशों ने तीन आदमियों को गोली मार दी । वादी के चाचा रामहेत की घटना स्थल पर

मृत्यु हो गयी, पिता दशरथ व चाचा राजदेव बुरी तरह घायल हो गये और दशरथ की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गयी ।

जी हां ।

विवेचना के दौरान कुल 6 अभियुक्त सर्वश्री इन्द्रदेव, इन्द्रजीत, हौसिला पाण्डेय, सत्यदेव मिश्रा, नन्हें मिश्रा, विष्णुदेव प्रकाश में आये हैं ।

अभियुक्त इन्द्रदेव को दिनांक 12-10-93 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, इन्द्रजीत उर्फ बलई दिनांक 17-10-93 को तथा अभियुक्त हौसला पान्डे व विष्णुदेव दिनांक 17-10-93 एवं सत्यदेव मिश्रा दिनांक 4-11-93 को अदालत में हाजिर हुए । अभियुक्त नन्हें मिश्र की गिरफ्तारी शेष है, जिसके विरुद्ध धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है । धारा–83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त की जा रही है । विवेचना प्रचलित है ।

गीडा योजना में प्रगति एवं इस हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

20–श्री शिवप्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के लिये स्थापित गीडा में अब तक कितनी प्रगति हुयी है ? क्या इस योजना में अधिग्रहित की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत गीडा का गठन अधिसूचना सं० 8425 (1) भाउ/18-11-223भा/88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 में किया गया है । गीडा के गठन की तिथि से अब तक ग्राम जुड़ियान, कालेसर, बड़गहन, नेवास, झंगिया एवं बोकटा की कुल 480.534 एकड़ भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक विकास के लिए किया गया है । इसमें से वर्तमान में 187 एकड़ भूमि का विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है । मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, ड्रेनेज का कार्य, वाटर-सप्लाई, विद्युत आपूर्ति एवं वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है । अब तक 46 उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किया जा चुका है, चार उद्यमियों ने इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है । वर्ष 1994-95 में 50 विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है । कलकत्ता के 165 उद्यमियों ने गीडा में उद्योग लगाने पर जिज्ञासा प्रकट की है और वे इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर रहे हैं ।

उपरोक्त उल्लिखित 6 ग्रामों में से ग्राम नेवास के कृषकों को 18,70,641.64 रु०, कालेसर के कृषकों को 72,53,699.99 रु०, ग्राम जुड़ियान के कृषकों को 1,48,00,241.99 रु० प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । शेष ग्रामों के किसानों ने अभी प्रतिकर प्राप्त नहीं किया है क्योंकि इन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है और अभी स्थल पर कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है अतः कृषकों ने कब्जा परिवर्तन के बाद प्रतिकर प्राप्त करने की सहमति दी है ।

21–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित]

थाना कोहनिया जिला वाराणसी के परिसर एवं उसके पीछे हुयी कतिपय घटनाओं का विवरण

22–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, थाना कोहनियां, जिला वाराणसी ने ता० 23-10-93 को थाना कार्यालय के पीछे मरम्मत हेतु एक राजगीर अशोक कुमार प्रजापति सा० उमरहा व लालजी अनुसूचित (चमार) मजदूर राजगीर गांव पिछवारी पंचरांव, थाना चौबेपुर को दैनिक वेतन पर लगाया गया था ? क्या यह सही है कि कार्यालय के पीछे थाना परिसर में बम विस्फोट से लालजी मरणासन्न हुआ और अशोक को भी काफी चोट लगी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नकल अ० संख्या नं० 9 रो० आम समय 10.30 बजे दिनांक 23-10-93 थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी दर्ज है और इत्तफाकिया दुर्घटना आज ता० 23-1-93 को लिखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिर्पोट में यह भी लिखा है कि दोनों व्यक्तियों को जिला राजकीय अस्पताल कबीर चौरा इलाज के लिये ले जाया गया ? इस संबंध में एस० एस० पी०, वाराणसी तथा जिलाधीश, वाराणसी व डी० आई० जी० वाराणसी ने क्या कार्यवाही अब तक की है ? क्या यह जांच की गयी है कि थाना के परिसर में किसने बम रखा था ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित राजगीर थानाध्यक्ष रोहनिया द्वारा नहीं वरन मरम्मत कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा दैनिक वेतन पर लगाये गये थे ।

जी नहीं ।

उक्त घटना का विवरण रो० आम दिनांक 23-10-93 समय 10.30 बजे रपट नं० 19 पर अंकित है ।

जी हां ।

इस संबंध में प्रारम्भिक जांच संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी लेकिन इसका निर्धारण नहीं हो पाया कि बम कब और कहां से आया ? उनका अनुमान है कि यह बम वर्षों से जमीन में दबा हुआ था ? बम डिस्पोजल दस्ते द्वारा भी इसे काफी पुराना बताया गया है ।

श्री सत्यकाम पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्रकान्त पाण्डेय अवर पुलिस अधीक्षक, जालौन का मृतक आश्रित कोटा में नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

23–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि सत्यकाम पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्रकान्त पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक जालौन ने मृतक आश्रित होने की वजह से उप निरीक्षक ना० पु० के पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में प्रार्थना-पत्र तथा सभी कागजात दिये थे, क्या उसके संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक, इलाहाबाद ने पत्रांक संख्या पाच–740/6/90, दिनांक अप्रैल, 4, 1992 के द्वारा उप सचिव, शासन गृह (पुलिस), अनुभाग 10,लखनऊ को शासनादेश संख्या 508/6/7-10-92–1200/15/92, दिनांक 19-2-92 के अन्तर्गत इनकी ऊंचाई में 2-7 से० मीटर की छूट देकर नियुक्ति हेतु संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्ति छूट देकर कर दी गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासनादेश संख्या : 508/6पु/10-92–1200(15)/92 दिनांक 19-2-92 के साथ श्रीमती देविका रानी पाण्डेय, 11, वेलीरोड नया कटरा, इलाहाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-2-92 मूलरूप में पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनकी आख्या हेतु भेजा गया जिसके क्रम में उनकी आख्या पुलिस मुख्यालय के पत्रांक पांच-740(6)–90 दिनांक 4 अप्रैल, 1992 शासन में प्राप्त हुआ । चूंकि श्री सत्यकाम पाण्डेय कान्स० (एम) के पद हेतु शारीरिक अर्हता पूर्ण करते हैं अतएव उन्हें नियमानुसार उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में मृतकों के शस्त्र लाइसेंस धारकों के वारसानों से शस्त्र लाइसेन्स हेतु वर्षवार प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही का विवरण

24–श्री ऊदल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी/मऊ में मृतक के शस्त्र लाइसेंस धारकों के वारसानों ने वर्ष 91,92,93 में अपर जिला मजिस्ट्रेट, कर्वी के यहां शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने के आवेदन पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उनकी वर्षवार संख्या क्या है ? क्या शस्त्र लाइसेंसियों के वारसानों को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लाइसेन्स दिये जाने की प्राथमिकता है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक लाइसेंस दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्ष 1991 में	12
वर्ष 1992 में	36
वर्ष 1993 में	15

जी नहीं । लाइसेंसों की स्वीकृति आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है ।

आयुध अधिनियम के अनुसार जांच पूर्ण होने के उपरान्त इन आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के थाना पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम थरसौजा की श्रीमती सुदमिया बेवा शत्रुजीत सिंह द्वारा अपने स्वर्गीय पति के नाम की जमाशुदा लाइसेंसी बन्दूक को वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

25–श्री ऊदल–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद बांदा के थाना पहाड़ी के अन्तर्गत गांव थरसौजा की श्रीमती सुदमिया बेवा शत्रुजीत सिंह ने अपने स्व० पति की जमाशुदा लाइसेंसी बन्दूक एक नाली कारतूसी को वापस कराने हेतु बतौर वारिस एक नाली कारतूसी, 12 बोर के लाइसेंस दिये जाने का आवेदन-पत्र,

अपर जिला मजिस्ट्रेट, कर्वी के यहां वर्ष 92-93 में दिया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त लाइसेंस उन्हें दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त आवेदन पत्र वर्ष 92-93 में नहीं, अपितु वर्ष 1991 में दिया गया है ।

आयुध अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा थाना मऊ के मालखाने से लाइसेंसी बन्दूक गायब होने की शिकायत

26–श्री ऊदल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के थाना मऊ के अन्तर्गत गांव खण्डेहा मजरा पिपरा के दो नाली कारतूसी बारह बोर की लाइसेंसी बन्दूक नं०–113377 लाइसेंसी नं०–4406 मालखाना में जमा हुई और गायब हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या मृतक लाइसेंसी के वारसान को लाइसेंस उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, मालखाने में सुरक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक लाइसेंसी के वारिस द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर आयुध अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

27–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त ।

नाबालिग बालक की विपिन केसरवानी द्वारा थाना कैसरबाग लखनऊ में दिनांक 28-7-93 को लिखाई गयी प्रथम सूचना

28–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-7-93 समय 9.30 पी० एम० थाना कैसरबाग, लखनऊ के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट नाबालिग बालक विपिन केसरवानी द्वारा लिखाई गयी थी ? यदि हां, तो मुल्जिमों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? किसके द्वारा जांच की गई ? क्या इस बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-93 जो कि जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा शिथिलता बरते जाने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 151/107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 29-7-93 का न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

उपनिरीक्षक श्री आर० पी० कनौजिया द्वारा जांच की गयी।

जी हां।

प्रशासन द्वारा कोई शिथिलता नहीं बरती गयी क्योंकि दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरितगति से वांछित कार्यवाही की गयी।

जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में बढ़ते अपहरण एवं हत्या की घटनाएं

29–श्री रणधीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर के थाना–चरथावल के अपहृत लाला प्रवीण, लाला सहदेव व ग्राम कछोली, थाना कोतवाली, मुजफ्फरनगर के श्री पवन कुमार पुत्र श्री रणधीर सिंह के अपहरण और 4-12-93 में श्री महावीर सिंह, प्रधान, ग्राम बिजोपुरा, थाना छपार की जी० टी० रोड पर दिन दहाड़े हत्या तथा थाना छपार में ही जी० टी० रोड पर रोडवेज बस की लूट आदि अपराधिक श्रंखला में वांछित अपराध पकड़े गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में अपराधियों की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित लाला प्रवीण, लाला सहदेव के अपहरण के मामलों में दोनों अपहृत वर्तमान में मुक्त हो चुके हैं। अभियोग के अनावरण के सतत् प्रयास जारी हैं। ग्राम कछौली निवासी पवन कुमार के अपहरण के संबंध में कोई अपराध पंजीकृत नहीं हैं। दिनांक 4-12-93 को श्री महावीर सिंह की हत्या के प्रकरण में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, 4 अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के सतत् प्रयास जारी हैं। दिनांक 3-1-94 को थाना छपार में जी० टी० रोड पर रोडवेज बस की लूट की घटना के संबंध में अभियोग के अनावरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक योजनायें तैयार की गयी हैं जिनको समय-समय पर प्रभावी कराया जाता है।

अनुसूचित जाति के पुलिस इंसपेक्टर अधिकारियों के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव योग्यता में छूट किये जाने की मांग

30–श्री मोहर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गृह विभाग में सामान्य रूप से इन्सपेक्टर पद पर पदोन्नति के लिये 10 वर्ष की सेवा और 3 वर्ष की थानाध्यक्ष के पद पर लगातार सेवा होना जरूरी है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिये पदोन्नति के उक्त नियमों में सरकार कोई छूट प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष तक थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने की अनिवार्यता लागू नहीं होती है । उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने से ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थी निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु होने वाले चयन में सम्मिलित होने के पात्र हो जाते हैं ।

पुलिस विभाग की भांति विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों के पद नाम बदलने की मांग

31–श्री राम बाबू हरित–

गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग के समान ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों को पदनाम व वेतनमान शासन द्वारा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा कार्य की परिस्थितियां पुलिस विभाग से अलग हैं । विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों को पुलिस विभाग के समान पद नाम व वेतन दिये जाने से उनकी कार्य क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

32–श्री मित्रसेन यादव–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों की भांति पौष्टिक आहार दिये जाने की मांग

33–श्री राम बाबू हरित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ० प्र०, आगरा में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पुलिस विभाग की तरह पौष्टिक आहार भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अलग हैं तथा उनकी पुलिस विभाग के कर्मचारियों से समानता नहीं है ।

तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में आई० टी० आई० प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की मांग

34–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में आई० टी० आई० प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विगत वर्ष से जनपद बाराबंकी में विभिन्न प्रकार के अपराधों का थानावार विवरण

35–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1993 से 1994 तक कितनी चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट-पाट, राहजनी, अनु० जाति उत्पीड़न की घटित घटनायें हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त घटनाओं की थानावार संख्या/विवरण क्या है ? उक्त प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये अब वर्तमान सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 1 जनवरी, 1993 से दिनांक 15 फरवरी, 1994 तक चोरी के 469, डकैती–16, हत्या 148, अपहरण 51, लूट-पाट 50, राहजनी 46 एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधी 301 अभियोग पंजीकृत हुए।

उक्त घटनाओं की थानावार संख्या/विवरण मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के कक्ष/कार्यालय से देखी जा सकती है।

उक्त अपराधों को रोकने के लिए अभियोगों की विवेचना तत्परता से कर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करके, सक्रिय अपराधियों की विधिवत् निगरानी तथा उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करके तथा गस्त व्यवस्था और प्रभावी तथा तेज कर दी गयी है।

राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र, बाबूगढ़ (गाजियाबाद) में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

36–श्री गजराज सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 14-1-1994 को राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र, बाबूगढ़ (गाजियाबाद) में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कोई पत्र मुख्य मंत्री को दिया था, जिसमें श्री चौखे लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पत्र भी संलग्न था ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही अब तक हुई तथा उन्हें क्या दण्ड किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां।

प्रक्षेत्र प्रबन्धक, बाबूगढ़ प्रक्षेत्र (जिला–गाजियाबाद) के विरुद्ध शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसके आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने पर ही दण्ड देने अथवा न देने का निर्णय लिया जाना संभव होगा।

रुद्रपुर जिला देवरिया में आई० टी० आई० खोले जाने के प्रस्ताव के क्रियान्वयन की मांग

37–श्री मुक्तिनाथ–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 90-91 अथवा 91-92 में तत्कालीन मुख्य मंत्री की घोषणा के फलस्वरूप रुद्रपुर जिला देवरिया में आई० टी० आई० खोलने की वित्तीय सामर्थ्य प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर अब तक आई० टी० आई० न खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पिलखुनी जनपद एटा में बूथ पर हुयी हरिश्चन्द्र शाक्य की हत्या के अपराधी को पकड़े जाने की मांग

38–श्री सूरज सिंह शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 नवम्बर, 1993 को पोलिंग के दिन ग्राम पिलखुनी जनपद एटा में बूथ पर श्री हरिश्चन्द्र शाक्य निवासी पिलखुनी थाना–सिढ़पुरा, एटा की हत्या के आरोपी अभियुक्तों को पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 21 नवम्बर, 1993 को पोलिंग के दिन ग्राम पिलखुनी, जनपद एटा में बूथ पर श्री हरिश्चन्द्र शाक्य की हत्या के आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ।

अभी तक पर्याप्त साक्ष्य संकलित न हो सकने के कारण किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है । विवेचना अभी प्रचलित है ।

मेसर्स विष्णु स्ट्रा बोर्ड. कार्ड बोर्ड फैक्ट्री मसौधा मोतीनगर फैजाबाद में मालिक एवं श्रमिकों के बीच चल रहे विवाद

39–श्री मित्रसेन यादव–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि विष्णु स्ट्रा बोर्ड, कार्ड बोर्ड फैक्ट्री, मसौधा, मोतीनगर, फैजाबाद के फैक्ट्री मालिक श्री भरचलाल झुरझुनवाला ने फैक्ट्री के मजदूरों का लाखों रुपया हड़पकर फैक्ट्री बन्द कर दी है ? यदि हां, तो फैक्ट्री मालिक पर मजदूरों के किये जाने वाले भुगतान की धनराशि क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिये उनका भुगतान कराकर उक्त फैक्ट्री को कब तक चालू करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेसर्स विष्णु स्ट्रा बोर्ड लि० मसौधा, मोतीनगर, फैजाबाद तथा उसमें कार्यरत लेबर यूनियन के 12 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 12-7-91 पर उप श्रमायुक्त के समक्ष विचाराधीन समझौता वार्ता के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायोजकों ने दिनांक 5-10-91 से प्रतिष्ठान में तालाबन्दी घोषित कर दी। प्रतिष्ठान में नियोजित श्रमिकों द्वारा दायर वादों के अनुसार श्रमिकों के वेतन एवं बोनस का लाखों रुपये सेवायोजकों द्वारा देय है।

उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत 103 कर्मचारी के देयकों के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों (वाद) के आधार पर कुल देय रुपये 5,74,403.00 आगणित की गई है। जहां तक फैक्ट्री को चालू कराने का संबंध है, फैक्ट्री के पुनर्वासन के संबंध में कार्यवाही बोर्ड आफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एण्ड रिकांस्टट्रक्शन (बी० आई० एफ० आर०) के द्वारा अपेक्षित है। मजदूरी के भुगतान से संबंधित वादों को प्राधिकारी वेतन संदाय अधिनियम 1936 के अन्तर्गत दिनांक 31-3-93 को निर्णीत किया गया जिसके विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा दिनांक 22-6-93 को वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिया गया। उक्त पर सुनवाई के उपरान्त एक पक्षीय निर्णय के संबंध में सेवायोजकों का पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र निरस्त करते हुए दिनांक 5-2-94 को उक्त धनराशि भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है।

अकबरपुर की बन्द मैरेला स्पिनिंग मिल को चालू कराने की मांग

40–श्री मित्रसेन यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैरेला स्पिनिंग मिल अकबरपुर, फैजाबाद विगत कितने दिनों से बन्द पड़ी है ? क्या यह सही है कि उक्त मिल की बन्दी के कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिये और पुनः मिल चालू कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैरेला स्पिनिंग मिल अकबरपुर, फैजाबाद दिनांक 11-6-90 से तालाबन्दी के फलस्वरूप बन्द है। इस तालाबन्दी से 2605 श्रमिक प्रभावित हुए है। मिल की तालाबन्दी समाप्त कराने के संबंध में क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त, फैजाबाद, श्रमायुक्त, उ० प्र०, कानपुर तथा शासन स्तर पर वार्तायें की गयी परन्तु उनसे कोई सफलता नहीं मिली। उ० प्र० राज्य कताई मिल मजदूर मोर्चा, अकबरपुर, फैजाबाद तथा अन्य यूनियनों द्वारा प्रतिष्ठान की तालाबन्दी समाप्त करने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर रखी है। यह प्रकरण वित्तीय संरचना एवं पुनर्वासन बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) के समक्ष भी है। इस प्रकार मामला न्यायिक परिधि में हैं।

श्री भूधर लाल निवासी ग्राम अटवा बरी थाना सण्डीला जनपद हरदोई का उसी ग्राम के निवासी श्री राम गुलाम सिंह के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र

41–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भूधर लाल, अनुसूचित जाति, निवासी अटवा बरी, थाना सण्डीला, जनपद हरदोई ने दिनांक 29-1-93 को थाना सण्डीला में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि श्री राम गुलाम सिंह, निवासी उपरोक्त स्थान द्वारा अपने घर का दरवाजा रास्ते में बना लेने के कारण उनके घर का रास्ता बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र सलाहकार, गृह विभाग को भी अप्रैल, 1993 में उनके द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

संदर्भित प्रार्थना-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, मुख्य राजस्व अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी श्री राम स्वारथ चौधरी प्रा० सं० मंत्री, भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन का शिकायती-पत्र

42–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के मुख्य राजस्व अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का शिकायती-पत्र श्री राम स्वारथ चौधरी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, भ्रष्टाचार उन्मूलन के पत्र दिनांक 12-12-93 जो उनको डाक विभाग के रजिस्ट्री पत्र संख्या 3467 द्वारा दिनांक 13-12-93 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित प्रत्येक बिन्दु की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो उस जांच आख्या पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । श्री त्रियुगी नाथ मुख्य राजस्व अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध संदर्भित पत्र शासन में प्राप्त हुआ है ।

जी हां । शिकायती-पत्र में वर्णित प्रत्येक बिन्दु पर जांच जिलाधिकारी, बस्ती से करायी गयी है ।

जांच आख्या में श्री त्रियुगी नाथ को दोषी नहीं पाया गया है । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर गोण्डा में स्थित धोबनिया नाले के बालू खनन को रोकवाने की मांग

43–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र 155–तुलसीपुर, जनपद गोण्डा में तुलसीपुर, ललिया मार्ग पर स्थित धोबनिया नाले से बालू खनन का पट्टा विगत सरकार द्वारा अवैध रूप से जारी करके लाखों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जबकि उक्त क्षेत्र चट्टानी नहीं है ? क्या सरकार उक्त नाले से अवैध बालू खनन पर तत्काल रोक लगाकर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवा कर अवैध पट्टा निरस्त करके अवैधानिक बालू खनन से हुई राजस्व की क्षतिपूर्ति हेतु दण्डात्मक कार्यवाही अवैध पट्टाधारक के विरुद्ध की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । धोबनिया नाले के ग्राम बेलधरिया/अन्दारपुरवा में बालू/उप खनिज के लिए रुपया 21,000 में उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 27 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली पर पट्टा निष्पादित किया गया था । इसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय का नीलामी के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त हो जाने पर क्षेत्र विवादग्रस्त होने के आधार पर इच्छुक लोगों के आवेदन पर प्रत्येक माह रायल्टी पर बालू के खनन हेतु अनुमति दी गयी जिससे रुपया 53,855 का राजस्व प्राप्त हुआ । इसी नाले के समीप अन्य ग्राम सभा क्षेत्र लौकी कला को भी उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 27 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सार्वजनिक नीलामी द्वारा रुपया 61,500 में उच्चतम बोली पर पट्टा दिया गया है । इस क्षेत्र के लिए सरकारी बोली रुपया 40,000 थी जबकि नीलामी की बोली इससे पचास प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई । इस प्रकार सरकारी राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है ।

चूंकि उक्त स्वीकृत पट्टा वैध है, अतः उसे निरस्त करने और स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर खनन के लिए राजस्व की क्षति पूर्ति एवं दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के सिलावन गांव स्थित कंजड़ डेरा में दिसम्बर, 1993 को घटित आगजनी और हत्या की घटना के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीड़ित परिवारों को सहायता दिये जाने की मांग

44–श्री राकेश सचान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर के सिलावन गांव स्थित कंजड़ डेरा में 24-25 दिसम्बर, 1993 की रात्रि में हुए आगजनी और हत्याकाण्ड में कुल कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उन्हें बन्दी बनाया गया ? उक्त काण्ड में पीड़ित कितने परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी तथा प्रति परिवार आर्थिक सहायता की अलग-अलग धनराशि क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में कुल 89 अभियुक्त नामजद व लगभग 650 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना बिन्दकी में अभियोग पंजीकृत किया गया । इनमें 78 अभियुक्तों को विभिन्न तिथियों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया ।

उक्त काण्ड में मृतक 6 व्यक्तियों के परिवारों को रुपया 6 लाख, गम्भीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों को रुपया 10 हजार, सामान्य रूप से घायल 12 व्यक्तियों को रुपया 30 हजार व अन्य वस्त्र आदि की क्षतिपूर्ति हेतु 55 परिवारों को रुपया 1 लाख 10 हजार की आर्थिक सहायता दी गयी है ।

मेरठ, मुरादाबाद व कुमायूं मण्डल में नयी सरकार के गठन के उपरान्त अपहरण की घटनाओं का विवरण

45–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ, मुरादाबाद व कुमायूं मण्डलों में नई सरकार के गठन के बाद से कितने अपहरण काण्ड हुए हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मशहूर डा० पी० एन० बहल का दिनांक 29-12-93 को गाजियाबाद में अपहरण हो गया तथा भारी फिरौती की रकम लेकर दिनांक 13-1-1994 को उन्हें छोड़ा गया ? यदि हां, तो उक्त घटना के पीछे किसका हाथ होना पाया गया था ? अभी तक दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत मण्डलों में उक्त अवधि में कुल 66 अपहरण के काण्ड हुए हैं ।

जी हां ।

जी नहीं, फिरौती दिये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

उक्त घटना में 7 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें तीन अभियुक्त बुलन्दशहर, तीन मेरठ तथा एक अभियुक्त गाजियाबाद का है, इन अभियुक्तों में चार की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया; शेष दो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रजा टेक्सटाइल्स कपड़ा मिल रामपुर को चलाने की मांग

46–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की कपड़ा मिल, रजा टेक्सटाइल्स कब से बन्द है ? क्या सरकार उसे पुनः चलाने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद रामपुर की कपड़ा मिल, रजा टेक्सटाइल्स दिनांक 23-9-91 से बन्द है । मिल को चलाने के संबंध में वार्तायें की गयी हैं परन्तु उनमें कोई सफलता नहीं मिली । वर्तमान में मिल का मामला

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष होने के कारण शासन स्तर से अलग से मिल चलाने के संबंध में कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

थाना इन्चार्ज की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति की मांग

47–श्री राम करन आर्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के थाना इन्चार्ज नियुक्त होने का क्या आधार है ? प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन है ? क्या आरक्षण के अनुसार पुलिस थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि नियुक्ति की जायेगी तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश संख्या–11496/आठ–2-1000(196)/73, दिनांक 21-12-73 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 10 प्रतिशत थानों के प्रभारी पद पर थाना इन्चार्ज नियुक्त करने का प्राविधान है ।

प्रदेश में 1432 थाने स्वीकृत हैं ।

जी हां । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद मथुरा में अनुसूचित जाति को प्रदान किया आग्नेयास्त्र लाइसेंसों की संख्या विवरण

48–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद में अनुसूचित जाति के सदस्यों को वर्तमान थानावार विभिन्न लाइसेंसी हथियारों की संख्या क्या है ? कितने प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन है ? सामान्य श्रेणी के लोगों को दिये गये शस्त्रों की संख्या का यह कितने प्रतिशत है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मथुरा मे अनुसूचित जाति के सदस्यों के लाइसेंसी हथियारों की थानेवार संख्या निम्नलिखित है :–

नाम थाना	शस्त्र लाइसेंसों की संख्या
1	2
कोतवाली	22
सदर बाजार	10
यमुनापार	47
रिफाइनरी	15
गोवर्धन	35
बरसाना	37
कोसीकला	95
माँट	32

1	2
नौहझील	45
सादाबाद	161
वृन्दावन	39
नरहौली	85
फरह	36
मगोरा	21
छाता	26
शेरगढ़	20
राया	47
सुरीर	30
बल्देव	14
सहमऊ	40

शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र के निर्धारित प्रारूप में जाति का उल्लेख किये जाने हेतु कोई कालम नहीं है, जिससे यह बता पाना सम्भव नहीं है कि अनुसूचित जाति के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ।

9.5 प्रतिशत ।

49–श्री लाल बहादुर सिंह–

[4थे गुरु० में अता० प्र० सं०–70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के थाना कोतवाली बीकापुर के अन्तर्गत सवर्णों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कथित अत्याचार

50–श्री परशुराम यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना कोतवाली बीकापुर अन्तर्गत ग्राम मंगारी, निवासी अनुसूचित जाति के श्री नंगू को स्थानीय सवर्णों द्वारा प्रताड़ित किये जाने की घटना पर कार्यवाही करने और घटना की पूरी जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी, फैजाबाद ने पत्र संख्या 2311/93, दिनांक 21-12-93 परगनाधिकारी, बीकापुर को भेजा है ? क्या इसी विषय पर प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 23-12-93 को प्रेषित कोई पत्र परगनाधिकारी, बीकापुर को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, फैजाबाद एवं प्रश्नकर्ता द्वारा परगनाधिकारी, बीकापुर को प्रेषित पत्रों का बिन्दुवार विवरण क्या है ? इन पत्रों पर परगनाधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी हां ।

श्री राम सरन, राम सुन्दर, रामराज, पुत्रगण राम लाल तिवारी व विन्दे नरसिंह पुत्रगण राम सरन तिवारी द्वारा दिनांक 19-12-93 की रात्रि में श्री नंगू के घर में आग लगा दी थी इस संबंध में जिलाधिकारी ने अपने पत्र/आदेश दिनांक 21-12-93 में परगनाधिकारी, बीकापुर को निर्देशित किया कि सख्त वैधानिक कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय । इसी विषय वस्तु से संबंधित मा० विधायक जी/प्रश्नकर्ता का भी पत्र था ।

जांच के दौरान प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज किये जाने की बात कही । घटना के संबंध में दिनांक 26-12-93 को थाना-बीकापुर में प्राथमिकी पंजीकृत करा कर कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

51–श्री परशुराम यादव–

[4थे बुध० में अता० प्र० सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील पुरवा जनपद उन्नाव में पूर्व घोषणा के अनुसार आई० टी० आई० खोले जाने की मांग

52–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार में मुख्य मंत्री की हैसियत से उन्नाव जिले के पुरवा तहसील केन्द्र पर आम जनता को सम्बोधित करते हुए आई० टी० आई० केन्द्र खोले जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र अब उनकी सरकार में कब तक खुल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

प्रश्नगत आई० टी० आई० की स्थापना वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर है । फिलहाल इसे खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में विगत 6 माह में घटित घटनाओं का विवरण

53–श्री रणधीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में विगत 6 माह में कितनी हत्यायें प्रतिमाह पुलिस रिकार्ड में दर्ज हुई हैं ? जनपद में अपराधों में आयी रिकार्ड वृद्धि को रोकने के लिए जिला प्रशासन की विफलता के कारण क्या हैं ? शासन ने वहां पर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत जनपद में विगत 6 माह में प्रतिमाह में हुई हत्याओं का विवरण निम्नवत् है :-

अगस्त, 1993	34
सितम्बर, 1993	37
अक्टूबर, 1993	33
नवम्बर, 1993	24
दिसम्बर, 1993	41
जनवरी, 1993	35

जनपद में अपराधों में आयी वृद्धि की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा सक्रिय एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन को विफल कहा जाना उचित नहीं है।

जी हां। जनपद स्तर पर अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक योजनायें तैयार की गयी हैं जिनको समय-समय पर प्रभावी–कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के गृह विभाग में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की आरक्षण स्थिति का विवरण

54–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० शासन के सम्पूर्ण गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षण स्थिति वर्तमान समय में क्या है ? यदि विभिन्न श्रेणियों में कम आरक्षण है तो आरक्षण की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश स्तर पर जनवरी, 1994 तक सजायाफ्ता बन्दियों की संख्या का विवरण

55–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जेलों में जनवरी, 1994 की तारीख में कुल कितने सजायाफ्ता बन्दी सजा काट रहे हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन्हें जेलों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

दिनांक 1 जनवरी, 1994 को प्रदेश की कारागारों में सजायाफ्ता बन्दियों की संख्या 5313 थी।

सुविधाओं के संबंध में <u>विवरण संलग्न है।</u>

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 174 पर)

थाना बल्दीराय सुल्तानपुर में अंकित अपराध संख्या 323/93 के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही की जानकारी

56–श्री मित्रसेन यादव-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ० सं० 323/93, थाना बल्दीराय, सुल्तानपुर में घटित घटना की कोई प्राथमिकी अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो अंकित रिपोर्ट का विस्तृत विवरण क्या है ? क्या कोई अभियुक्त जांच कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? छानबीन के दौरान अभियुक्तों के बयान से घटना की प्रकृति के कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ? उसके अनुसार शासन द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राथमिकी के अनुसार श्रीमती तहरुलनिशा, पुत्री बीपत थाना बल्दीराय, सुल्तानपुर में अपने मायके में काफी दिनों से मकान बनाकर रह रही है । उसके घर के सामने से कल्लन पुत्र अलाउद्दीन से रास्ते का विवाद चल रहा है । यह पंचायत में तय हो चुका था तथा उनके घर के लिए रास्ता छोड़ दिया गया था । इसी पृष्ठभूमि में उसके लड़के इजराइल की जो मकान के अन्दर सो रहा था दरवाजे की बिलाड़ी तोड़कर गोली मारकर हत्या कर दिया तथा उसे व उसकी मां को लाठी-डण्डे से मारा ।

जी हां । इद्रीस, कल्लन, जब्बार व इकबाल नामजद अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं ? विवेचना से दो अज्ञात अभियुक्तों का पता नहीं चला है ।

अभियुक्त इद्रीस को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कल्लन, इकबाल व जब्बार हाजिर अदालत होकर जेल गये ।

अभियुक्तों ने अपने बयानों में जुर्म से इन्कार किया है । मामला अभी विवेचनाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना बल्दीराय जिला सुल्तानपुर में अंकित अपराध संख्या 464/93 धारा 304 ए में प्रगति की जानकारी

57–श्री मित्रसेन यादव-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ० सं० 464/94, धारा 304 ए के अन्तर्गत कोई मुकदमा थाना बल्दीराय, जिला सुल्तानपुर में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें की प्रकृति क्या है ? उक्त मुकदमें की छानबीन के दौरान क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त घटना का विस्तृत विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि उक्त घटना घटित को सही रूप से न दर्ज करके छोटा किया गया है और तथ्यों को छिपाया गया है ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की लाखन सिंह पुत्र श्री बचनी सिंह निवासी अटेसुवा द्वारा कुछ अन्य लोगों के हथियारबन्द सहयोग से बाजार अजरायल खेड़ा में मारपीट किये जाने की घटना

58–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम अजरायल खेड़ा ब्लाक बिछिया, थाना अजगैन के अन्तर्गत दिनांक 21-1-94 को लाखन सिंह पुत्र श्री बचनी सिंह, निवासी ग्राम अटेसुवा अपने स्वयं के असलहों एवं 15 अन्य बिरादरी के असलहों से लैस होकर ग्राम अजरायल खेड़ा को घेर कर आतंक मचाया है ? क्या श्री राम शंकर यादव व श्री अमरपाल यादव आदि द्वारा लगवायी जा रही बाजार अपने ग्राम अजरैल खेड़ा में दुकानदारों को आतंकित कर मारपीट कर अपने ग्राम अटेसुआ उठा ले गये ? यदि हां, तो क्या इससे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी श्री लाखन सिंह व अन्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री लाखन सिंह पुत्र श्री बचनी सिंह दिनांक 21-1-94 को अपनी बन्दूक एवं दो व्यक्तियों के साथ बाजार अजरायल खेड़ा गये थे वहां मारपीट की थी ।

जी नहीं, बल्कि श्री लाखन सिंह द्वारा ग्राम अजरायल खेड़ा से ग्राम अटेसुवा बाजार लगाने हेतु दुकानदारों से मारपीट की गयी थी । बाजार नहीं उठायी गयी है ।

जी नहीं, क्षेत्र में स्थिति शान्तिपूर्ण है तथा बाजार भी यथावत् लग रही है ।

इस घटना के संबंध में मु० अ० सं० 39/94 धारा 429/323/504/506 भा० दं० वि० विरुद्ध लाखन सिंह व अन्य दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के मध्य अभियुक्त लाखन सिंह को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया है तथा उसका लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही भी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में पुलिस द्वारा दलितों एवं पिछड़ी जाति पर अत्याचार की शिकायत

59–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त दलित एवं पिछड़े वर्गों पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि उन्नाव जनपद में पुलिस प्रशासन उक्त वर्ग पर आतंक बनाये हुए हैं ? क्या दिनांक 8-1-94 को 12 बजे दिन में ग्राम हुसैननगर, जनपद उन्नाव निवासी श्री बचनआ पुत्र श्री पुत्ती लाल को 20 दिन तक थाना कोतवाली में बन्द करके उसे शारीरिक यातना दी गयी है ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं। श्री बचन्ना को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही थाना कोतवाली लाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

60–श्री राकेश सचान–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली में परिवर्तन की मांग

61–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में तैनात पुलिस की वर्तमान कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसमें कौन-कौन से परिवर्तन अपेक्षित हैं तथा सरकार इन परिवर्तनों पर कब तक निर्णय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में बरगढ़ फ्लोट ग्लास फैक्ट्री के निर्माण को पूरा करने की मांग

62–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या सरकार को जानकारी है कि मऊ मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन बरगढ़ फ्लोट ग्लास फैक्ट्री का निर्माण कार्य पैसे के अभाव में लगभग ठप्प पड़ा है ? यदि हां, तो उपरोक्त फैक्ट्री के निर्माण में अंशधारक के रूप में उ० प्र० राज्य खनिज निगम अपना क्या उत्तरदायित्व निभा रही है ? क्या राज्य सरकार उस फैक्ट्री के शीघ्र निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से भी कुछ मदद ले रही है ? यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार से कब तक इस बारे में सम्पर्क करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के माध्यम से केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से परियोजना के वित्त पोषण, परियोजना की लागत में कमी एवं सह-प्रवर्तक के चयन में सहयोग का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स लिमि०, ऐशबाग का नाम नन्देश्वर फ्लोर मिल्स बदलने के कारण काम से हटाये गये पुराने श्रमिकों को सेवा में लिए जाने की मांग

63–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स लि० ऐशबाग, लखनऊ का नाम बदलकर उसी मिल को नन्देश्वर फ्लोर मिल्स के नाम से दिनांक 13-3-89 से चलाया गया है ? यदि हां, तो मिल चालू होने पर पुराने श्रमिकों में से कितने कर्मचारियों को काम पर रखा गया ? कितने नये कर्मचारियों की भर्ती की गयी और किन-किन तिथियों में ? क्या यह भी बतायेंगे कि पहले से कार्यरत कर्मचारियों को काम पर क्यों नहीं लिया गया ? क्या श्रम विभाग द्वारा इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । प्रश्नगत परिसर में मेसर्स वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स लि०, ऐशबाग लखनऊ नाम से चल रहा था । यह कारखाना सेवायोजकों की नोटिस दिनांक 11-4-88 के अधार पर पर दिनांक 20-6-88 से बन्द कर दिया गया और श्रमिकों की छटनी कर दी गयी । पश्चात् दिनांक 13-3-89 से उसी परिसर में नन्देश्वर फ्लोर मिल के नाम से एक नये प्रबन्धक द्वारा कारखाना चलाया गया । नये कारखाना में मेसर्स वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल कोई भी छटनीशुदा कर्मचारी कार्य पर नहीं लिया गया । मेसर्स नन्देश्वर फ्लोर मिल में सभी नये कर्मचारी भर्ती किये गये । इस प्रतिष्ठान के बन्द हो जाने के कारण उक्त प्रतिष्ठान में भर्ती किये गये नये श्रमिकों की संख्या एवं तिथियों का विवरण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । मेसर्स नन्देश्वर फ्लोर मिल लखनऊ के सेवायोजकों द्वारा वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल लि० लखनऊ के कर्मचारियों को कार्य पर न लिए जाने का कारण यह बताया गया है कि नन्देश्वर फ्लोर मिल एक स्वतन्त्र एवं अलग कारखाना है और इसका वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल से कोई संबंध नहीं है अतः वह वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल के छटनीशुदा कर्मचारियों को लेने पर बाध्य नहीं हैं । सेवायोजकों द्वारा बताये गये कारणों की वैधानिकता का परीक्षण कराया गया एवं तदोपरान्त प्रकरण के विवादास्पद पाये जाने के कारण इसे औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ को संदर्भित किया जा चुका है ।

वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स कर्मचारी संगठन मालवीय नगर लखनऊ द्वारा मिल मालिक के विरुद्ध उप-श्रमायुक्त के यहां दिये गये आवेदन

64–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल कर्मचारी संगठन, 56/6 मालवीय नगर, ऐशबाग, लखनऊ के महामंत्री श्री वी० डी० श्रीवास्तव, द्वारा दिनांक 6-4-89 को श्री वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स, लि० ऐशबाग, लखनऊ के सेवायोजकों के विरुद्ध उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 15 व 16 के तहत कानूनी कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र उप-श्रमायुक्त, लखनऊ, 23, ए० पी० सेन रोड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र पर श्रमायुक्त द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । सेवायोजकों द्वारा वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल की बन्दी एवं छटनी तथा उक्त मिल के छटनीशुदा कर्मचारियों को नन्देश्वर फ्लोर मिल में न लिये जाने के संबंध में दानों पक्षों में वार्ता करायी गयी । वार्ता में सहमति न होने के कारण इस विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ को संदर्भित किया जा चुका है ।

उप-श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र लखनऊ द्वारा वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स को कर्मचारियों के हित के संबंध में दिये गये आदेश

65–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-6-89 को श्री वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल्स कर्मचारी संगठन के प्रार्थना-पत्र पर उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ को यह आदेश दिया गया था कि "पुराने कर्मचारियों को काम पर वापस बुलवाये और यदि वे काम पर पहले से कार्यरत कर्मचारियों को नहीं लेते हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया जाय" ? यदि हां, तो उक्त आदेश के पालन हेतु श्रम विभाग एवं उप श्रमायुक्त ने क्या कार्यवाही की ? यदि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । आदेश के अनुपालन में दोनों पक्षों में वार्ता करायी गयी । वार्ता में सहमति न होने के कारण कारखाने की बन्दी छटनी तथा नन्देश्वर फ्लोर मिल में वेंक्टेश्वर फ्लोर मिल के पुराने कर्मचारियों को कार्य पर न लिये जाने का विवाद विधिक परीक्षण हेतु न्यायाधिकरण (2) लखनऊ को संदर्भित कर दिया गया है । जहां तक कर्मचारियों को वापास न लेने पर मुकदमा चलाए जाने का प्रश्न है उल्लेखनीय होगा कि उक्त पृष्ठ-भूमि में श्रमायुक्त स्तर पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 15 व 16 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करते हुए विधिक परीक्षण कराया गया तथा विवादास्पद होने के कारण सम्प्रति सेवायोजकों के विरुद मुकदमें की कार्यवाही को उपयुक्त नहीं पाया गया ।

ग्राम सभा तरछापार. पो० बिल्थरा रोड उभांव जिला बलिया के निवासी निजामुद्दीन के घर पर चोरी का मामला

66–श्री राम लखन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा तरछापार, पो० बिल्थरा रोड, थाना उभांव, जिला बलिया के निवासी श्री निजामुद्दीन के घर पर दिनांक 25 जुलाई, 93 को रात्रि को चोरी हुयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त चोरी में सम्मिलित एक चोर श्री विजई जो गांववासियों के सहयोग से बाद में पकड़ लिया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त चोर ने अपने और दूसरे साथियों को जो उक्त चोरी में सम्मिलित होने व स्वयं रहने की बात तत्कालीन थानाध्यक्ष उभांव व चौकी इन्चार्ज सीयर के सामनै, नाम व पता सहित बतायी थी ? यदि हां, तो उक्त चोरी में कौन-कौन चोर सम्मिलित थे और अब तक उन्हें गिरफ्तार न करने व नामजद न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार तत्कालीन थानाध्यक्ष को दण्डित करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । विजई मुसहर पुत्र देचन मुसहर, साकिन पतनारी को दिनांक 18-8-93 को शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर भेजा गया था । उससे स्वयं उसके व अन्य चोरों के विषय में जो उक्त चोरी में सम्मिलित हो, पूछ-ताछ से कोई जानकारी नहीं हुई । चोरी के मुकदमें में अन्त तक कोई चोर प्रकाश में नहीं आया अतः विवेचना समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० अतहर अली सभासद नगर महापालिका मुरादाबाद पर कटघर थानान्तर्गत हुए जानलेवा हमले के अपराधी पकड़े जाने की मांग

67–श्री सतीश भाटिया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० अतहर अली, सभासद, नगर महापालिका, मुरादाबाद पर दिनांक 9 सितम्बर, 1993 को कटघर थानान्तर्गत, जनपद मुरादाबाद में हुए जानलेवा हमले में अब तक कितने अपराधी पकड़े गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि जो अपराधी नहीं पकड़े गये वे कब तक पकड़ पकड़ लिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिह यादव–

संदर्भित मामले में अभियुक्त मशकूर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण नसीम, शमीम, सरबर व मसरुर ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अभियुक्त अफसर के विरुद्ध धारा 82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी ।

अभियुक्त अफसर पुत्र जमील की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं ।

डा० अतहर अली सभासद नगर महापालिका मुरादाबाद को सुरक्षा व्यवस्था की मांग

68–श्री सतीश भाटिया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० अतहर अली, सभासद, नगर महापालिका, मुरादाबाद पर कटघर थानान्तर्गत 9 सितम्बर, 1993 को जानलेवा हमले के बाद उनको दी गयी सुरक्षा व्यवस्था क्यों हटा ली गयी है ? उक्त डा० अतहर पर पुनः हमला होने की दशा में कौन-कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्री अतहर अली को स्थानीय स्तर से सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त थी । चूंकि श्री अली की सुरक्षा व्यवस्था शासन द्वारा स्वीकृत नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप शासन के सामान्य आदेश के अन्तर्गत जिला प्रशासन ने दिनांक 24-1-1994 को सुरक्षा वापस कर ली गयी । पुनः जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 7-2-94 को उनके जीवन भय को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद एवं सक्रिय सी० आई० ए० के एजेन्टों की गतिविधियों के रोकथाम की मांग

69–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में आतंकवादी गतिविधियों की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या आई० एस० आई० के एजेन्ट इस राज्य में भी सक्रिय पाये गये हैं ? क्या ऐसे तत्वों द्वारा फिरौती के लिये अपहरण की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो उसे रोक पाने में पुलिस की विफलता का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आतंकवाद को गतिविधियां पर्याप्त नियंत्रित है।

जी हां।

जी नहीं। आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं में कमी हुई है। आई०एस०आई द्वारा अपहरण की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पशु चिकित्सालय, कुचेसर रोड, गाजियाबाद के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

70–श्री गजराज सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 31-1-94 को सचिव, पशुपालन विभाग को एक पत्र राजकीय पशु चिकित्सालय, कुचेसर रोड (चौपाल), जनपद गाजियाबाद के किराया न मिलने के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो क्या अस्पताल का किराया दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त के संबंध में दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां।

आंशिक किराये का भुगतान किया जा चुका है।

माह मार्च 1993 में रु० 5,000.00 का भुगतान किया जा चुका है। शेष किराये के भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण की जांच की जा रही है, यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

उद्योग के क्षेत्र में आरक्षण सुविधा को लागू करने की मांग

71–श्री बशीर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में आरक्षण सुविधा के तहत पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत अनु०जा० को 22.5 प्रतिशत व अल्पसंख्यक मुस्लिमों को उद्योग लगवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि उक्त लोगों को उद्योग लगवाया जाना है, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, उद्योग लगाने हेतु आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

उद्योग लगाने हेतु दी जा रही सुविधाओं में, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये औद्योगिक आस्थानों में प्लाट व शेड आवंटन हेतु आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एकीकृत मार्जिन मनी व जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी में भी अनुसूचित जाति के लिये धनराशि मात्राकृत की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के लिये आरक्षण प्राविधानित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन बजट का कम हिस्सा दिये जाने की शिकायत तथा भेदभाव समाप्त करने की मांग

72–श्री प्रणतपाल सिंह–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संख्या में अधिक होने के बावजूद लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को बड़े समाचार पत्रों की तुलना में विज्ञापन बजट का कम हिस्सा मिल पाता है ? यदि हां, तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र आगरा में जुलाई 1993 में घटित घटना में मृतक होमगार्ड आश्रितों तथा घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

73–श्री प्रणतपाल सिंह–

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड जिला प्रशिक्षण केन्द्र आगरा पर जुलाई, 1993 में प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुई दुर्घटना में मृतक होमगार्डों के आश्रितों तथा घायलों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां, होमगार्ड जिला प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा पर जुलाई, 1993 में प्रशिक्षण के दौरान हुई दुर्घटना में मृतक/घायल होमगार्डों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण निम्नवत् है :–

मृतक का नाम	आर्थिक सहायता की धनराशि
1–स्व० सतप्रकाश शर्मा	रु० 25,000/-
2–स्व० प्रेमचन्द्र शर्मा	रु० 25,000/-
3–स्व० प्रीतम सिंह	रु० 25,000/-

घायल होमगार्ड का नाम	आर्थिक सहायता की धनराशि
1–श्री केरन सिंह	रु० 2,000/-
2–श्री मानो (मान सिंह)	रु० 2,000/-
3–श्री राजवीर सिंह	रु० 2,000/-
4–श्री सीताराम	रु० 2,000/-
कुल आर्थिक सहायता	योग रु० 83,000/-

उत्तर प्रदेश खनिज विभाग द्वारा पट्टा दिये जाने में कोटा का प्रतिशत पूरा करने की मांग

74–श्री बशीर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खनिज विभाग द्वारा दिये जाने वाले पट्टों में अनु० जाति का 22.5 प्रतिशत, पिछड़ी जाति 27 प्रतिशत व अल्पसंख्यक का निर्धारित आरक्षण कोटा का प्रतिशत पूरा किया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टों के आरक्षण का कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह–

खनिजों के पट्टे भारत सरकार द्वारा बनाये गये खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में तथा उसके अधीन बनी खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 से नियन्त्रित होते हैं । नियमों में इस प्रकार के आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है ।

ओ०सी०आर० विधायक निवास के पास चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर में अनुरक्षण अव्यवस्था की शिकायत

75–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित ओ०सी०आर० (विधायक निवास नं०–3) के सर्वेन्ट क्वार्टर्स में विगत तीन वर्षों से पानी आदि की दयनीय अवस्था को देखते हुए इसमें अब तक सुधार न किये जाने का क्या कारण है ? पानी की सुचारू व्यवस्था, टूटी लैट्रिन को शीघ्र बनाये जाने हेतु कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पानी की पर्याप्त आपूर्ति हेतु अलग से टंकी हेतु रु० 44,550/- का आगणन प्राप्त हुआ है जो धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हो सका है । टूटी लैट्रिन की समस्या का निदान कर दिया गया है ।

76–श्री हृदय नारायण–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव के पुरवा तहसील में आई०टी०आई० केन्द्र खोले जाने की घोषणा के कार्यान्वयन की मांग

77–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 मार्च, 1991 को उन्होंने उन्नाव जिले की पुरवा तहसील केन्द्र पर सार्वजनिक घोषणा की थी कि पुरवा में एक आई० टी० आई० केन्द्र खोला जायेगा ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक खुल जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत आई०टी०आई० की स्थापना वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर है । फिलहाल इसे खोला जाना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती रानी श्रीवास्तव राधा कुण्ड थाना कोतवाली जिला गोण्डा का दहेज उत्पीड़न का मामला

78–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रानी श्रीवास्तव पत्नी श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी 303 राधा कुण्ड, थाना कोतवाली, जिला गोण्डा का महिला एवं दहेज उत्पीड़न संबंधी प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-1-94 प्रमुख सचिव, गृह उ०प्र० शासन, लाखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर अब तक जांच एवं कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मामले में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा जांच करायी गई तथा इस संबंध में मुकदमा, अन्तर्गत धारा 498ए०/494/302 भा०द०वि०, 3/4 दहेज अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गोण्डा में कायम किया गया है जो कि विवेचनाधीन है ।

संयुक्त निदेशक प्रभारी मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय उ०प्र० के विरुद्ध चल रही जांच

79–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशक के संयुक्त निदेशक/प्रभारी निदेशक के विरुद्ध शिकायतों की जांच सतर्कता से कराये जाने संबंधी उच्च शिक्षा मंत्री का पत्र दि० 30-12-93 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जांच न कराये जाने विषयक टिप्पणी उद्योग अनु०–8/उप सचिव, भारी उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आपातकाल 1975 में छः माह से अधिक समय तक कारागारों में निरुद्ध व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समान सुविधा दिये जाने की मांग

80–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार वर्ष 1975 के आपातकाल में छः माह से अधिक निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान सुविधायें प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान मीसा/डिसिर तथा डी०आई०आर० में निरुद्ध बन्दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में नहीं आते हैं । अतः इस प्रकार के राजनैतिक बन्दियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने का कोई प्रश्न नहीं है ।

पिछड़ी जाति के आरक्षण प्रतिशत से अनुसूचित जाति के कोटा में कमी की आशंका

81–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 1992 तक अनुसूचित जाति संवर्ग को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त था ? मण्डल कमीशन के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को प्रदान करने के बाद कितना आरक्षण रह जायेगा ? क्या मंडल कमीशन की अनुसंशाएं लागू करने से तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति की सेवाओं का प्रतिशत कम हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूरा करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्रमशः .18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत मण्डल कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्ग हेतु लोक सेवाओं और पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य करने के पश्चात कुल आरक्षण प्रतिशत 50 प्रतिशत हो गया है, जिनमें से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये निम्न प्रकार आरक्षण प्रतिशत निर्धारित है :–

(1) पिछड़ा वर्ग–27 प्रतिशत

(2) अनु० जाति–21 प्रतिशत

(3) अनु० जनजाति–02 प्रतिशत

जी नहीं । उपरोक्त व्यवस्था द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षण में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ मंडल में इनामी अपराधियों की संख्या की जानकारी

82–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि 31 जनवरी, 94 तक प्रदेश में घोषित इनामी अपराधियों में आधे से अधिक मेरठ मण्डल के हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मेरठ मण्डल मे अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

83–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

[दि० 1-3-94 को ता० प्र० सं० 1 नत्थी (का) द्वारा उत्तरित]

राजकीय सीमेन्ट निगम के घाटे पर चलने के प्रमुख कारण

84–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राजकीय सीमेन्ट निगम कितने घाटे में चल रहा है ? घाटे के प्रमुख कारण क्या हैं ? क्या इसके निराकरण हेतु सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991-92 तक निगम की कुल संकलित हानि 207 करोड़ रुपये हैं । वर्ष 1992-93 में अनन्तिम खातों के अनुसार 45.35 करोड़ रुपये की हानि अनुमानित है । निगम में घाटा होने के प्रमुख कारण हैं स्थापित उत्पादन क्षमता का कम उपयोग, उत्पादन लागत का अधिक होना, कार्यशील पूंजी की कमी, कोयले की क्वालिटी खराब होना तथा लाइम स्टोन का मार्जिनल किस्म का होना । निगम के पुनरोद्धार का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद् (बी०आई०एफ०आर०) को संदर्भित किया गया है जिसके निर्देशानुसार परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है ।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील चम्पावत के नरियाल गांव में पशु प्रजनन केन्द्र की योजना

85–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के चम्पावत तहसील स्थिति नरियाल गांव में पशु प्रजनन केन्द्र की कोई महत्वाकांक्षी योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ हुई और इस योजना में अभी तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

यह योजना वर्ष 1987-88 से प्रारम्भ हुई और इस योजना में वर्ष 1992-93 तक कुल रुपया 36.00 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है ।

मृतक आश्रित के कोटे में चयनित सब-इन्सपेक्टर को प्रशिक्षण दिये जाने की मांग

86–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में मृतक पुलिस कर्मियों के 144 आश्रितों को माह अप्रैल, 1993 में नागरिक पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रशिक्षण दिलवाकर नियुक्ति कर दिया जायेगा ? क्या चयनित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा मा० उच्च न्यायालय में इस संबंध में कोई रिट दाखिल की गयी थी, जिसके संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक निदेश सरकार को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस की नियुक्ति पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से निर्धारित कैडेट कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री ओम प्रकाश सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सीतापुर के प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता व विद्वान अधिवक्ता श्री बाबू राम बाजपेयी के हत्या के जिम्मेदार लोगों को दण्डित करने की मांग

88–श्री दौलतराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता व विद्वान अधिवक्ता स्वर्गीय श्री बाबू राम बाजपेयी की माह जून, 1991 में हुई हत्या से जुड़े किन-किन मामलों पर सरकार द्वारा सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये गये थे ? विवेचना में प्रमुख अभियुक्त कौन-कौन से

पाये गये ? इन अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सी० आई० डी० द्वारा क्या-क्या संस्तुतियां की गयी हैं ? क्या उक्त संस्तुतियों के आधार पर दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त जांच में किसी व्यक्ति की अपराध लिप्तता तथा उसके द्वारा अपराधियों को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाना पाया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध शासन द्वारा अनन्तिम रूप से कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्व० श्री बाबू राम बाजपेयी की माह जून 1991 में की गयी हत्या के अभियोग अपराध संख्या 276/91 एवं उससे संबंधित अभियोग अपराध संख्या 77/91. 95/91. 96/91 एवं 442/91 थाना कोतवाली महोली जनपद सीतापुर की विवेचनायें शासन द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट की गयी ।

दिल्ली सिंह, मंगू, श्रीकृष्ण, राजकुमार उर्फ राजू एवं विपिन बिहारी बाजपेयी एडवोकेट विवेचना से प्रमुख अभियुक्त पाये गये ।

विपिन बिहारी बाजपेयी एडवोकेट के शस्त्र लाइसेन्स को निरस्त किये जाने एवं आरक्षी राम चन्द्र मौर्य थाना महोली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की अपराध शाखा द्वारा संस्तुति की गयी और उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद आरोप-पत्र भेजा गया ।

विपिन बिहारी बाजपेई के 32 बोर रिवाल्वर व दो नाली कारतूसी बन्दूक के निरस्तीकरण के संबंध में अपराध शाखा की संस्तुति के आधार पर शासन के आदेशानुसार जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा दिनांक 24-2-94 को दोनों शस्त्र अनुज्ञप्तियां निरस्त कर दी गयी हैं तथा कान्स० श्री मौर्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

श्री बाजपेई व उनके सहयोगियों के क्रियाकलापों पर स्थानीय पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है एवं उनके तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध वैधानिक परिधि के अन्तर्गत रहते हुये कार्यवाही स्थिति अनुसार सुनिश्चित की जायेगी । इनके दोनों शस्त्र लाइसेस निरस्त किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूराम बाजपेई हत्या काण्ड से संबंधित संदेह अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध शाखा की जांच से कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया जिसके कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी । शेष मामलों में अभियुक्तों के विरुद आरोप-पत्र भेजा.जा चुका है ।

जनपद जालौन में भवन विहीन पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

89–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में ऐसे कौन-कौन से पशु स्वास्थ्य केन्द्र है जो भवन विहीन हैं ? क्या ऐसे पशु स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कैसी ? ऐसे भवनों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री मनोहर लाल–

जनपद जालौन में 3 पशु चिकित्सालय (न्यायतपुर, गोहन, चेकपोस्ट बंगरा) तथा 16 पशु सेवा केन्द्र (पराहन, शेखपुर अहीर, सिरसा दोगढ़ी, सिरसा कलार, ईंटों, खरूसा, सिद्धपुरा, उदनपुर, पहाइगांव राहिया, हरदन्द्रपुर, अतरेहती, कनासी, खक्सीस, मुसमरिया, मुंवा) ऐसे हैं जो वर्तमान में भवन विहीन हैं।

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है। जिला योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष आवंटित परिव्यय के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से भवनों का निर्माण कराया जाता है और तद्नुसार इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जानी है।

श्री ए० के० सिंह अवर अभियन्ता ग्रामीण आवास विकास परिषद् के साथ मारपीट की घटना की जानकारी

90–श्री अक्षयवर भारती एवं श्री महबूब अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण आवास परिषद् लखनऊ के किसी अवर अभियन्ता को दिनांक 28-12-93 को संबंधित कार्यालय तथा गोमती नगर क्षेत्र में मारने पीटने तथा अभद्र व्यवहार करने के इरादे से कार्यालय के कुछ अन्य लोगों द्वारा हमला किया गया ? यदि हां, तो संबंधित के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में दिनांक 30-12-93 को थाना गोमती-नगर लखनऊ में कोई लिखित सूचना संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा दी गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार श्री ए०के० सिंह अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 28-12-93 को कथित घटना के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र थाना गोमतीनगर पर भेजा गया। इस प्रार्थना-पत्र में हमला किये जाने जैसी घटना का कोई उल्लेख नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र गोमतीनगर पर भेजा गया।

प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच से मामला विभागीय स्तर पर दलगत राजनीति व आपसी वैमनस्यता का पाया गया जिसमें पुलिस कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

91–श्री अक्षयवर भारती एवं श्री महबूब अली–

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती नरगिस खान पत्नी डा० ए० ए० खान निवासी हर्षनगर कानपुर द्वारा प्रमुख गृह सचिव जिलाधिकारी कानपुर को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्रीमती नरगिस खान पत्नी डा० ए०ए० खान, निवासी 111/465 हर्षनगर, कानपुर का पत्र दिनांक 7-10-92 प्रमुख गृह सचिव एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस संबंध में श्रीमती नरगिस खान का बयान अभिलिखित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित प्रार्थना-पत्र उपलब्ध होना नहीं पाया जाता है । डा० अरमान अली खान की सूचना दिनांक 30-9-92 के आधार पर थाना नजीराबाद पर मु० अ० सं० 463/92 धारा 504/506 भा०दं०वि० अभियुक्त राकेश बाजपेई के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की गयी । मामले में साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गयी ।

श्रीमती नरगिस खान का प्रार्थना-पत्र उपलब्ध न होने के कारण उनका बयान अंकित नहीं किया गया ।

थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात चौकी इंचार्ज अरौल के विरुद्ध श्री कैलाश चन्द्र कटियार प्रवक्ता डी० एस० एन० कालेज उन्नाव का शिकायती-पत्र

93–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–27/94, धारा 380/457 भा०द०वि० थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात के विवेचक श्री राधेश्याम निगम, चौकी इन्चार्ज अरौल के विरुद्ध श्री कैलाश चन्द्र कटियार प्रवक्ता, डी० एस० एन० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, उन्नाव का शिकायती पत्र दिनांक 17-1-94 पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से उपनिरीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों की नियमित नियुक्ति की मांग

94–इंजी० राम लोटन सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के कुल कितने पद हैं ? क्या स्वीकृत पदों के विरुद्ध अनुसूचित जातियों/जन जातियों का कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ? ऐसे कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं, जिनकी अनुभाग अधिकारी के पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति नहीं की गयी है, जबकि उनसे इस पद का कार्य लिया जा रहा है ? क्या इनकी नियमित नियुक्ति किए जाने में कोई शासकीय आरक्षण नियम बाधक है ? यदि हां, तो कौन और कैसे ? यदि नहीं, तो इनकी नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में सम्प्रति अनुभाग अधिकारी के 357 पद हैं । (संवर्गीय 355 तथा निःसंवर्गीय 2)

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों तथा अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

अनुसूचित जाति के 28 कर्मचारी अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रवर वर्ग सहायक के रूप में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों तथा अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल नियमित नियुक्ति संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में सब-इन्सपेक्टर एवं उससे ऊपर के अधिकारियों का विवरण

95–श्री छोटे लाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस में कुल सब-इन्सपेक्टर तथा उनके ऊपर के कुल कितने अधिकारी नियुक्त हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इन्सपेक्टर तथा उनके ऊपर के कुल अधिकारियों की संख्या–11,193 हैं ।

अनुसूचित जाति के 2189, पिछड़ी जाति के 1557 तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 530 हैं।

भारतीय पुलिस सेवा व प्रादेशिक पुलिस सेवा को छोड़कर शेष संवर्ग में आरक्षण कोटा पूरा है। भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के संबंध में भारत सरकार सक्षम है। राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय-समय पर अधियाचन भेजे गये हैं।

उ० प्र० सी० आई० डी० विभाग में सब-इन्सपेक्टर से ऊपर के पदों में आरक्षण कोटा का विवरण

96–श्री छोटे लाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सी० आई० डी० पुलिस में सब-इन्सपेक्टर तथा उनके ऊपर के कुल कितने अधिकारी नियुक्त हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश में सब-इन्सपेक्टर तथा उनके ऊपर के कुल अधिकारियों की संख्या–217 हैं।

अनुसूचित जाति के 50, पिछड़ी जाति के 24 तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 6 नियुक्त हैं।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग कोई अलग संवर्ग वाला पुलिस दल नहीं है, अपितु यह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक अभिन्न अंग है।

अतः अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग में नियुक्त अधिकारियों में अनुसूचित जाति के लिये अलग से आरक्षण का कोटा निर्धारित नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

97–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

दुद्धी पुलिस द्वारा सोनभद्र द्वारा शम्भूनाथ एडवोकेट आदि की पिटाई का मामला

98–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में दुद्धी कस्बे में दिनांक 6-1-94 को शम्भूनाथ एडवोकेट और तोफिक खां को दुद्धी पुलिस छोटक यादव, मृत्युजंय राय, बंशनारायण राय तथा दुद्धी कोतवाली के ड्राइवर द्वारा पीटे जाने का क्या कारण था ? क्या इस पिटाई के विरोध में दुद्धी बार-एसोसियेशन के अधिवक्तागण, डाक्टर्स, व्यापारी, दुकानदारों ने दुद्धी का शनिवार बाजार बन्द रखा तथा अधिवक्तागण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये ? क्या दिनांक 10-1-94 को दुद्धी के अधिवक्तागण पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को उक्त घटना के संबंध में ज्ञापन भी दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच सी० आई० डी० द्वारा करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस पिटाई में सम्मिलित दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच कराई जा रही है । जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सकती है ।

जी हां ।

अधिवक्तागण द्वारा दिये गये ज्ञापन पर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र व अध्यक्ष, दुद्धी बार-एसोसियेसन के साथ मौके पर जाकर जांच किया । मौके पर कोई पब्लिक के गवाह साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुए । इसलिए पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना की मजिस्ट्रीयल जांच कराने हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र से अनुरोध किया गया, जिस पर प्रकरण की जांच परगना मजिस्ट्रेट, पिपरी को सौंपी गयी ।

प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच कराई जा रही है । अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है । जांच के पश्चात् जो भी लोग दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तीन साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

99–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों (वन निगम, जलागम, जल संस्थान, जल निगम इत्यादि) में दैनिक कर्मचारियों जिनकी सेवायें तीन वर्षों से अधिक हो गयी हैं ? क्या उनको नियमित करने का निर्णय सरकार लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

चूंकि दैनिक वेतन प्रणाली को प्रोत्साहन न देने की शासन की नीति है ।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरा करने हेतु शासन से स्पष्ट नीति की घोषणा की मांग

100–श्री बचनूराम पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग का आरक्षण देने की सरकार की नीति क्या है ? इस संबंध में सरकार प्रतियोगिताओं में सामान्य रूप से अब तक हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी कोटे में शामिल मानेगी ? क्या सरकार आरक्षण लागू करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–5 सन् 1994 प्रख्यापित कर लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया गया है :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में 21 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में 02 प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में 27 प्रतिशत

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–4 सन् 1993 में शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। इसके अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित है।

अध्यादेश संख्या–5 सन् 1994 की धारा 3(6) में यह व्यवस्था की गयी है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उक्त अध्यादेश की उपधारा 3 (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

प्रश्नगत अध्यादेश/अधिनियम में सुस्पष्ट व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

[12 बजकर 35 मिनट पर]

पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, जिस प्रश्न को लेकर सदन को स्थगित करना पड़ा...

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, हमें सुन लें..

श्री अध्यक्ष–

मा० नेता विरोधी दल खड़े हो गये हैं, मैं आपको सुनूंगा।

*श्री कल्याण सिंह–

उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि यह पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित प्रश्न है और शासन की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया इस नाते से माननीय सदस्यों में असंतोष होना स्वाभाविक था। इस पर मा० श्री शिव प्रताप शुक्ल व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल ने लिखकर नियम 48 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है। आपसे प्रार्थना है कि इस बिन्दु को अभी और आगे न बढ़ाते हुए नियम 49 में इस पर चर्चा करा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जो विषय इस सदन में था, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह पत्रकारों की सुविधा से जुड़ा हुआ, लेकिन जो माननीय सदस्य पीलीभीत कहना चाहते हैं, सुविधायें तो दूर रहीं पत्रकारों के घोर उत्पीड़न की पीलीभीत की घटना को बताना चाहते हैं। मान्यवर, पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे थे, पत्रकार श्री अवस्थी जो दैनिक जागरण पीलीभीत के हैं उनके बारे में था। चुनाव के बाद कुछ बैलेट पेपर्स उन्होंने पकड़े थे उनकी रिपोर्टिंग किया था उस खबर से जिला प्रशासन बौखला गया था। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया गया। यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ, जिलाधिकारी द्वारा फर्जी मुकदमा कायम कराया गया और किसी पत्रकार को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय सदस्य ने भी जिलाधिकारी के कुछ कारनामों का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने साले के नाम फर्जी पट्टे लिखे, वे बिहार के रहने वाले हैं, उनके नाम शस्त्र के लाइसेंस जारी कर दिये। विधायक जी ने इस सब बातों को उठाया था। वह खबर छपने के बाद, उन काले कारनामों के छपने के बाद, उनकी ओर से तानाशाही आदेश दिये गये कि कलेक्ट्रेट कैम्पस में कोई पत्रकार नहीं घुसेगा।

पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, आप सुविधा देने की बात कर रहे हैं। यह विषय गंभीर है। जो पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है, झूठे मुकदमें कायम हुए हैं, उनको वापस होना चाहिये। जिलाधिकारी के इस आदेश को कि कलेक्ट्रेट परिसर में कोई पत्रकार नहीं घुसेगा, यह जो तानाशाही पूर्ण आदेश है, इसको वापस होना चाहिये। उत्पीड़न के सवाल पर जवाब नहीं आया। सुविधा की जो बात है वह तो नहीं दी जा रही है, यह जो उत्पीड़न हो रहा है, झूठे मुकदमें कायम हो रहे हैं और जिलाधिकारी अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गयी, अब समाप्त करें।

श्री किरनपाल सिंह–

इस विषय पर मंत्री जी से तुरन्त जवाब दिला दें मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिये। माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा है, यह महत्वपूर्ण सवाल है, जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उन पर अत्याचार हो रहा है इस प्रदेश में, इस पर श्री बी० एन० सिंह जी ने भी लिखकर के दे दिया है, आप कृपया चर्चा कराने की बात स्वीकार कर लें।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जनता दल के किरन पाल सिंह ने जो बातें उठायीं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, आज प्रश्न यह नहीं है कि पत्रकारों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं, मेरे दल की यह निश्चित मान्यता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ, जो पत्रकारिता माना जाता है, को स्वतंत्रतापूर्वक और निष्पक्ष होकर कार्य करने दें। अगर उसको आप इस तरह कार्य नहीं करने देंगे, तो वह खतरे में पड़ जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की बात अभी कही गयी । वहां के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वहां पर कोई नहीं आ सकता और पीलीभीत में जो डी० एम० भ्रष्टाचार किया था उसके खिलाफ पत्रकार ने आवाज उठायी तो उसको बन्द कर दिया गया । मान्यवर, जब पत्रकारों की कलम सुरक्षित नहीं रहेगा, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह सकता है ? एक ओर तो पत्रकारों को सुविधा देने की बात की जा रही है वहां दूसरी ओर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है तो पत्रकार भी निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पायेंगे ।

मान्यवर, कलम की ताकत ने ही देश को आजादी दिलायी और आज भी बिना किसी सुविधा और सुरक्षा के कलम लिख रही है । तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा करे । इसी बात के साथ मैं माननीय किरनपाल सिंह जी ने जो बात कही है उस पर बल देता हूं और यह भी चाहता हूं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़ा निर्देश दें कि पत्रकारों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए, उन्हें अपने कर्तव्य पालन के लिए वह अच्छा वातावरण बनाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह क्या है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो प्रकरण चल रहा है उस पर मेरा निवेदन है । मान्यवर, पत्रकारों के उत्पीड़न, उनकी सुरक्षा और सुविधा से संबंधित प्रश्न सदन के सामने आया । यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि जब सदन के समक्ष कोई प्रकरण आ जाये तो उस पर चर्चा करायें या अन्यथा निर्णय दे सकते हैं । मेरा निवेदन आपसे यह है कि एक जगह पर सीमित न रखकर पत्रकारों के उत्पीड़न, उनकी सुरक्षा और सुविधा पर चर्चा की अनुमति दे दें और समय निर्धारित कर दें ।

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, नियम–49 के अन्तर्गत मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं । मान्यवर, चूंकि पत्रकारिता का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है अतः इसे दृष्टिगत रखते हुये इस पर एक घंटे की चर्चा की अनुमति देने का कष्ट करें ।

*श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, नियम–49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करायें, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

पीलीभीत में दैनिक जागरण के पत्रकार अवस्थी जी हैं, उन्होंने प्रशासन के बारे में छापा था, चुनाव के बाद कि बैलेट पेपर बाहर मिले थे । तो प्रशासन ने उनको दंडित करने के लिये पहले बुलाया, डांटा । उसके बाद उन्होंने फिर छापा तो डी० एम० खुद उनके घर जाकर उनकी गिरफ्तारी करके, हथकड़ी लगवाकर ले आये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

क्या चर्चा हो रही है ? माननीय जुआंठा जी कुछ कहना चाहेंगे, जितने लोग कहना चाहें, मैं सुनूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हां, मैं सुनूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही भावावेश में आकर चलाना उचित नहीं है। माननीय सदस्य तो अपनी बात रखेंगे, निर्णय आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सबको समान अधिकार है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल ने प्रश्न संख्या-10 पर उस समय, जब माननीय मंत्री जी से अनुपूरक सवाल किया था तो न तो उसका जवाब मिला था और न श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह का मिला था ...

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, एक प्रश्न के उत्तर में यहां विधान सभा में वाकआउट हुआ और अनेक माननीय सदस्यों ने नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा की मांग की, उस विषय पर आपका निर्णय सुरक्षित होगा। अभी इस समय समझ नहीं आ रहा है कि क्या चर्चा-शुरू हो गयी है ? अगर शुरू हो गयी है तो माननीय मंत्री जी का उत्तर चर्चा के हिसाब से आना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें तैयारी समय चाहिए। यह विषय बहुत गंभीर है और उत्तर प्रदेश के सारे पत्रकारों से जुड़ा है। मैं पत्रकार रहा हूं और हूं। अगर आपको चर्चा करानी है तो आपको इसके लिए कोई तिथि-दिन नियत करना पड़ेगा और यदि प्रश्नोत्तर वाली बात है तो प्रश्नोत्तर समय खत्म हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी चर्चा का विषय बना दिया गया है। तो आप अगर एक व्यक्ति दो व्यक्ति के अलावा 4-4 लोग चाहेंगे, तो मैं 20 को भी अनुमति दूंगा। जैसा आप चाहें, जो मनमाने तरीके से करें, ऐसा नहीं होगा। सबको अधिकार समान हैं, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मैं सबकी बात सूनूंगा और उसके बाद निर्णय करूंगा।

(पुनः श्री हृदय नारायण के खड़े होने पर)

श्री हृदय नारायण जी, आप बैठ जायें। मैं निर्णय करूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी से अब नहीं पूछूंगा।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, वह तो आपका अधिकार है

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था करूंगा। अब इतने लोगों ने बोला है, अब मैं मंत्री जी से क्या पूछूं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक प्रश्न के उत्तर से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं थे और बहिर्गमन किया गया। मान्यवर, नियम जिस प्रकार के हैं, पुराने लोगों को भी उसकी जानकारी है और आप भी सदन को नियमों से चलाते है। यदि आप किसी कारण से यह कहते हैं कि सब लोग चर्चा करिये तो नियम सारे भंग हो जायेंगे और सदन की गरिमा क्या रह जायेगी ? अब अगर माननीय सदस्य किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और चर्चा चाहते थे, जिसके लिये उन्होंने लिखकर भी दिया है, तो चर्चा आप अवश्य करायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, सरदार जी की व्यवस्था मैने सुनी। माननीय सरदार जी आप स्वयं यह बताइयेगा कि जब तय हो गया था कक्ष में, हमारे यहां कि इस तरह से माननीय सदस्य कह देगें और उसके बाद मैं निर्णय दे दूंगा, उसके बाद भी 2-3-4-5 सारे लोग उस पर बोलना शुरू कर देंगे तो मैं किसको मना कर दूंगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उस पर आपको अंकुश लगाना चाहिये।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, वैसे तो आपको सर्वोपरि अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों के बावजूद आप, हम सब नियमावली से बंधे हुये हैं। नियमावली के नियम 26 से 50 तक प्रश्नों के सन्दर्भ में नियम बने हुये हैं। नियम–49 के अन्तर्गत कुछ माननीय सदस्यों ने आपको सूचना दी। मान्यवर, आप नियम–49 देख लें। नियम–49 में आपको अधिकार है कि आप इसको स्वीकृत करेंगे और दिन-तिथि नियत करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियमावली में यह कहीं नहीं दिया है कि जो व्यक्ति सूचना दे, उस पर आप चर्चा शुरू करा दें । चर्चा से पहले आप अनुमति देंगे । आप भी नियमावली से ही चलेंगे, हम भी चलेंगे । आपके कक्ष में जो भी तय होता है, उसको सदन में बोलते हैं । अब यदि इस तरह परम्परा टूटती रहेंगी तो सदन का समय बेकार होगा । हम तो महत्वपूर्ण बिन्दु प्रदेश की जनता के बीच उठाना चाहते हैं । मान्यवर, यदि आपकी कोई नाराजगी है तो दूर कर लें । आप तो शिक्षक रहे हैं और आजकल हम लोगों के गुरू समान हैं । हम यही चाहते हैं कि यह सदन नियमावली के अन्तर्गत चले ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल साहब की व्यवस्था मैंने सुनी । अग्रवाल साहब ने कहा कि जब तय हो गया तो व्यवस्था आपको देनी चाहिये, समय नष्ट नहीं होना चाहिये । मैं पूरी तरह इसी बात को लेकर,आप लोगों के सहयोग से हमेशा यही चाहता रहा हूं कि सदन का समय व्यर्थ में नष्ट न हो और हमारे माननीय सदस्यों के अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरित हो जायें और उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी हो जायें । इस प्रश्न पर भी मैंने करीब 10 मिनट का समय दिया, 3 मिनट की जगह । इतना समय इसलिये दिया क्योंकि यह अति महत्व का प्रश्न था । अतिमहत्व का होने के कारण, हमारे पत्रकार साथियों से जुड़ा होने के कारण मैंने 10 मिनट का समय दिया । मैंने उसके बाद कई बार सदन में घोषणा की, मैंने स्वयं कहा कि अगर कोई सार्वजनिक हित का महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है, तो आप नियम–49 में दे दीजियेगा, मैं उस पर चर्चा भी करवा दूंगा । लेकिन उसके बावजूद भी इस बात पर अड़ जाना कि पहले उत्तर आ जाय, हम सदन नहीं चलने देंगे तो सदन कैसे चलेगा ? कैसे उत्तर आयेंगे ? दूसरी बात, जब कोई बात तय हो जाय उसके बाद सदन में अनेकानेक लोगों को बोलने की जरूरत नहीं थी । जिन लोगों ने लिखकर दिया था.....

एक सदस्य–

हमको मालूम नहीं कि आपके कक्ष में क्या तय हुआ था ?

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता लोगों से बात होती है, सभी माननीय सदस्यों से नहीं हो सकती । यदि आप इस तरह चाहेंगे तो कभी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती । प्रश्न संख्या–10 के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह जी ने लिखा है, उन्हें असन्तोष था कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया और उसी तरह से हमारे माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी, जिनका मूल प्रश्न था, उनको भी असन्तोष था । हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है, मैं इस पर विचार कर लूंगा । श्री शिव प्रताप शुक्ल जी ने लिखकर दिया है । इस प्रकार तीन माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया हैं । मैं नियम 301 को ले रहा हूं ।

प्रश्नों का पूर्ण उत्तर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं, सदन को चलने दीजिये, मैं पूरे दिन आपको ही सुनता रहूंगा । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता रहा हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई बात न कहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप पूरी बात तो कम से कम सुन लें, अभी आपने मेरा नाम पुकारा भी था कि प्रश्नों के बारे में कौन सी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । आप मान्यवर, इतनी देर में भूल गये ? व्यवस्था का प्रश्न आपकी अनुमति लेकर के उठाया है, अगर आप अनुमति दें तब तो उठाऊं, नहीं तो बैठ जाऊं ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया प्रश्नों के सम्बन्ध में । जब मैंने कह दिया कि यदि आप प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो लिखकर दे दीजिये उस पर चर्चा करा लूंगा तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, आप क्यों बार-बार उस चीज को उठा रहे हैं ।

श्री रामआसरे वर्मा–

मान्यवर, कह दीजिए कि अनुमति नहीं देंगे । मान्यवर, मैंने लिखकर भेजा,आपसे अनुमति चाही,आप उस पर कह दें कि अनुमति नहीं देंगे, मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपने जो प्रश्नों के सम्बन्ध में लिखकर दिया है और व्यवस्था आपने उठायी है, वह सारी की सारी बात तो मैंने कह दी है, आपने जो पूछा है वह बता दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

.मान्यवर, जो प्रश्न पत्रकारों के बारे में चल रहा था, उसके बारे में नहीं है । मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न किसी अन्य प्रश्न के सम्बन्ध है, अगर आप अनुमति दें तो मैं रख दूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं और मैंने सभी मंत्रियों को एक परिपत्र भेज दिया है और समय-समय पर कहता भी रहा हूं कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर पूरा-पूरा आना चाहिए, जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट हों ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की "देवरिया जनपद के विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की बसें न चलने एवं खराब होने के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।"

दूसरी सूचना श्री पारस नाथ यादव जी की है जो जौनपुर के क्षेत्र बरसठी में कठवतिया घाट बरूवा नदी पर पूर्व स्वीकृत निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है जो वाराणसी नगर के विभिन्न पार्कों की दयनीय स्थिति में सुधार तथा पार्कों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी जी की है जो जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण इलाके ढालवाला, तपोवन आदि को हरिद्वार प्राधिकरण के क्षेत्र से अलग करने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी की है जो ग्राम कुमाल्ट तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में अनुसूचित बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री रंगनाथ जी की है जो वाराणसी जनपद के खमरिया टाउन एरिया में घोर बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है और सातवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी जी की है जो गाजियाबाद सिटी बोर्ड की सीमा के अन्तर्गत सुभाष नगर नई आबादी, धूकना मोड़ में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

अब प्रतीक्षा सूची में केवल दो नाम हैं, पहला श्री इन्द्रदेव सिंह जी का और दूसरा श्री हृदय नारायण जी का। श्री इन्द्रदेव सिंह का विषय है, जनपद बिजनौर में ओला वृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में। श्री हृदय नारायण जी का विषय है उन्नाव जनपद में कुओं, हैण्डपम्पों का जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में। अब जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं, उनका नाम लूंगा। सर्वश्री राजकुमार शिवहरे, मन्नू लाल कुरील, बचनूराम पटेल, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, सर्वश्री मयंकर सिंह, चरन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, सुरेन्द्र सिंह नेगी, प्रणतपाल सिंह, गया चरन दिनकर, प्रेम सिंह, सुन्दर लाल लोधी, राम प्रसाद टण्टा, हरेन्द्र सिंह मलिक, डा० राम बाबू हरित एवं श्री महाबीर सिंह।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुयी मान ली गयीं)

जनपद देवरिया के विभिन्न मार्गों पर रोडवेज बसों की संख्या कम होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[महोदय, देवरिया जनपद प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, मार्गों के हिसाब से 115 बसें कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश बसों के समय सीमा पार होने से बसों की संख्या कम हो गई जो रही है, वह भी रास्ते में खराब हो जा रही है, तथा पहले से संचालित मार्ग जैसे-देवरिया से करौन्दी

---

* नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो बिहार सीमा पर पड़ता है, बन्द कर दी है, जिससे यात्रियों को लगन के समय से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन हेतु कोई व्यवस्था नहीं है ।

अतएव इस लोक, महत्व के मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समाधान चाहता हूं ।]

जनपद जौनपुर के बरसठी क्षेत्र में कठवतिया घाट बसुही नदी पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पारस नाथ यादव–

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बरसठी के तरफ आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से दो नदियों के मध्य में स्थित है नदी के तट से बनारस जनपद का भदोही क्षेत्र पड़ता है भदोही क्षेत्र कालीन उद्योग में विश्व के मानचित्र में अपना एक स्थान रखता है क्षेत्र पिछड़ा एवं गरीब होने के नाते छोटे-छोटे किसान मजदूर अपनी जीविका के लिए खाली समय में कालीन की बुनाई का भी कार्य करते हैं कालीन की बुनाई के सामानों को लेने हेतु नदी के इस पार से उस पार तक प्रत्येक दिन जाना पड़ता है इतना ही नहीं बरसठी क्षेत्र का कुछ हिस्सा बसुही नदी के दूसरे तरफ भी पड़ता है राजनैतिक तरीके से भी आवागमन में बड़ी असुविधा पड़ती है ।

पूर्व में हमारी सरकार ने कठवतिया घाट वरुणा नदी पर पूर्वांचल निधि से धन आवंटित किया था उसका शिलान्यास भी मेरे द्वारा किया गया था लेकिन सरकार के भंग हो जाने के कारण भाजपा की सरकार ने उस पुल का निर्माण रोक दिया था, क्षेत्रीय जनता के आन्दोलन पर पुल का निर्माण प्रारम्भ किया गया लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है बसुही नदी पर दिप्रावा घाट पर भी जिला योजना में साढ़े 7 लाख रुपया देकर पुल की स्वीकृति की गई थी लेकिन अभी तक सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल पुल निर्माण प्रारम्भ कराते हुए पूरा कराने की मांग करता हूं ।]

वाराणसी नगर में पार्कों की दयनीय स्थिति में सुधार तथा हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

[महोदय, वाराणसी नगर में व्यवस्थित पार्कों की अत्यन्त कमी है । जो हैं, उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था का घोर अभाव है, कालोनियां बनने के बाद उनमें नियमानुसार पार्कों हेतु स्थान छोड़े गये परन्तु धीरे-धीरे प्रभावी दबंग लोगों द्वारा उन पर कब्जा होता जा रहा है और कुछ तो बाद में बाहरी लोगों द्वारा बेचे जाने की घटना प्रकाश में आयी है । संबंधित विभाग तथा पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बेनिया पार्क (राजनारायन पार्क) के अन्दर स्थित एक मात्र बाल उद्यान की चहारदीवारी टूट गयी है और उसके अन्दर कब्जे की दृष्टि से लोगों ने गाय भैंस बांधना प्रारम्भ कर दिया है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त एक मात्र बाल उद्यान की चहारदिवारी का निर्माण कराकर उसमें बच्चों के खेलने के आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु तथा अन्य पार्कों की जांच कराकर उनके समुचित रखरखाव की व्यवस्था किये जाने हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल, जिलाधिकारी वाराणसी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को शासन द्वारा निर्देशित किया जाय।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण इलाके के दालथला तपोवन आदि को हरिद्वार प्राधिकरण क्षेत्र से अलग करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मातवर सिंह कन्डारी–

[महोदय, जनपद टिहरी गढ़वाल के कुछ ग्राम ऋषिकेश की सीमा से जुड़े हैं . इनके नाम दालथला 14 बीघा, मुनिकीरेति, तपोवन, सिसम झाड़ी है, इन गांवों को हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने अपनी सीमा के अन्तर्गत ले लिया है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण इन्हें नक्शा पास करने से परेशान करता है जनता बार-बार अनुरोध करती आ रही है, उक्त ग्रामों की हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से अलग किया जाए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया दालथला, 14 बीघा मुनिकीरेति, तपोवन, सिसम झाड़ी आदि ग्रामों को हरिद्वार विकास प्राधिकरण से अलग किया जाए। क्योंकि यह इलाका पूर्ण रूप से ग्रामीण है।]

अल्मोड़ा जिले की तहसील रानीखेत के ग्राम कुमाल्ट में हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

[महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

महोदय ग्राम कुमाल्ट पो० ओ० कपड़ा तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में एक हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण काफी अरसे से चल रहा था। अचानक 1988 से लकड़ी के पोल जर-जर हो जाने के कारण नष्ट हो गये जिस कारण उक्त हरिजन बस्ती 1988 से विद्युतीकरण से वंचित रही है। उक्त ग्राम वासियों ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में लिखित एवं मौखिक सूचना देने के उपरान्त भी उक्त हरिजन बस्ती को विद्युतीकरण का सुधार नहीं किया गया जो बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुसूचितों के लिए खुलेआम नीतियों के खिलाफ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अनुसूचित के पूर्णतया अपेक्षित है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं। ताकि यह माननीय सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर उक्त गांव को विद्युतीकरण से लाभान्वित कर सके।]

जनपद वाराणसी के खमरिया टाउन एरिया में घोर बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रंगनाथ–

[महोदय, खमरिया टाउन एरिया 30 हजार के ऊपर की आबादी वाला नगर है जहां पर पहले दो छोटे ट्रांसफारमर से काम लिया जाता था किन्तु कनैक्शन उधर ज्यादा दे दिये गये किन्तु ट्रांसफारमर वही पुराने ही रहे। जिससे लोड पड़ने पर बिजली ट्रिप हो जाती है, और कभी-कभी ट्रांसफारमर भी जल जाता है। जिससे महीनों नगर अंधकार में डूबा रहता है और इस कारण पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिये बड़े के० बी० के ट्रांसफारमर लगाने से ही वहां की समस्या दूर होगी। नगर में बिजली की दर का भी दोहरा मापदण्ड रखा गया है, किसी से 40 यूनिट महीना तो किसी 100 यूनिट महीना लिया जाता है, जबकि जो गरीब हैं, वह दो बल्ब जलाता है, उससे भी उतना यूनिट का पैसा लेते हैं, जितना फ्रिज, टी० वी०, ए० सी० चलाने वालों से लिया जाता है। जबकि लोग मीटर लगवाना चाहते हैं, किन्तु मीटर नहीं लगाया जा रहा है। टाउन एरिया से लगा ग्राम सहसेपुर कठारी, बिट्ठलपुर है, जिसको बिजली दूसरे जनपद मिर्जापुर चील फीडर से देते हैं तथा बनारस जनपद के इस गांव के साथ चील्ह फीडर से भेदभाव बरता जाता है, बिजली की कम सप्लाई की जाती है। जबकि इस गांव का बिल और मेंटीनेंस बनारस के औराई फीडर से होता है। इसलिये उक्त तीन गांव को खामरिया टाउन एरिया से जोड़ दिया जाना जनहित में आवश्यक है।]

गाजियाबाद सिटी बोर्ड की सीमा के अन्तर्गत सुभाषनगर नई आबादी धूकनामोड़ में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

गाजियाबाद सिटी बोर्ड की सीमा के अन्तर्गत सुभाष नगर नई आबादी, धूकना मोड़ में गांव से आ रहे गंदे पानी का जल भराव हो गया है जिससे बीमारी फैलने व मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इस आबादी में अधिकतर अनुसूचित व पिछड़ी जाति के गरीब लोग रहते हैं। सिटी बोर्ड ने जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को अनेकों बार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने व जल भराव को पम्प करके निकालने का अनुरोध किया है। वरिष्ठ स्वास्थ्य

नोटः–* [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी ने पानी पम्प कराकर निकालने के स्थान पर गलत आरोपों के साथ निवासियों को नोटिस जारी कर दिये है जिससे नागरिकों में रोष व्याप्त हो गया है ।

कृपया तत्काल जल निकासी कराने की व्यवस्था कराने की कृपा करें तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित कराने का कष्ट करें ।]

जनपद लखनऊ के ग्राम खरिका निवासी श्री अनिल यादव के अपहरण किये जाने एवं उसकी हत्या किये जाने के संबंध में 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–311 की सूचनायें आज जो आई हैं और उनमें ग्राह्यता पर जो नोटिस आई हैं, उनमें से कुछ सूचनायें ऐसी हैं जिनका नियम–311 से कहीं बहुत दूर तक का संबंध नहीं है उन्हें भी सदन में पढ़कर सुनाऊंगा । जिन्हें मैं ले रहा हूं उसमें सबसे पहली सूचना जो दी गयी है उनमें श्री कल्याण सिंह, माननीय नेता विरोधी दल, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्रीराजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ला, श्री सतीश भाटिया, और श्री सत्य प्रकाश विकल जी की है । माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने दल के दो सदस्यों से विचार प्रकट करने के लिये कह दें या फिर स्वयं विचार करें पहले या बाद में । निर्धारित समय ही दिया जायगा, दस–पन्द्रह मिनट सम्भव नहीं है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, पहले उनके सदस्य बोल लेते, फिर नेता विरोधी दल अपनी बात कहते ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

यह ठीक है । मैं संक्षेप में अपनी बात रखे दे रहा हूं । श्रीमन्, इस सदन में ध्वस्त कानून व्यवस्था के बारे में अनेक बार चर्चा हुयी है ।

मान्यवर, जब-जब भी कानून व्यवस्था के संबंध में इस आदरणीय सदन में चर्चा हुई है, तब-तब माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो उत्तर दिये गये हैं, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में राम-राज आ गया है । मेरा तो आज भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है । आये दिन हत्याओं व डकैतियों का सिलसिला जारी है । श्री अनिल यादव, ग्राम-खरिका, निवासी-थाना कैण्ट, जनपद-लखनऊ का 5 मार्च, 1994 को दिन दहाड़े अपहरण हो गया । यह व्यक्ति बी० जे० पी० का कट्टर समर्थक था । अपहरणकर्ता मारूती कार में आये थे । वहां की स्थानीय जनता ने जाम लगाया और इस बात की मांग की, कि श्री अनिल यादव को तत्काल खोज करके उसे घर वापस लाया जाय । प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता को विश्वास दिलाया और आश्वासन दिया कि 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर श्री अनिल यादव को खोज करके घर वापस ले आयेंगे ।

श्रीमन्, अनिल यादव को तो खोजा नहीं जा सका, हां, कानपुर में उसका शव अवश्य बरामद हुआ । उसकी हत्या कर दी गई । मेरा आरोप है कि हत्या के पीछे लखनऊ के कुछ माफिया सरगनाओं का हाथ है । ऐसे लोगों का हाथ है, जिसका रास्ता सीधा सत्ता के गलियारे तक पहुंच है । दुर्भाग्य की बात तो यह है कि श्री अनिल यादव के घरवाले उसकी अन्त्येष्टि भैंसा कुण्ड में करना चाहते थे लेकिन समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा यह दबाव डाला गया, कि अगर इसकी लाश को नहर के

किनारे पर ही नहीं जलाया गया तो मृतक आश्रितों को जो सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, वह नहीं मिलेगा । इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी, कि परिवार वालों को भैंसा कुण्ड में अन्त्येष्टि नहीं करने दी गई बल्कि जोर-जबरदस्ती करके उसके शव को नहर के किनारे जला दिया गया ।

श्रीमन्, इसमें एक और दुख की बात यह थी कि जिन्होंने अपहरण किया, उनके कुछ नाम एफ० आई० आर० में भी दर्ज हैं । हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई अपहरणकर्ता नहीं पकड़ा गया है । आज प्रदेश में अपहरण व हत्याओं का दौर जारी है । अभी यहां पर कहा जायेगा कि कानून-व्यवस्था पर तो चर्चा हो चुकी है । बार-बार इस विषय को क्यों उठाया जा रहा है ? श्रीमन्, जिस दिन कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो जाय और उसके बाद यह लगे कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था चुस्त व दुरुस्त हो गयी है और हत्याओं तथा बलात्कार का दौर रुक गया है । .....

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर अपनी बात कहें । इसे तो आप नियम–52 में भी दे सकते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस तरह की घटनायें रोज घट रही हैं । यह एक सनसनीखेज मामला है । पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है । सभी लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । दिन दहाड़े अपहरण हुआ और 7 तारीख को लाश मिली । यह एक गम्भीर विषय है, जिसे हमने 311 के तहत दिया है । इस पर चर्चा करायें ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

श्रीमन्, जब मैं इस सदन से घर गया तो मालूम हुआ कि श्री अनिल यादव का अपहरण हो गया है । हमने जिला प्रशासन से लगातार सम्पर्क करने का प्रयास किया । बड़ी मुश्किल से पता लगा कि वे कहीं इकठ्ठा हैं और मीटिंग कर रहे हैं । श्री अनिल यादव अपनी मिठाई की दुकान में बैठा था, चार लोग आये और उन्होंने एक माफिया के घर का पता पूछा, तो इस पर उसने कहा कि हमें मालूम नहीं है । तो इस पर उन्होंने कहा कि तेरी ये हिम्मत हमसे ऐसा कहने की । इतना कह कर उसे डिग्गी में डालकर ले गये । उनके पिताजी मेरे पास आये और कहा कि मेरे लड़के की जान को खतरा है । हो सकता है अपहरण के बाद मेरे लड़के की हत्या कर दी जाय । हमने जिला प्रशासन से सम्पर्क करने की कोशिश की, तब कहीं जाकर शाम को सम्पर्क हो पाया और उसके बाद वह सक्रिय हुए । जिला प्रशासन ने यह कहा कि हम इसे बरामद करायेंगे । ....मान्यवर, वहां पर लाश मिलने के बाद उनके घर वालों को जिला प्रशासन और विधायक के माध्यम से जबाब मिला और धमकाया गया कि दाह संस्कार के लिये भैंसा कुण्ड नहीं ले जाओगे यहीं जलायेंगे तभी धनराशि मिलेगी नहीं तो मिलने वाली नहीं है और उसे वहीं नहर के किनारे जला दिया गया । इससे पूरे क्षेत्र में अशांति और तनाव व्याप्त है । इस पर मैं जांच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की मांग करता हूं इस पर चर्चा कराई जाय । इस तरह के अपराध प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन के नाक के नीचे हो रहे हैं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो भावनायें माननीय नेता विरोधी दल और उस क्षेत्र के विधायक माननीय रामकुमार शुक्ला जी ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । गम्भीरता का सवाल यह है कि पुलिस इस मामले में निष्क्रिय रही, क्योंकि जब घटना हुई तो उसमें जो लोग बाहर से आये उनके साथ एक लालू राठौर भी था यह बात संसदीय कार्य मंत्री जी की जानकारी में आई होगी । जब कार से अपहरण कर दिया गया तो उसमें लालू राठौर भी बैठे थे । पुलिस ने बहुत देर तक कोई कार्यवाही नहीं की लालू राठौर का घर वहीं पर है । पुलिस ने तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं की ? अगर पुलिस ने लालू राठौर के घर दबिस दी होती, तो तत्काल मिल जाते । इस प्रकार उसे कानपुर ले जाया गया और वहां उसकी हत्या कर दी । उसी दिन वेट्स एण्ड मेजर दफ्तर में एलीबाई बना कर लाश रेलवे ट्रैक में फेंक दी । पुलिस कार्यशील तब हुई जब तमाम लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया था सारे क्षेत्र में उत्तेजना इस मामले से है । इससे व्यापारी वर्ग में भय का वातावरण व्याप्त है कि किसी को पकड़ कर ले जाये और मार दें, तो सरकार कुछ करने वाली नहीं है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर में बता देंगे । आंकड़े देकर कि अपराध कम कर दिये हैं । तो आंकड़े तो कम हो जायेंगे । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं थोड़े दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ गये वहां अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की समस्या पर विचार हुआ और अपहरण की घटनायें कम हुई । लेकिन अब नये तरीके से टेलीफोन पर पैसा वसूला जा रहा है तो इस तरह से पैसा उगाही की वारदात बहुत ज्यादा बढ़ गयी है । सरकार का पुलिस की अकर्मण्यता पर कोई अंकुश नहीं है क्योंकि अपराधशील व्यक्तियों से उनका संबंध है । इन शब्दों के साथ में इस पर बल देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको अधिकार है आप इस पर एक घंटे की चर्चा करा दें जिससे शांति व्यवस्था की हालत पर चर्चा हो जाय ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारने पर) (व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आपने पहले मेरा नाम पुकारा था मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार माननीय सदन कैसे चलेगा ? मैंने पहले ही कह दिया था सब को नहीं बुलाऊंगा । (व्यवधान)

श्री सतीश भाटिया –

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है एक मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मैं अपने दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध कर लूंगा जैसा आपने कहा था दो तीन लोग बोलें, अधिक लोग नहीं बोलेंगे। एक प्रार्थना है चूंकि श्री सतीश भाटिया जी लखनऊ के विधायक हैं इनके क्षेत्र का मामला है और कोई नहीं बोलेगा।

* श्री सतीश भाटिया–

माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद, मैं लखनऊ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं। इससे लगा हुआ तेलीबाग है कैण्ट थाना है। यह जो घटना तेलीबाग में हुई यह दिन के लगभग दो ढाई बजे की है कुछ लोग कार में आये और अनिल कुमार यादव को गाड़ी में बैठा कर ले गये।

उसके बाद हम लोग वहां चले गये और हमारे साथ श्री राम कुमार शुक्ल जी भी थे। वहां पर व्यापारियों ने जब रास्ता जाम किया तो प्रशासन की थोड़ी सख्ती आयी और एस० पी० वहां गये और आश्वासन दिया कि आज रात तक कोई न कोई गिरफ्तार हो जायेगा। मान्यवर, मेरा कहना है कि 5 की रात को यदि कोई गिरफ्तारी होती तो 7 मार्च की सुबह यह जो घटना मालूम हुई, कि उसको मार दिया गया वह न होती। मान्यवर, जिस समय नेता सदन खड़े होकर कहते हैं कि प्रदेश में अपराधिक घटनायें घट रही हैं तो सुनकर आश्चर्य होता है। मान्यवर, आज अपराध की सूचनायें थानों में लिखी नहीं जाती हैं। इस घटना में मैं जब थाने गया तो रिपोर्ट लिखी थी। इसलिये यदि इसी प्रकार से यहां राजधानी लखनऊ में ऐसी घटनायें होती रहीं, तो यहां भी वही स्थिति बनेगी जो गाजियाबाद में है। इसलिये आग्रह है कि इस पर आप चर्चा करायें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मा० नेता विरोधी दल ने जो प्रकरण यहां उपस्थित किया है वह दुखद है कि यहां राजधानी लखनऊ में 5-6 को यह घटना हो गयी। श्रीमन्, अनिल कुमार यादव को लोग मारुति कार में पकड़कर ले गये और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ।

श्रीमन्, मैं मा० नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा, कि उन्हें हर घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। वह आपका कार्यकर्ता था, कहा तो यह और भी दुखद है। राजनीतिक हमारे आपके मतभेद हैं, वह चलते रहेंगे और कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन उसमें सपा का हाथ है ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्रीमन्, इस घटना में मारुति कार बरामद हो गयी है और एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यदि पुलिस ने उसमें कोई असावधानी किया है तो उसको भी देख लेंगे और जिस प्रकार नेता विरोधी दल कहेंगे उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे लेकिन इसमें तत्परता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

से जांच हो रही है । हर चीज में राजनीतिक पुट देने की आवश्यकता नहीं होती है । आप हो सकता है कि नियमों में तोड़ मरोड़कर शासन चलाने में विश्वास करते हों किन्तु हम नहीं ।

श्रीमन्, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है इसलिये हम दुबारा सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं । लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि हत्या अपहरण डकैती हों, इसको हमारी सरकार चुनौती के रूप में लेती है । हम कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं और इसी पर हमें जनता का विश्वास मिला है । यदि सपा का अपराधी होगा तो उसको दण्ड दिया जायेगा। लेकिन आप की तरह संविधान को तोड़-मरोड़ कर शासन चलाकर प्रदेश की स्थिति को खराब नहीं करेंगे । इसलिये तत्परता से इसमें जांच हो रही है और जांच से जो पता चलेगा उसके अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी और यदि प्रशासन की ढिलाई मिलेगी तो उसको भी देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आश्वासन आ चुका है, इसलिए नियम 311 की परिधि में यह सूचना नहीं आती है, इसलिये इसे निरस्त करता हूं ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा बिहार की जनसभा में भाषण के दौरान अपनी हत्या होने की पूर्व आशंका संबंधी बयान दिये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री जगदम्बिका पाल की है । इस पर श्री तिवारी जी अपने विचार प्रकट करें ।

उस पर मैं चाहूंगा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी अपने विचार प्रकट करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना के संबंध में नियमों को शिथिल करके चर्चा कराने की ग्राह्यता पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बहुत गंभीर विषय है, साथ ही चुनौती का विषय है । सर्वाधिक चिन्ता का विषय तो यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और नेता सदन आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने बिहार प्रदेश की एक जनसभा में यह रहस्योद्घाटन किया है कि यदि वह इस बार मुख्य मंत्री न बने होते तो उनकी हत्या कर, करा दी जाती । इसमें प्रश्न यह भी उठता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई साधारण नागरिक नहीं है । वह प्रदेश के एक बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है । समाज और राष्ट्र में उनका अपना एक स्थान है और वह बहुत ही लोकप्रिय है । उन्हें जेड श्रेणी की सर्वोत्तम सुरक्षा मिली हुई है । ऐसे व्यक्ति की हत्या करने वाला व्यक्ति या संगठन बहुत ही मजबूत और अत्यन्त खतरनाक होगा और निश्चित रूप से उससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

देश के अन्य नेताओं और पूरे राष्ट्र को खतरा हो सकता है । यह भी हो सकता है कि यह साजिश देश के बाहर के लोग किसी विदेशी साजिश के तहत कर रहे हों । चिन्ता का विषय इसलिए भी है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत, अत्यन्त गंभीर और चिन्ता का विषय है । इससे आज हमारे प्रदेश में भय की स्थिति पैदा हो गई है, लोग चिन्तित और उद्वेलित हैं और वह जानना चाहते हैं कि कौन सी ताकतें मुख्य मंत्री की हत्या करा देती । यह बात और किसी ने कही होती, तब भी कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन यह बात तो माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं ही कह रहे हैं कि वह मुख्य मंत्री न बने होते तो उनकी हत्या करा दी जाती । तो मान्यवर, मैं इस पर खुली चर्चा चाहूंगा, इसलिए इस पर सभी नियमों को रोककर आप चर्चा करायें । कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी हत्या कराने की साजिश वह साम्प्रदायिक ताकतें कर रही हों या करा रही हों जिन साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ आज वह एक जुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं । उन्हीं ताकतों ने उनके खिलाफ यह साजिश न रची हो । मैं यह जानना चाहता हूं । इस पर चर्चा के माध्यम से कि कहीं यह साम्प्रदायिक तत्व विदेशी शक्तियों के द्वारा उनकी ऐसी हत्या कराकर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही हों कि जिससे देश में एक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो जाय । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर आप जरूर ही चर्चा करायें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, प्रदेश का मुखिया और नेता सदन इस तरीके की बात करे तो उसमें खुद ही गंभीरता हो जाती है । जिज्ञासा आज पूरे प्रदेश की है कि मा० मुलायम सिंह यादव जी ने कौन सा ऐसा कार्य किया, कौन ऐसी बात कही, जिससे उनको लगा कि उनकी हत्या कर दी जाती । कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी इसी तरह से कहा था कि उत्तर प्रदेश में आई० एस० आई० के लोगों ने अपना अड्डा जमा लिया है और वह देश में हिंसा और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं । नेता सदन ने यह घोषणा कि यदि वह मुख्य मंत्री न होते तो उनकी हत्या कर दी जाती । उनकी बात आज अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसके बाद दूसरे विधायको की हत्या का प्रश्न भी उठ सकता है । लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कौन सा ऐसा कृत्य कर दिया, कौन सी ऐसी बात कर दी कि आज उनकी हत्या करना उनके लिए आवश्यक हो गया था । एक बहुत गंभीर प्रश्न इस सदन के सामने और पूरे प्रदेश के सामने खड़ा हो गया है । क्या आज आई० एस० आई० या सी० आई० ए० के लोग उनकी हत्या करना चाहते थे या इसके अलावा अन्य कोई ताकत–साम्प्रदायिक ताकत उनकी हत्या की योजना बना रही थी तो इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग महत्व का प्रश्न है, इसपर चर्चा हो जाय, जिससे सारी सूचनाएं आ जायं और वह ताकतें सामने आ सकें ।

जब उनको गम्भीर खतरा बना हुआ है तो प्रदेश के कितने लोग सुरक्षित हैं, हम विधायकों में कितने लोग सुरक्षित है तो इससे अधिक अविलम्बनीय महत्व का क्या प्रश्न हो सकता है । इसकी महत्ता को देखते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम–311 में यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। हमारे नेता सदन की जिन्दगी खतरे में है । इसलिये यह प्रस्ताव तमाम प्रस्तावों से भिन्न है । यह प्रदेश के मुखिया और सम्मानित सदन के नेता की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है इसलिये भी यह महत्वपूर्ण है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की सार्वजनिक रूप से अपने कथन में स्वीकारोक्ति की है कि यदि वह मुख्य मंत्री नहीं बने होते या उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती तो उनकी हत्या कर दी जाती या वह जेल भेज दिये गये होते । सरकार को बने हुए तीन मास व्यतीत हो गये हैं अब तक सरकार ने इस बारे में पता लगा लिया होगा कि वह कौन सी शक्तियां थीं जो उनकी जान की प्यासी थीं या वह कौन सी शक्तियां थीं जिनकी वजह से उनकी जिन्दगी सुरक्षित नहीं थी । अब तक तो इस बात का पर्दाफाश हो गया होगा ? आज यदि ऐसी शक्तियों का पर्दाफाश नहीं हुआ है तो पूरे प्रदेश के जनमानस के दिल में यही भय है कि जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश के मुख्य मंत्री की जिन्दगी को खतरा बन सकता है तो हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमारी जिन्दगी कैसे सुरक्षित रह सकती है। आज पूरे प्रदेश के जनमानस को एक भय सा महसूस हो रहा है । मुख्य मंत्री होने के नाते आज उनको स्पष्ट करना होगा ..

(एक सदस्य द्वारा पत्रकार दीर्घा में पर्चे बांटे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप पर्चा क्यो दे रहे हैं, क्यों गलत परम्परा डाल रहे हैं ? गलत परम्परा मत डालिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आज मुख्य मंत्री जी को बताना होगा कि जो शक्तियां उनकी जिन्दगी लेने पर लगी हुई थीं क्या उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ कोई जांच बैठायी गई,कठोर कार्यवाही करने के लिये शासन ने कोई अधिकारी को नियुक्त किया ? अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्यों ? मुख्य मंत्री जी की जिन्दगी को जब खतरा है तो आज तक वह शक्तियां क्यों नहीं चिन्हित की गईं जो उनकी जिन्दगी की प्यासी थीं ? ऐसी स्थिति में तो संभव है कि आज भी वह शक्तियां विद्यमान होंगीं । खतरा तो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने पर भी होता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें रेपीटेशन न करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न इसलिये भी है क्योंकि वह इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं 6 तारीख को पटना में उन्होंने बयान दिया है । इस पर सरकार की अविलम्बनीयता बनती है । यह ग्राह्यता की परिधि में आता है इसलिये मैं चाहता हूं कि सारे नियमों में शिथिलता करके इसमें चर्चा करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं स्वयं यह मानता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है। 6 दिसम्बर को पटना में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर,इनके सामने 6 दिसम्बर के अलावा कुछ नहीं है। यह बात 6 मार्च की है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, इसे ठीक किये लेता हूं। 6 दिसम्बर इसलिये याद है क्योंकि 6 दिसम्बर, 1992 ऐतिहासिक दिन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में 6 मार्च को एक बड़ी गंभीर बात कही है।

उन्होंने यह कहा है यदि मैं सत्ता में न आया होता तो या तो मुझे जेल में डाल दिया गया होता या मेरी हत्या कर दी गई होती। भारतीय जनता पार्टी के नाम का उल्लेख था कि भाजपा के लोग जेल में डाल देते या हत्या करा देते।

श्री अध्यक्ष–

यहां जो सूचना दी गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कतई नाम नहीं है।

(शोरगुल)

श्री कल्याण सिंह–

जो वास्तविक है उसे मैं कह रहा हूं। मैं इस विषय की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मैं समझता हूं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे विकास के कार्य हों, चाहे नौकरशाही हो यह इस सरकार की कमर ढीली होने का प्रश्न है। इस नाते जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। मुख्य मंत्री जी बहुत ओछे, बहुत घिनौनी तथा सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए प्रेस के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य मंत्री जी को सदन में रहना चाहिए। वह या तो जो पटना में कहा है उन आरोपों को सिद्ध करें। वह मुख्य मंत्री हैं उनके पास सभी जानकारी होगी। यदि उनके पास कोई जानकारी है कि उनको जान से मारने की साजिश थी तो उस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करना चाहिए अगर नहीं है तो मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह इस तरह के बेहूदा आरोप लगा रहे हैं।

श्री अखिलेश–

बेहूदा शब्द असंसदीय है।

श्री कल्याण सिंह–

यह शब्द संसदीय है । जो आरोप हैं यह सिद्ध करें, नहीं तो मैं मुख्य मंत्री जी के त्याग पत्र की मांग करता हूं । ऐसे घिनौने आरोप इन्होंने लगाए हैं ।

(शोरगुल)

आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है । मेरी आशंका यह है कि मुख्य मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हत्या कराने की तैयारी कर रही है ।

(शोरगुल)

किसी बड़े नेता की हत्या की साजिश की जा रही है इसलिये पहले से आरोप लगा रहे हैं । यदि ऐसा नहीं है तो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए अन्यथा त्याग-पत्र देना चाहिए ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

लोक निर्माण संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, आज मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं अपने कार्यक्रम के दौरे पर गए हैं । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने नियम–311 में जो प्रश्न यहां उपस्थित किया था हम सिर्फ उसकी ग्राह्यता के बारे में मन बनाये थे । इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि प्रश्न वह दिए जाते हैं जिनकी तात्कालिकता होती है ।...

[1 बजकर 35 मिनट]

पटना में वह मुख्य मंत्री बनने से पहले की आशंका व्यक्त कर रहे थे । दूसरे यह समाचार पत्रों के जरिए जानकारी प्राप्त हुई है । समाचार पत्रों का भी यहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता है । यह सदन की परम्परा रही है । श्री प्रमोद तिवारी की एक जिज्ञासा थी, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना दी । श्री मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है । इस देश के जो टूटने का खतरा पैदा हो गया था 6 दिसम्बर के बाद वह खतरा श्री मुलायम सिंह यादव के कारण ही टला । 6 दिसम्बर कोई इतिहास का अच्छा पन्ना नहीं है । यह उत्तर प्रदेश की (तत्कालीन) सरकार की नपुंसकता का प्रतीक है । यह बहादुरी का काम नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

आप दिल्ली सरकार के लिए कह रहे हैं या प्रदेश सरकार के लिए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के हाथ में थी । 30 अक्टूबर को हमारे हाथ में थी ।

(श्री किरन पाल सिंह के टीका-टिप्पणी करने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पहले हम बोल रहे हैं हमारे बाद आपको जो आशंका होगी उसका जवाब हम देंगे । श्रीमन्, प्रदेश के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, कि देश के टूटने का जो खतरा था उसको बचा लिया गया । जो आजादी हजारों लोगों की कुर्बानी और महात्मा गांधी की तपस्या से मिली, उसके छिनने का खतरा हो गया था । श्री प्रमोद तिवारी ने इसीलिए इस सूचना को दिया कि उन शक्तियों का पर्दाफास किया जाय, जिनके कारण मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की जान को खतरा है । माननीय नेता विरोधी दल को इस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए वह भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आज भी हैं । उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह नहीं करना चाहिए । आपने कहा कि मुख्यमंत्री को यहां पर उपस्थित होना चाहिए था । वह आज नहीं है लेकिन जब वह सदन में आयेंगे तो इस बात का आपसे अच्छा जवाब देंगे और हम भी दे सकते हैं । इस बात का इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने प्रतिगामी शक्तियों से लोहा लिया है उनकी जान को खतरा हुआ है । महात्मा गांधी से बड़ा आदमी इस देश में नहीं हुआ है, उनकी जान प्रतिगामी और साम्प्रदायिक शक्तियों ने ली है । आप अपने कार्य काल की याद कीजिए किस तरह से हम लोग घुटन की जिन्दगी जी रहे थे और किस तरह से आप प्रशासन चला रहे थे, यह सारा प्रदेश जानता है ? इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता ने प्रदेश के टूटने का खतरा टाल दिया है । मैं श्री प्रमोद तिवारी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन प्रतिगामी और साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए हमारा साथ दिया । उनकी जो थोड़ी बहुत आशंका है वह केन्द्र सरकार के सहयोग से दूर कर दी जायेगी ।

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है संक्षेप में कहें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से 100 फीसदी सहमत हूं कि 6 दिसम्बर को जो घटना हुयी । प्रदेश सरकार की नपुंसकता और प्रदेश सरकार के निकम्मेपन से हुयी और प्रदेश सरकार इसके लिये दोषी है, इसे काला दिवस कहना चाहिये, स्वर्णाक्षरों में यह लिखे जाने के योग्य नहीं है, संख्या बल के आधार पर यह कार्य किया गया, जो कम संख्या वाले लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ । इस कार्य को मैं कायरता पूर्ण कार्य मानता हूं । लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इनके चुनाव घोषणा पत्र में है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह ग्राह्यता के बारे में नहीं बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो विषय से संबंधित न हो । मान्यवर, घोषणा पत्र में कहा गया है कि देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में कांग्रेस सबसे ज्यादा दोषी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी आपत्ति है । (शोर)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे पास घोषणा-पत्र है जिसमें लिखा है कि इस पूरे देश को सांप्रदायिकता की ओर बढ़ाने में, आग में झोंकने में कांग्रेस आगे है,यह इसमें लिखा है । यह जो बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया है इस संबंध में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 6 दिसम्बर की घटाना के लिये भारतीय जनता पार्टी दोषी है लेकिन उससे ज्यादा दोषी केन्द्र सरकार है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी ।

श्री अध्यक्ष–

अगर विषय से बाहर कहेंगे तो लिखा नहीं जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय वर्मा जी बता दें, कि क्या वह घोषणा-पत्र बदल गया है या वही है । यही मैं कहना चाहता था यह लोग बेकार इतना हल्ला मचा रहे हैं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह कौन होते हैं स्पष्टीकरण देने वाले ?

श्री अखिलेश–

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो उन्होंने "बेहूदा" शब्द का इस्तेमाल किया है । मान्यवर, यह शब्द असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कोई व्यवस्था देने से पहले मेरी बात सुन लें ।

माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय मुलायम सिंह यादव के लिये यह शब्द नहीं कहा । यह शब्द सही है । मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों 1979-84 तक को देखें, उसके अनुसार यह शब्द संसदीय है ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं । मान्यवर, पृष्ठ संख्या 329 देखने की कृपा करें । मान्यवर, ऐसा मामला पहले भी उठ चुका है और अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिया गया है, अगर बेहूदा शब्द किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो वह ठीक नहीं है, असंसदीय है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के किसी कथन के लिए कहा जाय, तो वह ससदीय है । इस पर मान्यवर, अध्यक्ष पीठ ने फैसला दिया है, यह शब्द संसदीय है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वह संसदीय है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय नेता जनता दल, माननीय किरनपाल सिंह ने एक नया प्रश्न उपस्थित किया था, कि समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में यह था कि देश साम्प्रदायिक माहौल को खराब करने में कांग्रेस सबसे ज्यादा दोषी है और इस पूरे देश को सांप्रदायिकता की ओर बढ़ाने में,आग में झोंकने में कांग्रेस आगे है । मान्यवर, इसका उल्लेख इसलिये करना पड़ा, क्योंकि 6 दिसम्बर की घटना का यहां पर उल्लेख आया । 6 दिसम्बर की घटना के लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं, उसका उल्लेख किया गया । अगर 6 दिसम्बर की घटना घटी, तो भा० ज० पा० उसके लिए दोषी है किन्तु कांग्रेस उससे ज्यादा दोषी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं मान्यवर, मुझे गर्व है कि इतने वर्ष पुरानी गुलामी का ढांचा ढहा दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब इस प्रकरण को समाप्त कीजिए ।

नियम–311 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, भा० ज० पा० और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं...

(घोर व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था प्रश्न है । मान्यवर, नियम–311 में जो प्रस्ताव हमारे दल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें ग्राह्यता पर माननीय सदस्यों को सुन लिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ गया, उसके बाद आपका निर्णय आना चाहिए । जिस तरह से अभी माननीय सदस्यों द्वारा केन्द्र पर और केन्द्र सरकार पर, केंन्द्र के प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया गया, तो इस पर सफाई का मौका मिलना चाहिए । जिन लोगों के हस्ताक्षर सूचना पर नहीं हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

[x x x]

(घोषणा-पत्र पढ़ने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता जनता दल, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह नहीं लिखा जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सरदार जी आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, गन्ना किसानों के साथ ज्यादती हो रही है । उनको एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है । समानता के आधार पर पैसा नहीं दिया जाता है । कई चीनी मिलें बन्द हो रही हैं । यह लोग सदन में बोलते हैं और चाहते हैं कि गन्ना किसान बरबाद हो जाये, इस तरह से चीनी मिलें बन्द हो जायेगी ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । शान्ति बनाये रखें । सभी को बोलने का मैं अवसर दूंगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[x x x] यह अंशश्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवधान का प्रश्न है, आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पाल जी आप बैठ जायें। मैं सभी की व्यवस्थायें सुनूंगा। आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

मान्यवर, इस प्रकार से सदन नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

पहले वह खड़े हो गये थे, मैं उनको सुनूंगा और फिर आपको सुनूंगा। आप लोग शांति तो बनायें। कैसे बोलेंगे ?

(घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन कार्यवाही 2 बजकर 25 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

*श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, अभी नियम 311 के अन्तर्गत हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया यह परम्परा इस सदन में रही है कि सदस्यों के अलावा यदि दल का कोई नेता बोलना चाहता है तो उनको प्राथमिकता दी गयी है और उसका उदाहरण आज यह रहा कि 311 में जो हमने नोटिस दिया था उसमें अन्य दलों के नेता के हस्ताक्षर नहीं थे लेकिन परम्परा रही है और नेता बोलते रहे हैं। हमने कोई नेता के बोलने पर रोक लगाने की बात नहीं कही है। लेकिन मेरे दल के श्री प्रमोद तिवारी जो जिस समय कुछ बात कहने के लिए खड़े हुए, तो उनको आपनी पीठ से न पुकार कर अन्य माननीय सदस्य को पुकार लिया गया, तो ऐसा लगा कि हमारी अवहेलना की जा रही है। इस पर मैं आपसी व्यवस्था चाहता हूं। क्योंकि श्रीमन्, हमारे दल पर आक्षेप, लगाया गया इससे हमारा यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि हम उसकी सफाई दें। हमारे श्री प्रमोद तिवारी जी जब खड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हुए तो उनको न बुलाकर अन्य को बुलाया गया। उससे जो परम्परा रही है वह परम्परा टूटी है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्योंकि हमारे दल के, हमारे नेता का नाम ले लिया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। श्रीमन्, दलीय नेता जब बोलेंगे तो उनको बुलाया जायेगा, कि नहीं बुलाया जायेगा, उनको सुना जायेगा कि नहीं।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी ने जिस प्रकरण का उल्लेख किया, आप कार्यवाही दिखवा लें, कहीं किसी नेता पर या किसी पार्टी पर माननीय नेता जनता दल ने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, वह मेरे बड़े भाई हैं, केवल नेता जनता दल ने समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र का एक भाग पढ़ा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यहां कोई ऐसी बात नहीं है,न हमारे दल की कोई मंशा यह रही है कि किसी पर आरोप लगाये लेकिन जो सूचना थी, जो उनका घोषणा-पत्र था उस घोषणा-पत्र को पढ़ दिया वह वास्तव में है।

हमारे दल के नेता ने जानना चाहा है कि क्या उनकी घोषणा-पत्र के प्रतिकूल कोई मंशा बन रही है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं विनम्रतापूर्वक इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक अत्यन्त गंभीर विषय नियम 311 के अन्तर्गत उठाया है जो नेता सदन से संदर्भित था। मान्यवर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसने अपने सर्वोच्च नेताओं को साम्प्रदायिकता के लिए जातियता के लिए, देश की एकता और अखण्डता के लिए बलिदान किया है। हमें इस बात पर गर्व है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा दल कोई ऐसा दल नहीं है जिससे नेता विरोधी दल इतना उत्तेजित दिखे। इससे वह कहावत साबित हो गयी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।

माननीय, महाराष्ट्र में माननीय नेता विरोधी दल का जिस दल से गठबन्धन है अगर वह गोडसे की पूजा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों में असमान गन्ना आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से आज इस सम्मानित सदन में उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर, गन्ना उत्पादक किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपका औचित्य का प्रश्न था लखनऊ दुग्ध डेरी में दूध की कीमत में की गयी बढ़ोत्तरी तथा बिक्रीकर की चोरी के संबंध में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, आप 311 ले रहे हैं, मेरा सवाल गन्ने की आपूर्ति के संबंध में था । यह तो श्री राम आसरे वर्मा जी का है । 311 में आपने बुलाया था और मैं बोल रहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

इसीलिए मैंने किरनपाल सिंह जी को बुलाया था । माननीय किरनपाल सिंह, माननीय राम आसरे वर्मा जी तथा माननीय मदन गोपाल वर्मा जी ने सूचना दी है ।

पहले इसको हो जाने दीजिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, यह किसानों का मामला है, पीठ के निर्देश से बोलने की अनुमति मिली थी, बोलने के बीच में ही हाउस एडजर्न हो गया । मान्यवर, जो परम्परा है वह है कि जिस बिन्दु को छोड़ा जाता है उसी बिन्दु पर सुना जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

हम पहले माननीय राम आसरे वर्मा जी को सुन लें ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय वर्मा जी को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले इन्हें सुन लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, क्रम बदल जायेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

केवल दो मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

मान्यवर, गन्ना उत्पादकों की एक गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का गन्ना विभाग गन्ना उत्पादक और चीनी मिल के बीच में समन्वय का काम करता है, सामंजस्यता का काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के हितों को कोई हानि न हो, उनके हितों पर कुठाराघात न होने पाये । इस सरकार के गठन से पूर्व, क्षेत्रफल संरक्षण का कार्य हुआ है चीनी मिलों पर । उसमें अबकी बार एक अजीब स्थिति पैदा हो गयी है । उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसान विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस हालात पर हैं कि वे नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें ? गन्ना विभाग के द्वारा, जो गन्ना आयुक्त रहे हैं, उनके द्वारा पैसा लेकर जिस प्रकार पहले आओ पहले पाओ और ज्यादा पाओ के आधार पर गन्ना क्षेत्रफल के संरक्षण का कार्य किया गया है, गन्ना विभाग के इतिहास में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है । अगोता चीनी मिल चालू नहीं है, क्षेत्रफल जो संरक्षित कर दिया गया है उससे किसान संकट में है कि कहां संरक्षण करे ? अगौता तथा तेतावी का जो एजेण्डा

है वह जुलाई तक है कि इस तक गन्ने की आपूर्ति कर दें। सरकारी चीनी मिल है, कोई पैसा नहीं दिया गया तो यह स्थिति हो गयी है। डोराला बंदी के कगार पर है, मवाना बंदी के कगार पर है, खतौती चीनी मिल बन्दी के कगार पर है। जो यह स्थिति है उससे एक ओर काश्तकार चीनी मिल को आपूर्ति नहीं कर पायेंगे और जो छोटा किसान है वह तो बरबाद हो जायेगा। उसका गन्ना कोल्हू और क्रेसर पर कम भाव पर बिक्री होगा। जिसको जुलाई तक देना है वह अपनी फसल नहीं ले पायेगा। मान्यवर, निवेदन है कि समय रहते हुए इसका परीक्षण कर लिया जाय। एक समानता के आधार पर गन्ना क्षेत्रफल का विभाजन नहीं किया गया। हाउस का 18 अप्रैल तक एजेण्डा है। अगर यह समस्या नहीं सुलझी तो फिर एक ही मुद्दा यहां रह जायेगा और गन्ना किसान बरबाद हो जायेगा। इस अति लोक महत्व के विषय पर मैं मांग करूंगा कि सारे नियमों को निलम्बित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जो विषय माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक और मैंने उठाया है, यह अति गंभीर विषय है। जिस तरीके से गन्ने का एरिया क्षेत्रफल विभिन्न नियमों के विपरीत किया गया है जो संरक्षित किया गया है, उससे संकट उत्पन्न हो गया है,उसमें बहुत बड़ा असंतुलन है। उस असंतुलन के रहते हुए कुछ चीनी मिले बन्द हो गयी हैं 20-22 चीनी मिलें आज से पहले पूरे प्रदेश में बन्द हैं। कुछ मिलें जुलाई तक भी चलें पूरा गन्ना पेर नहीं पायेंगी। यहां सरकारी अधिकारी जो बैठे हुए हैं लखनऊ में उन्होंने अपने रिश्तों की वजह से या किसी और वजह से कुछ मिलों को इतना बड़ा क्षेत्र फल दे दिया खासतौर से प्राइवेट

[2 बजकर 35 मिनट]

मिलों को जो खुश कर सकें, और जो सहकारी चीनी मिलें हैं या सरकारी चीनी मिलें हैं उनका एरिया काटकर प्राइवेट को दे दिया गया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अगौता शुगर एण्ड केमिकल्स वर्क्स निर्माणाधीन है उसका ट्रायल नहीं हुआ और जो अनूप शहर सहकारी चीनी मिल है, संभावली चीनी मिल है और बुलन्दशहर चीनी मिल है, के सेन्टर्स को काटकर अगौता में दे दिया गया है। इससे किसानों में समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसी प्रकार तितावी चीनी मिल है, इसको भी बड़ा ऐरिया दे दिया गया है और अगर यह जुलाई, अगस्त तक भी पेरे तो भी यह गन्ना नहीं पेर पायेगी। तो यह बड़ा ही गंभीर विषय है और इससे किसानों में असंतोष है और जो गन्ना सहकारी चीनी मिले हैं उनको अगर गन्ना नहीं मिलेगा और प्राइवेट मिलों को मिलेगा तो बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः यह विषय ही गंभीर है, किसानों से जुड़ा हुआ है और प्रदेश व्यापी समस्या से संबंधित है और तात्कालिक भी है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा कराने का कष्ट करें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, गन्ना क्षेत्र का निर्धारण होता है गन्ना आपूर्ति एवं खरीद अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत और जो गन्ना किसान हैं उनका गन्ना किस मिल को दिया जायेगा इसका निर्धारण मिल चलने से पहले ही तय हो जाता है और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी सलाह से अक्टूबर के महीने में ही हो जाता है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि कुछ मिलों में गन्ना खत्म हो गया है, तितावी मिल में गन्ना ज्यादा है। लेकिन यह जो स्थिति है यह सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से है। वह इसलिए कि खांडसारी और गुड़ में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हमने गन्ने की कीमत 60 से 72 रुपये तक रखने की घोषणा की थी लेकिन वास्तविकता यह है कि आज उसकी कीमत 70 से 80 रुपये तक मिल रही है। खांडसारी और गुड़ पर कोई रोक नहीं है इसलिए खांडसारी मिल ज्यादा हैं। जो तितावी मिल के बारे में कहा गया, जहां तक मेरी जानकारी है जब अधिकांश मिलें बन्द हो जायेंगे तब यह भी बन्द हो जायेगी। यह कहना कि यह जुलाई तक चलेगी गलत है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जो और मिलों के सेंटर्स उखाड़ दिये गये हैं और जो प्राइवेट मिल हैं उनको गन्ना क्षेत्र दे दिया गया, संभावली, अनूपशहर और बुलन्दशहर चीनी मिल को नहीं दिया गया इससे बहुत बड़ा आक्रोश किसानों में है। जो चली नहीं उनको आपने ऐरिया दे दिया और जो पुराने सेन्टर्स हैं जिनको गन्ना जा रहा था उनको नहीं दिया तो मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, गन्ना क्षेत्र का निर्धारण जनप्रतिनिधियों की राय से ही होता है और यही अधिनियम भी बना हुआ है। अगर उसके अनुसार क्षेत्र का निर्धारण नहीं हुआ है तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं । हमारी मंशा यह नहीं है कि आपकी नीति के कारण किसान बरबाद हो रहा है। आज गन्ने का भाव बढ़ा है और हम लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं।

अक्टूबर महीने में रिजर्वेशन हुआ और वह भी पैसा लेकर हुआ। जिस अधिनियम की बात मंत्री जी कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है। पैसा लेकर एक चीनी मिल को एरिया दे दिया गया। मंत्री जी जिस तेतावी चीनी मिल का जिक्र कर रहे हैं उसको एक करोड़ चालीस लाख गन्ना दे दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है 25 हजार क्विंटल पर डे की उसकी क्षमता है और 180 दिन का औसत माना जाता है इस प्रकार से आप हिसाब लगा लें कि 50 लाख क्विंटल से ज्यादा वह मिल नहीं पेर पायेगी इसलिये मेरा अनुरोध है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आपकी मदद कर रहे हैं। मैंने वह अधिनियम पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीनी मिल को कुछ भी दे दिया जाय। उसमें यह दिया है कि गन्ना मालिकों की क्षमता और उत्पादकता के आधार पर संरक्षित किया जायेगा, मेरी इस बात में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मलिक जी, हम बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि गन्ना किसान के हितों का पूरी तरह ध्यान रखेंगे और गन्ना किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जो कीमत इस समय मिल रही है वह कभी नहीं मिली है। इस संबंध में जो अधिनियम है, 1953 का, उसके अनुसार जनप्रतिनिधियों की राय से रिजर्वेशन किया जाता है। यदि कहीं कुछ गलत दिखाई पड़ा है, तो इतनी सूचना पर्याप्त नहीं है। आप पूरा ब्योरा लिखकर दे दीजिये, हम उसको दिखवा लेगें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मलिक जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसके बाद माननीय राम आसरे वर्मा जी की सूचना है, लखनऊ दुग्ध डेरी में दामों में वृद्धि तथा बिक्रीकर चोरी के बारे में।

(श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

क्या आपने सूचना दी है ?

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मसला है, इसलिये मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दीजियेगा, सुन लिया जायेगा, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

लखनऊ दुग्ध डेरी में दूध की कीमत में वृद्धि तथा बिक्री कर की चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नाक के नीचे लखनऊ दुग्ध डेरी संघ का मामला है। इसके द्वारा जो जनता दूध तैयार किया जाता है, उस जनता दूध की बिक्री आम तौर पर गरीब बस्तियों में ही होती है। उसकी कीमत एक रुपये लीटर के स्थान पर बढ़ाकर एक रुपया पचास कर दिया गया है। परिपाटी अभी तक यह रही है कि अगर दुग्ध संघ द्वारा अपने तैयार किये गये दूध की कीमत बढ़ानी है तो किसानों से दूध लेने पर जो कीमत दी जाती है, उसमें भी कीमत बढ़े। लेकिन किसानों से जो दूध लिया जाता है, उस पर कीमत नहीं बढ़ाई गयी और इस पर बढ़ा दी गयी। क्यों बढ़ाई गयी ? एक यहां पर ज्ञान प्राइवेट डेरी खुली। ज्ञान प्राइवेट डेरी के मालिकों से लखनऊ दुग्ध संघ के जनरल मैनेजर की पुरानी जान पहचान है, दोस्ती है। उस डेरी के लिये बाजार तैयार करने के लिये यह काम किया गया है और यह वृद्धि की गयी है, शासन की छवि को धूमिल करने के लिये। इतना ही नहीं, इस जनरल मैनेजर ने, 25 हजार रुपये जो सुरक्षा के नाम पर खर्च करने का प्राविधान है, उस जगह पर 80 हजार रुपये पर ठेका दिया है। मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपनी पहले कही हुई बात की तरफ कि जो यह व्यवस्था उन्होंने बढ़ोत्तरी करके की है उससे डेरी को कितना नुकसान हो रहा है। जो 90 हजार लीटर दूध प्रतिदिन डेरी का बिकना था वह 58 हजार लीटर आ गया है और जो "ज्ञान प्राइवेट डेरी" है उसका पहले 3 हजार लीटर दूध प्रतिदिन बिकता था, वह अब 30 हजार लीटर पहुंच गया है।

तो मान्यवर, उसका परिणाम भी हमने देख लिया है जो उन्होंने बढ़ोत्तरी की। इसके साथ ही साथ तमाम अवैध नियुक्तियां भी सामान्य प्रबन्धक ने कर रखी है और अभी थोड़े दिन पहले 20 लाख रुपये की बिक्रीकर चोरी का प्रकरण भी सामने आया है। दो करोड़ रुपये का मक्खन, घी खेवा तथा दामन दीव के नाम पर फर्जी बुक कराकर यहां से भेजने का नाटक किया गया और उसे यहीं के बाजार में बेचा गया। मान्यवर, जनरल मैनेजर की क्रिया-कलापों से पूरे डेरी का भट्ठा बैठ रहा है, वह दिवालिया होती जा रही है। प्रदेश की राजधानी के नाक के नीचे लखनऊ में ही इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हो और उस पर शासन ध्यान न दे, तो मान्यवर, यह माना जायेगा कि शासन ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है। मैं सदन का उस जनरल मैनेजर की कुछ बातों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1975 में एक पाउडर कांड हुआ था उसमें इसी जनरल मैनेजर के खिलाफ धारा 409, 468, 471, 477 ए, 400 बी और 120 बी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस जनरल मैनेजर का नाम है श्री जे० पी० शुक्ला। यह मामला इलाहाबाद मिल्क बोर्ड में चला। सी० आई० डी० की जांच भी चल रही है। मान्यवर, भ्रष्टाचार के इस गम्भीर प्रकरण की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस गम्भीर प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की अनुमति दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, श्री वर्मा जी को सूचना पर आप कुछ कहना चाहेंगे ;

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, आप कदाचित पूरी तरह से नियमों और परम्पराओं के ज्ञाता हैं। यह सूचना तो 311 में आती नहीं है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 311 में इसको निरस्त कर दीजिये, इसमें चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह जन-जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, जो गरीब लोगों के बीच दूध बेचा जाता है, उसके दाम बिना शासन की अनुमति से मनमाने ढंग से बढ़ा दिये गये, अगर शासन भ्रष्टाचार के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है तो मैं यह समझूंगा कि शासन स्वयं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है।

श्री अधिष्ठाता–

311 की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह 311 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसलिये उन्हें अस्वीकार किया जाता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं पीठ से अपेक्षा करता हूं कि जनजीवन से जुड़े मसलों पर कोई निर्देश दें। शासन ने तो कान में तेल डाल रखा है और अगर इतने गम्भीर मसले पर आपकी पीठ से भी कोई निर्देश नहीं दिये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे अधिकार को संरक्षण नहीं मिल रहा है। आप मान्यवर, शासन को निर्देशित करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी वरिष्ठ सदस्यों में से हैं यह नियम 311 में नहीं आता है। माननीय वर्मा जी सूचना दे दें। मैं दिखवाकर जांच करवा लूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सदन में सुने जाने की मांग

श्री रंग नाथ–

मान्यवर, मेरी सूचना जनजीवन से जुड़ी हुई है, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, मरीजों को देखने के बारे में है और अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 का प्राविधान उन विशेष परिस्थितियों के लिये किया गया है, जो तात्कालिक कोई घटना हो, जिसमें नियमों को निलम्बित करके उसको ले लिया जाता है। इसके अलावा और भी नियम हैं, दूसरे नियमों के अन्तर्गत दें, अगर नियमों के अन्तर्गत आयेगी तो स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री रंग नाथ–

मान्यवर, संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, जो जनजीवन से जुड़ा हुआ है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

नियमावली में नियम हैं उनमें हम लोगों को अधिकार है। नियमों में विरोध पक्ष को ज्यादा अधिकार हैं और सत्ता पक्ष को कम। हर समस्या के लिये अपनी बात समुचित ढंग से रखने का अवसर सभी को मिल जायेगा। माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वे सदन में वरिष्ठतम् सदस्य हैं वह भी चाहेंगे कि सदन नियमित रूप से चले जबकि यहां पर उसका दुरुपयोग हो रहा है।

श्री रगंनाथ–

मान्यवर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के मसले पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, ध्यान आकृष्ट कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रंगनाथ की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

जिला सहारनपुर के ग्रामीणों द्वारा पी० ए० सी० के जवानों की पिटाई तथा हत्या किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन् निर्णय तो अध्यक्ष पीठ का है और हम यह निर्णय शिरोधार्य करते हैं और हमारा यह कर्तव्य है। मान्यवर, मैं विनम्र शब्दों में अनुरोध करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, अगर उन्हें दो-दो मिनट बोलने का मौका दे दिया जाय तो ठीक रहेगा। जो समय सदन का बार-बार देते हैं वही समय में एक सूचना पर एक माननीय सदस्य को बोलने का मौका दे दें। अभी देवबंद में पी० ए० सी० के तीन जवानों पर हमला हुआ, एक को कढ़ाई में डाल कर मार दिया गया। पी० ए० सी० के जवानों में असंतोष व्याप्त है, इस संबंध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है। मान्यवर, कम से कम दो-दो मिनट का समय दे दिया जाय, व्यवस्था करने में कितना समय लग जायेगा। हम सभी का समादर करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जो 15 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनमें तीन-तीन या चार-चार सदस्यों के हस्ताक्षर हैं अगर सभी को दो-दो या तीन-तीन मिनट दिया जायगा तो समय बहुत लग जायेगा।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय श्री गुप्ता जी जानते हैं कि नियम–311 के अन्तर्गत कौन-कौन सी सूचनायें आ सकती हैं। अभी तो नियम–56 ही बाकी है, इस प्रकार की अनावश्यक सूचनायें नियम–311 में लाकर सदन का समय बरबाद होता है। नियम–300 की सूचनायें माननीय अध्यक्ष सुन लेते हैं। माननीय नेता विरोधी दल से अभी जो बात हो गयी इसके अनुसार एक को सुन लें। आगे सूचना समाप्त करके वित्तीय कार्य लेना है और उनको भी निपटाना है।

* श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देवबंद के हाशिमपुरा की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। वहां पर जो घटना घटी वह बहुत ही अमानवीय है। मान्यवर, अभी हाशिमपुरा में एक मार्च को पी० ए० सी० के एक जवान को गन्ने के रस वाली कढ़ाई में डालकर मारा गया उसे उसी में डुबो-डुबोकर मारा, उसको पीटा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गयी। हमारे क्षेत्र का यह एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। जिस सम्प्रदाय के लोगों ने पी० ए० सी० के नायक को मारा, इन्हीं सम्प्रदाय के लोगों ने पिछले दिनों एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे मार दिया। वहां का प्रशासन नाजायज तरीके से दबाव में आकर इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसलिये आपसे मांग करती हूं कि इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर अवश्य चर्चा करायें।

(श्री रंगनाथ जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना नियम–311 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं उसे अस्वीकार करता हूं। फिर भी आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यदि आप किसी दूसरे नियम में इसे उठाना चाहोगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आप ही बता दें कि नियम–311 के अन्तर्गत क्या आता है ताकि हम भविष्य में इस प्रकार की सूचनाओं को न दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी से पूछ लें कि क्या चीज नियम 311 के अन्तर्गत आती है। आप प्रक्रिया नियमावली को पढ़ें तो आपको मालूम हो जायेगा।

श्री रंगनाथ–

क्या मैं इसे कल नियम–56 में दे दूं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप नियम–56 में इसे दे दें ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के खड़े रहने पर)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायं । आज नियम–300 के अन्तर्गत निम्न सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

पहली सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल व श्री जगदम्बिका पाल जी की उत्तर प्रदेश में मौजूदा गृह विभाग व पुलिस विभाग के बीच तालमेल न होने से उत्पन्न टकराव के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री किरन पाल सिंह व श्री राम आसरे वर्मा जी की मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मस्जिद छप्परवाली पर अवैध जुर्माना और उसे गिरा दिये जाने की नोटिस से संबंधित है । तीसरी सूचना श्री रंगनाथ जी की सदन में सहकारी चीनी मिलों का निजीकरण न कराने की सूचना के बावजूद समाचार-पत्रों में पांच सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बेचे जाने के बारे में है । चौथी सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा जी की विधान भवन के समक्ष 13 वर्षों से कु० कटौरी देवी के धरने पर बैठने के संबंध में । पांचवीं सूचना श्री राजकुमार शिवहरे की विधान सभा के सत्र के चलते अधिशासी अभियंता एवं संयोजक सचिव एवं ऊर्जा सलाहकार समिति, बांदा द्वारा 8-3-94 को ऊर्जा सलाहकार समिति की बैठक बुलाये जाने के बारे में है । छठी सूचना श्री बदन सिंह व श्री सुधीर कुमार बालियान जी की वर्तमान विधान सभा में अपराधिक इतिहास रखने वाले विधायकों के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री कुंवर अखिलेश सिंह जी की प्रदेश में विभिन्न राजकीय बालिका विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर अवैधानिक ढंग से की गयी तदर्थ नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति की संबंध में है । आठवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी जी की दिनांक 7 मार्च, 1994 को कार्यसूची में विधेयक के भारसाधक सदस्य श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के अनुपस्थित रहने के संबंध में है । नवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी की बधरा जनपद मुज्जफरनगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी जी की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या 55 में जनपद टिहरी की पूर्ण उपेक्षा किये जाने के बारे में है । ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की डंकल प्रस्तावों के संबंध में दिनांक 2 मार्च, 1994 को सदन की कार्यसूची में प्रविष्ट संकल्प पर माननीय अध्यक्ष के निर्णय के बारे में है ।

ये सभी सूचनायें नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसलिये मैं इन्हें अस्वीकार करता हूं । फिर भी पहली सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । दूसरी सूचना पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

तीसरी सूचना श्री रंगनाथ की है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ;

चौथी सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा जी की है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दें ।

पांचवीं सूचना श्री राजकुमार शिवहरे जी की है इस संबंध में पहले भी मामला उठाया जा चुका है। शासन के अधिकारियों द्वारा सत्रकाल में इस तरह की बैठकों का आयोजन न किया जाय। मैं पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दें।

शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

शेष सूचनायें अस्वीकार की हैं।

घाटमपुर (कानपुर देहात) के कतिपय ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना चालू करने तथा ग्राम लहुरीमऊ में पेयजल टंकी के निर्माण कराने की मांग विषयक श्री शिवरतन चौरसिया आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घाटमपुर (कानपुर देहात) के अन्तर्गत ग्राम–सुंभई, भटपुरवा, असवारमऊ, लहुरीमऊ, कासिमपुर, बजरिया, सिधौल तथा बांध में ग्रामीण पेयजल योजना चालू करने एवं ग्राम लहुरीमऊ में पेयजल टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिवरतन चौरसिया, प्रधान, ग्राम रामपुर, पोस्ट रामपुर तथा श्री मोहम्मद जकी, प्रधान, ग्राम लहुरीमऊ पोस्ट, संभुई, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 †

लोक निर्माण मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

नोट :–† दिनांक 9-3-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित हुआ है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें पहली श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल श्री जगदम्बिका पाल इसी के साथ श्री सरजीत सिंह डंग जी की है। दूसरी सूचना श्री बंशीधर भगत जी की है, तीसरी सूचना श्री बदन सिंह जी की है, चौथी सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मदन गोपाल वर्मा और श्री हरेन्द्र मलिक जी की है, पांचवीं सूचना श्री सतीश भाटिया जी की है जिन पर ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो हमारे दल की ओर से नियम 56 में कार्य-स्थगन की सूचना दी गयी है इसका संबंध महत्वपूर्ण हैं इसका संबंध पूरे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । आज पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों और महिला अस्पतालों की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है। पिछले 5 दिनों से समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि 16 वर्ष की सेवा अवधि के बाद प्रोन्नत वेतनमान दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस संबंध में कार्य-स्थगन आ चुका है।

श्री जगदम्बिका पाल–

शासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मामला अत्यन्त संवेदनशील है। आज स्थिति यह है कि अस्पतालों में जिनकी मृत्यु हो रही है या दुर्घटना में जो मर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से पोस्टमार्टम नहीं हो रहे हैं, लाशें सड़ रही हैं। वार्डों की स्थिति बहुत खराब है वहां से मरीज जो इन्डोर में एडमिट हैं अस्पताल छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। मान्यवर, जो वैकल्पिक सफाई की व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। गोरखपुर के अस्पताल के अधीक्षक बयान दे रहे हैं कि स्थिति बहुत नाजुक हो गयी है। अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनको पुराने कर्मचारी काम नहीं करने दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों से कर्मचारियों की यह बेमियादी हड़ताल चल रही है लेकिन सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं आया है और अस्पतालों के मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। तमाम अस्पातालों के आउटडोर में ताला बन्द हो गये हैं। अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समर्थन में दूसरे एक दर्जन विभागों के संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दे दिया है लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा हो रही है और वे अस्पताल छोड़ कर भाग रहे हैं सरकार की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा जिम्मेदारी है उस पर वह ध्यान नहीं दे रही है। इसलिये आप से प्रार्थना है कि आप मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर इस पर चर्चा कराये जिससे सारी बातें सदन के सामने आ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

श्री नरेश अग्रवाल आप बोलें। (व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मुझे बोलने का मौका आप दें। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्रीनरेश अग्रवाल बोल लें उसके बाद आप बोल लेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, गरीबों के हित के लिये बनी सरकार, उनके हित की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यदि उनके हित की ओर सरकार ने ध्यान न दिया तो यह सरकार रफा-दफा कर दी जायेगी, ऐसी चेतावनी सरकार को दी गयी है लेकिन फिर भी अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं की ओर यह सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गरीब कर्मचारियों की 6 दिनों से हड़ताल चल रही है लेकिन यह सरकार उनके नेताओं के साथ बैठकर कर्मचारियों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल रही है जिससे प्रदेश की जनता के सामने गम्भीर संकट खड़ा हो गया है, अस्पतालों में लाशें सड़ रही हैं और मरीज अस्पताल छोड़ कर भाग रहे हैं। इसलिये ऐसे लोक महत्व के प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि वह कम से कम कर्मचारियों के नेताओं से वार्ता करके हड़ताल को समाप्त करवायें।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर, व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपने श्री नरेश अग्रवाल के बाद बोलने के लिये कहा था इसलिये मुझे आप बोलने की अनुमति दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री तिवारी जी कांग्रेस दल के नेता हैं उनके भी विचार आ जायें इसलिये उनको बोलने के लिये कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे बोलने के लिये आपने कहा था इसलिये मुझे बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है आप कह लें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह सत्य है कि शासन का कोई भी विभाग हो वहां चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी के बिना काम नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार विभागों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

विभागों को चलाने में अपनी सहायता करते हैं उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी काम करता है। जैसे चेक भर दे और नीचे हस्ताक्षर न करें तो वह बेकार हो जाता है वैसी ही स्थिति इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 95 हजार काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। मान्यवर, चिकित्सालयों की स्थिति यह है कि तमाम आउटडोर बन्द हैं, एडमीशन नहीं हो रहे हैं। यह बात भी यहां कह देना चाहता हूं कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में वहीं लोग जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है। गरीब जनता जिनके लिये शासकीय चिकित्सालय खुले हुए हैं, वह कष्ट में पड़ी हुई है और आज वह मजबूरन मृत्यु को गले लगाने के लिये विवश है। उनकी मांगें भी कोई अनुचित नहीं हैं, वह अपने 950 वाले वेतमान के बाद 16 वर्ष की सेवाओं पर एक प्रोन्नत वेतनमान की मांग कर रहे हैं और सरकार की समता समिति ने यह मांग मान ली है कि यह प्रोन्नत वेतनमान उन्हें दिया जाना चाहिये, लेकिन सरकार आर्थिक भार का बहाना करके इससे भाग रही है। स्थिति बिगड़ रही है और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अन्य विभागों के लोग भी उनके समर्थन में हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे सिंचाई विभाग, खनिज विभाग और सूचना विभाग के लाखों की संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की स्थिति में हैं। इससे जितने शासकीय विभाग हैं, उन सभी में काम ठप हो जायेगा और सारी व्यवस्था पंगु हो जायेगी।

इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय प्रश्न है, इसलिये इस पर सदन के सारे कार्य को रोककर निश्चित रूप से चर्चा कराई जानी चाहिये। वह इस पर असंवेदनशीलता न दिखायें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब उच्च वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं या जाने की धमकी देते हैं तो यह सरकार घुटने टेक देती है, मेरा आरोप है कि यह गरीब हैं, इसलिये इनकी ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह 6 दिन से हड़ताल पर हैं, इस पर चर्चा करके उनके नेताओं से वार्ता करके सरकार उनकी समस्याओं का कोई हल निकाले, यह जनता के भी हित में है।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी श्री नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल और सरजीत सिंह जी ने जिस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया, अत्यन्त महत्व का है। आज 6 दिन से उनकी पूरी हड़ताल स्वास्थ्य विभाग में और अस्पतालों में चल रही है। बिना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सहयोग के न तो जीवित रोगियों का इलाज हो पा रहा है, न रोगियों की मृत्यु होने पर उनका पोस्टमार्टम हो पा रहा है। इन संगठनों की 6 दिन से हड़ताल चल रही है, लेकिन बड़े चिन्ता की बात है कि उनके नेताओं की न तो सरकार से या अन्य किसी अधिकारी से कोई वार्ता हुई है। अब अन्य संगठनो के भी उनकी हड़ताल में कूद पड़ने की आशंका है, जिससे अन्य विभागों में भी कार्य ठप हो जायेगा। यह सरकार दलितों और गरीबों की सरकार है और वही लोग आज हड़ताल पर हैं। उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं सरजीत सिंह डंग की बात समझ सकता हूं, जब इनके भाई बिरादर हड़ताल में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शामिल हैं । तो इसका कोई हल अवश्य निकलना चाहिये । हड़ताल चल रही है, इसलिये इसमें तात्कालिकता आ गई है और इसमें हजारों-लाखों गरीब मरीज शामिल हैं, इसलिये इसमें लोक महत्व आ गया है । इसलिये इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर कृपा पूर्वक चर्चा करा दें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, तिवारी जी विशेष रूप से अवगत हैं, अगर वेतनमान को लेकर हड़ताल चल रही है तो केन्द्र के समान वेतनमान तो हमारे यहां लागू हैं, कुछ अन्य मांगें भी हैं, तो उनके लिये भी विसंगति समिति बनी हुई है और कल ही मुख्य सचिव जी की प्रेस में यह बात आई है कि 31 मार्च, तक विसंगति समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी । उसके बाद भी यदि कोई हड़ताल चल रही है तो सरकार को हड़ताल से डरना नहीं चाहिये । हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनसे समाज के सभी वर्गों को एक तरह से समाहित करके उनके हित को देखना है । हड़ताल अगर उनकी कोई जायज मांगों के लिये है तो सरकार जरूर उसको देखेगी और पूरा करेगी लेकिन अनावश्यक रूप से हड़ताल के लिये हड़ताल हो रही है तो सरकार उससे निपटना भी जानती है । माननीय तिवारी जी को बता दूं कि जहां तक वेतन विसंगति की बात है उसके बारे में 31 मार्च तक रिपोर्ट आ जायेगी । जो भी रिपोर्ट आयेगी सरकार पूरी तरह से उस पर अमल करेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हड़ताल से मेरा उतना संबंध नहीं है । मेरी चिन्ता तो उन लाखों मरीजों के प्रति है, जिनको इस हड़ताल के कारण चिकित्सा नहीं मिल पा रही है । सरकार कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये तैयार नहीं है । ऐसी स्थिति में 6 दिन बीत गये हैं । सरकार के इस रवैये से मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ;

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो सूचना दी थी वह वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई थी । माननीय सदस्यों की सूचना भी उससे सम्बद्ध की जाती है । यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये अस्वीकार की जाती है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैंने भी नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी है ;

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना बंशीधर भगत की है । उसके बाद श्री बदन सिंह की सूचना उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आगरा नगर में ताज महोत्सव के नाम से आयोजित उत्सव की उपलब्धियों के संबंध में है ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा नगर में 18 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ताज महोत्सव सांस्कृतिक मेले का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया था। इस ताज महोत्सव मेले का लक्ष्य था कि इसके द्वारा भारत की प्राचीन संस्कृति और स्थानीय शिल्पकला को बढ़ावा देकर देशी और विदेशी पर्यटकों से धन कमाया जाय और भारतीय संस्कृति कला और शिल्प की छाप विदेशियों के ऊपर छोड़ी जाय। मान्यवर, यह सांस्कृतिक मेला 15 दिवसीय शिल्प नगर में जो आयोजित किया गया था वह न तो शिल्पकारों और कलाकारों के लिये लाभप्रद रहा और न मान्यवर, यह विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सका। एक भी विदेशी पर्यटक इस सांस्कृतिक मेले के माध्यम से प्रेरित होकर उस शिल्प ग्राम में नहीं पहुंचा। हां प्रशासनिक विभागों के द्वारा उन विदेशी पर्यटकों को जो आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल और वहां की अन्य ऐतिहासिक भवन को देखने के लिये गये थे उनको जबरदस्ती से उन्होंने अपने निजी वाहनों के द्वारा उस मेले में पहुंचाया गया जिनकी संख्या 10 हजार बताई गई है।

मान्यवर, यह झूठी संख्या बताई गई है। अपने को कर्तव्य निष्ठ दिखाने के लिये यह झूठे-झूठे आंकड़े बताये जा रहे हैं। मैं इस माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के सूरज कुण्ड के मेले की तर्ज पर यह मेला आगरा में तीसरी बार आयोजित किया गया था। इस मेले के ऊपर पर्यटन विभाग ने 20 लाख रुपया से ऊपर की धनराशि खर्च की है। इस धनराशि को ताज महोत्सव का जो लक्ष्य था उसके ऊपर खर्च न करके अधिकारियों के ऊपर खर्च किया गया। यह ताज महोत्सव न होकर के अधिकारियों का मेला बनकर रह गया। वहां पर उच्च अधिकारियों की अनावश्यक बैठक हुई, उनके ऐशो आराम के साधन जुटाये गये, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधायें पहुंचायी गईं। वहां पर इस मेले का प्रभाव वहां के साधारण जनजीवन पर भी नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस मेले का मखौल बनाया है। उत्तर प्रदेश शासन को धोखा दिया है। ऐशो आराम किया है। यह महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। 4 मार्च को समाप्त हुआ है इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत इसमें चर्चा कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। यह नियम 56 में नहीं आता है इसलिये इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो विषय नियम 56 में उठाने की चेष्टा की है यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मान्यवर, गोपाल माहेश्वरी कासगंज कस्बे में अपने मामा के यहां दो साल से रह रहा था। मेरठ में कारोबार न चलने के कारण वह अपने मामा के साथ कारोबार करने लगा। 25 फरवरी की सुबह को मेरठ की पुलिस उनके यहां गई और कासगंज से गोपाल माहेश्वरी और उसके मामा जो सुरेश चन्द्र हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसको उठाकर थाने ले आई । मेरठ पुलिस ने कासगंज थाने में गोपाल का नाम बाबी बताया, और कहा कि इसे मेरठ ले जा रहे हैं । जब पुलिस वहां से लेकर आयी तभी गोपाल के दूसरे मामा ने माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को तार दिया कि "मेरे पिता सुरेश चन्द्र पुत्र केवल राम निवासी कासगंज एवं गोपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी मेरठ को मेरठ की पुलिस दिनांक 25-2-94 को प्रातः 4 बजे कासगंज से फर्जी मुठभेड़ हेतु उठाकर ले गयी है । कानूनी कार्यवाही प्रार्थनीय है । मान्यवर, माननीय मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया ताकि उसे झूठे मुकदमे में न फंसा दिया जाए ।

पुलिस इस नवयुवक को मेरठ लेकर आई जब इसके परिवार के लोगों को पता चला वह थाने गये थाने में यह बताया गोपाल हमारे पास है अपने मामा के पास है पूछताछ के लिये लाये हैं । मामा को छोड़ दिया गया । गोपाल को फर्जी मुठभेड़ में मेरठ के कैन्टूनमेंट एरिए में मारकर सम्राट पैलेस के सामने डाल दिया गया और यह कहा गया कि स्कूटर लूटते हुए मारा गया है । श्रीमन्, जो स्कूटर की रिपोर्ट लिखी गयी वह फर्जी थी जिस व्यक्ति का नाम लिखाया गया है वह फर्जी है जहां का पता लिखा है वह भी फर्जी है, उस पते पर उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है । गोपाल माहेश्वरी की मां समझती है कि उसका बेटा अपने मामा के पास मेरठ में है । पुलिस ने उसकी लाश को लावारिश बताकर उसका दाह संस्कार कर दिया है । पोस्टमार्टम भी पता नहीं कराया या नहीं । उसका दाह संस्कार लावारिस के रूप में कर दिया गया ।

मेरठ में पुलिस फर्जी मुठभेड़ करके मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रही है । ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी । समय से पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को तार कर दिया । मेरठ के डी० एम० तथा एस० एस० पी० को खबर कर दी गयी उसके बाद भी पुलिस ने गोली मारकर उसे संसार से विदा कर दिया । इसकी मां आश्वस्त है कि उसका बेटा आयेगा । अब पुलिस उसके खिलाफ फर्जी मुकदमें बताने की कोशिश कर रही है । यह पुलिस द्वारा किया गया आपराधिक मामला है इससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गयी है । सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने से थोड़ा सा सुधार हुआ है इस बात को मैं तकसीम करता हूं । यह सरकार द्वारा कहा गया है कि जो बदमाशों को मारेगा उसकी तरक्की करेंगे । दरोगा को इंसपेक्टर और इंसपेक्टर को डी० एस० पी० बनायेंगे । यह एक गम्भीर प्रश्न है । मुठभेड़ में उसे मार दिया गया इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी तुरन्त कार्यवाही करें । एक नवयुवक को सरेआम गोली मारकर डाल दिया गया । वहां पर एक भी खून का धब्बा नहीं है और उसे लावारिस जला दिया गया है और आज तक उसका पता नहीं है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है । पुलिस ने इनाम लेने के लिये एक मुठभेड़ में निर्दोष को मार गिराया है । यदि इस तरह की घटनाएं बढ़ती गईं तो मान्यवर, जहां अपराधों को रोकने का काम किया जा रहा है वहीं पुलिस खुद अपराध करने लगेगी । मैं आपसे चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और पुलिस के जो भी कर्मचारी और अधिकारी दोषी हों, उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये जाएं तथा मृतक के परिवारजनों को सहायता दिलवाने की मैं मांग करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, अभी नेता जनता दल ने आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाया, यह बहुत ही लोमहर्षक विषय है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपराधों की बाढ़ आयी हुई

है और इस संबंध में अपराधियों की एक सूची भी जारी हुई है इसमें 42 अपराधियों के नाम दिए गए हैं। अभी तक मेरठ व मुजफ्फरनगर में जितनी भी अपराधियों के मारे जाने की बात है। इनमें एक भी अपराधी नहीं मारा गया है। गोपाल माहेश्वरी की मुठभेड़ एक फर्जी मुठभेड़ थी। उस समय मौके पर आर्मी अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को रोका तथा उन्होंने इस संबंध में डी० एम० व एस० पी० को सूचना भी दी, अस्पताल में प्रेस को सूचना दी। मेरे जनपद से 22 नाम बदमाशों के घोषित किये गये हैं। गोपाल माहेश्वरी के संबंध में पुलिस मिलिट्री के अफसरान को डराने धमकाने का भी काम कर रही है यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इस मामले को सरकार को अत्यन्त गम्भीरता से लेना चाहिए। इस समय जो मिलिट्री के अफसरान और लोकल निवासियों को डराने का काम जिला प्रशासन कर रहा है, निश्चित रूप से इससे पुलिस और मिलिट्री के लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच करा ली जाए। उसका अगर आपराधिक इतिहास रहा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है अतः सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाए।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, गोपाल माहेश्वरी के फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का जो प्रकरण माननीय किरन पाल और माननीय हरेन्द्र मलिक ने उठाया है, उसके साथ मैं अपने को जोड़ता हूं। यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें शासन के समक्ष तथ्य छिपा नहीं रहा गया है। गोपाल माहेश्वरी को मेरठ पुलिस द्वारा मार कर सड़क पर डाल दिया गया। फर्जी स्कूटर की लूट का मामला पुलिस ने गढ़ा।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

फर्जी नाम, फर्जी पता बताकर पुलिस ने उसे मार दिया। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पुलिस कर्मचारियों का इसमें हाथ हो, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने का आदेश शासन तत्काल दे और जो पीड़ित परिवार हैं उसके आश्रितों को सरकार अपनी ओर से सहायता प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना श्री किरन पाल व हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने दी है इस संबंध में अभी हमारे पास सूचना नहीं है, बगैर पूरी जानकारी के कुछ भी कहना उचित नहीं है। इस संबंध में मैं मेरठ के आई० जी० जोन से कह कर दिखवा लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप निर्देशित कर दें शासन को वक्तव्य देने के लिये। यह बहुत गम्भीर घटना है, वक्तव्य आयेगा तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत यह जो सूचना है उसको मैं निरस्त करता हूं लेकिन शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना है। आप देर से आये हैं। एक निर्दोष व्यक्ति की पुलिस द्वारा हत्या की गयी है। इस तरह की धांधागर्दी से काम नहीं चलेगा। इस पर वक्तव्य आना चाहिए।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में शासन से जानकारी समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस घटना के संबंध में वक्तव्य दिलवायें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, गुप्त जी की व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे नियमों में व्यवस्था है कि 10 बजे तक सूचनायें दी जाती हैं। उसके बाद ग्राह्यता पर बोलते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्री के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। जनता दल के माननीय सहयोगी सदस्य ने जो मामला उठाया है वह गम्भीर है और संवेदनशील है। साढ़े 3 बज रहे हैं इस समय इस सरकार के पास जिले से सूचना क्यों नहीं आयी है ? सब जगह फैक्स लगे हैं, हाट लाइन्स हैं, इस संबंध में तत्काल जानकारी आ जानी चाहिए। इतने समय तक सूचना नहीं आ सकी, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार ला एण्ड आर्डर के मामले में उपेक्षित है और कितना उसका उपहास है। आप शासन को निर्देशित करने की कृपा करें कि आज जो गलती हुई, क्षमा करें या निर्देशित करे यह आपके विवेक पर है, लेकिन भविष्य के लिये चेतावनी दें ऐसे संवेदनशील मामले में सदन में सूचना समय पर आनी चाहिए।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जिस व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, मैं अपनी सहमति उनके साथ व्यक्त करता हूं। हमेशा परम्परा रही है कि 10 बजे तक सूचना दी जाती है और उसके बाद वह सूचनायें शासन को भेज दी जाती हैं। इसलिये भेज दी जाती हैं कि यदि कोई गम्भीर समस्या है तो शासन उसके बारे में जिले से रिपोर्ट मंगाकर रखे ताकि जब सूचना आपकी पीठ से पढ़ी जाय तो शासन की ओर से उसके बारे में जानकारी दी जाये। श्रीमन्, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जो गम्भीर समस्या है, जो गम्भीर मामले हैं उनकी जानकारी शासन के पास होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि यदि शासन के पास जिले से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है तो आप वक्तव्य के लिये, या केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करें इससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी बहुत सचेत सदस्यों में से हैं। वह संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसीलिये मैंने कहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपमें और हममें अन्तर है। सरकार कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहती है। हम यह बात छिपा भी सकते थे। आपके सामने भी इस तरह की दिक्कतें आयी होंगी। इसमें बहुत बड़ी विद्वता का परिचय देने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार के काम भी हमने देखे हैं। हमारे पास सूचना नहीं थी उसको हमने स्वीकार किया है। आपकी सरकार के हमने काम देखे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आये दिन संसदीय कार्य मंत्री इस तरह के अनर्गल बात कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। विषय है नहीं है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप हमारी जगह होते तो छिपा देते।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन का संचालन नियमानुसार करें।

[3 बजकर 35 मिनट]

(व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूं, तो किस नियम के अन्तर्गत बोलने लगे हैं ? श्रीमन्, हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि उन्होंने वक्तव्य की मांग की है, मेरा आपसे अनुरोध है कि वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लीजिए । (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे व्यवस्था देने दीजिये । मैं निर्णय दे रहा हूं । आप लोग शांत रहें । माननीय गुप्ता जी, माननीय ऊदल जी ने जो अभी प्रश्न उठाया है, उस संदर्भ में मैं सरकार को यह निर्देशित करता हूं कि वह समय पर सूचनाएं प्राप्त करके माननीय सदस्यों की जिज्ञासा की पूर्ति किया करें । विलम्ब होने से उत्तेजना आती है और संतुष्टि नहीं होती है । अब इस सूचना के संबंध में मैं सरकार को यह निर्देशित करूंगा कि किसी अगले दिन यह सूचना जैसे ही आ जाय, वैसे ही सदन को अवगत करा दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य के लिये कह दिया था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष)

आप इसको समझ नहीं रहे हैं, मैंने जो कहा उसका वही अर्थ है ।

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, 2 तारीख को देवरिया जनपद के 36 अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 255 अध्यापकों द्वारा वेतन भुगतान न होने के कारण विधान सभा के सामने आत्म दाह करने के संबंध में मैंने 3 तारीख को नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उस समय यह व्यवस्था दी गयी थी कि सारी सूचनाएं 7 तारीख को सुनी जायेंगी । कल पीठ से अधिष्ठाता ने यह निर्देश दिया कि कल सुन ली जायेंगी और आज भी मैंने नियम 311 के अन्तर्गत दुबारा सूचना माननीय अध्यक्ष जी को दिया। मान्यवर, मेरी बात सुन लें । मान्यवर, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है और न कोई व्यवस्था दी जा रही है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लीजिए । माननीय सतीश भाटिया जी हैं नहीं, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की उत्तर प्रदेश में घटिया व नकली दवाओं का कारोबार व्यापक स्तर पर चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री श्याम देव राय चौधरी की प्रदेश में पूर्वांचल के तराई और सीमावर्ती मदरसों में पाकिस्तानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खुफिया एजेन्सी और कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया की त्रिवेणी शुगर मिल, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की जनपद देवरिया में पुलिस दुर्व्यवहार के कारण कसया कचेहरी में अनिश्चित कालीन बन्दी के कारण नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में और श्री सुधीर कुमार बालियान की उत्तरांचल राज्य के गठन के संबंध में सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत निरस्त करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त पांचों सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुना गया, शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं। अब मद सं०–11, मांगों पर चर्चा एवं मतदान को लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) आपने श्री मल्ल के प्रश्न पर आज्ञा दी थी कि वह आज उठायेंगे। या तो आप यह कह दें कि आज्ञा नहीं दी थी और यदि आज्ञा दी थी तो कहें कि उसका पालन नहीं करूंगा। आप कह दें.....

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी आप बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप पहले सदन को व्यवस्थित तो करें, मैं तो बोलना चाहता हूं। सदस्यों को शांत करें या उनको निकाल दें।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, हम लोग अपनी पीड़ा को कहना चाहते हैं और यह हथौड़ी बजा रहे हैं, यह कहां का तरीका है ?

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल अपनी सीट पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

आप और ऊपर खड़े हो जाइये और ऊपर खड़े हो जाइये। आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

अब मैं नहीं सुनूंगा, मैंने इस प्रकरण को समाप्त कर दिया है, दूसरी मद को ले लिया है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप बोलिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 2–4 सदस्य उद्वेलित हैं किन्हीं कारणों से, अगर आप उचित समझें तो आप अपने कक्ष में बुलाकर उनकी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मैं हमेशा से सुनता हूं, मैं सुनूंगा, मैं सुन लूंगा और मैं निराकरण भी कर दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है मान्यवर, आज सदन की कार्यवाही के बाद ये लोग आपके कक्ष में आ जायेंगे और अनुमति दें तो मैं भी आ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वैसे सामान्यता अनुपूरक मांगों पर कोई बहुत गम्भीर ढंग से ऐसी चर्चा नहीं होती लेकिन इस बार मैंने इन मांगों को बहुत ध्यान से पढ़ने की चेष्टा की है क्योंकि आप भी भिज्ञ हैं कि अनुपूरक अनुदानों में 3 बातें मुख्य रूप से होती हैं मूल आय-व्यय में जिन मांगों का प्राविधान कर दिया जाता है उनमे कुछ पैसे की कमी हो जाय उस अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था की जाती है, कोई नई मद आनी चाहिए तो अनुपूरक अनुदान में पेश होती है तीसरा मामला यह है कि धन तो उपलब्ध है लेकिन पुरानी योजना जो थी उसमें इतना परिवर्तन हो गया कि वह नई सी मालूम होने लगी, उसमें सदन की अनुशंसा चाहिए लेकिन मान्यवर, देखें कि इधर नई सरकार बनने के बाद घोषणाएं की गयीं वह सूचना की जो डायरी मिली है इसमें संकलित है उसमें देखें । इसको देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सरकार की डायरी में जो घोषणा की गयी हैं, वह दिखावटी और जनता को गुमराह करने वाला मात्र अप्रासंगिक है । इसको देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा यह सूचना विभाग की जो डायरी है, उसमें अनुदान संख्या–95 देखने की कृपा करें । उसमें लिखा है कि उत्तरांचल के नगरों में पेयजल योजना हेतु 1.29 करोड़ रुपये की योजना है यह स्वीकृत हो गयी है तो यह तो मान्यवर, आकस्मिकता निधि से निकाल कर उसका कहीं प्राविधान कर दिया गया होगा अब उसकी प्रतिपूर्ति कराने की आवश्यकता है । अनुदान 95 में 1.29 लाख रुपये का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है । दूसरी घोषणा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को दुकानें उपलब्ध कराने की है । अगर यह

पुरानी घोषणा है तब तो नई के साथ जोड़नी चाहिए और अगर नई है तो इसके लिये पृथक रूप से एक हजार रुपये की ही क्यों न हो, प्रतीक मांग प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। स्वच्छकारों को मैला ढोने के पेशे से मुक्ति दिलाने हेतु पुनर्वासन की यह योजना है या तो नगर विकास में या समाज कल्याण में उसका उल्लेख होना चाहिए था, भदोही और पडरौना जिले के सृजन का निर्णय, अगर इसका कार्यान्वयन होना है, तो इसकी कहीं न कहीं मांग होनी चाहिए। इसी तरह से एक-एक मांग को देखें, कहीं इसका उल्लेख नहीं है। अब परम्परा यह है कि जिम मदों का उल्लेख कर दिया जाता है चर्चा के लिए वहीं तक सीमित रहते हैं, मैं उसका अनुपालन करूंगा एक-एक खर्च को लेकर।

मान्यवर, घोषणा हुई थी कि नहरों की पटरियां पक्की की जायेंगी। जिस समय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार थी, हमने भी इसकी व्यवस्था की थी, पत्रावली देखेंगे तो उसमें हमने सर्वे कराकर नहरों की पटरियां भी चिन्हित कर दी थीं और पैसे की व्यवस्था की थी लेकिन सरकार खत्म हुई और योजना अधर में रह गयी। मैं मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं का बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा विश्वास करते हुए स्वीकार करता हूं। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान है कि नहरों की पटरियां पी० डब्लू० डी० से बनवायी जायेंगी लेकिन कहीं इसका इसमें उल्लेख नहीं दिखाई दिया। इसी तरह से मान्यवर, चारों तरफ घोषणायें हो रही हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से बहुत से काम शुरू कर दिये गये। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानते होंगे कि पिछले वर्ष का जो बजट था और यह जो बजट चल रहा है। यह बजट राष्ट्रपति शासन में बना था। राष्ट्रपति शासन में एस० एन०डी० (शिड्यूल आप नो डिमान्ड) तो कोई था ही नहीं, जब पैसे का प्राविधान ही नहीं था तो काम कहां से शुरू होगा। अगर कहीं शुरू हुआ होता, या तो बचत से काम किया गया होता, नया काम है तो अनुमति ली जाती। बचत से नहीं, नयी योजना है तो प्रतीक अनुदान लिया जाता। मैं अपने निर्णय से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह मात्र दिखावटी और जनता को गुमराह करने वाली अनुपूरक मांगें हैं। बिजली विभाग को देखें।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को पावर फाइनेन्स कारपोरेशन की समतुल्य राशि की देनदारियों के प्रतिदान के लिये। अरब 18 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है यह किसको दे रहे हैं बिजली बोर्ड को। आज बिजली की स्थिति क्या है, घोषणा की गयी कि 16 घंटे गांवों को बिजली देंगे, लेकिन कितनी दे पा रहे हैं, उधर के बैठे हुए आपके सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी इसके प्रति कड़ी आलोचना सरकार की की है। 16 घंटे के नाम पर बिजली कहीं नहीं जाती है। यह जो आपका बिजली बोर्ड है, व्हाइट एलीफेन्ट है, आपकी साजिश जानता हूं बिजली बोर्ड को टुकड़ों-टुकड़ों में करके इसका पूरे तरीके से निजीकरण कर दिया जाय, मजदूर निकाल दिये जायें, नयी व्यवस्था का सृजन कर दिया जाय। गये दिन इस पर विस्तार से टिप्पणी करूंगा। एक नया आदेश जारी किया गया कि अम्बेदकर गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा। यह कौन सी नई बात है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो अपने वित्तीय साधनों को देखते हुए हर सरकार ने कोई न कोई लाइन दी है।

(व्यवधान)

पं० दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम तो प्रातःकाल लें, वे तो प्रातः कालीन स्मरणीय हैं। एक ग्राम के विद्युतीकरण में 3 लाख रु० का प्राविधान पहले था अब उस 3 लाख को घटाकर आपने 2 लाख

12 हजार कर दिया है । महंगाई बढ़ी है बीजों की कीमतें बढ़ी हैं इसे 3 लाख के बजाय 4-5 लाख करना चाहिए था बजाय 3 लाख को 4-5 लाख करने के घटाकर 2.12 लाख रु० कर दिया । इसी तरीके से जो मंझरे हैं विद्युतीकरण का प्राविधान जो 2 लाख का था उसे घटाकर 1.15 लाख कर दिया तो कैसे विद्युतीकरण होगा और इसमें इतने करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति कर दी, बिजली विभाग को आपने दे दिया । इससे गांव की जनता की भलाई होने वाली नहीं है । न तार है न खम्भा है न उपकरण हैं । इस मौके का लाभ उठाकर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां 66 के० वी० का सिस्टम है, यह पुराना सिस्टम है, उसके पार्ट कुछ बदलने पड़े तो कितनी दिक्कत आयेगी । जैसे फोर्ट पुरानी गाड़ी है उसके पार्ट अगर बदलने पड़े ठीक वही स्थिति इनके साथ है । सीतापुर, हल्द्वानी, देहरादून में यह दिक्कत है । सदन में भी इस पर चर्चा हुई है आप इस पर विचार करें कि इस 66 के० वी० सिस्टम को 33 के० वी० सिस्टम में बदलने पर विचार कर लें । खेलकूद मद को लें कुछ रुपयों की व्यवस्था की है अच्छा काम किया है उसमें आपने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता पूना में उ० प्र० टीम को भाग लेने हेतु भेजने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 लाख रु० की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर स्वीकृत की गयी थी जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु समतुल्य धनराशि की आवश्यकता है । इसमें आपने दिया है खेल के लिये बात कही है अच्छा किया है । लेकिन आज उ० प्र० में खेल की हालत क्या है तीसरे राष्ट्रीय खेलकूद में यू० पी० की जो दुर्दशा हुई है वह चिन्ताजनक है । किसी भी खेलप्रेमी के लिये यह अत्यन्त लज्जाजनक है । इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ के संयुक्त सचिव ने त्याग पत्र दे दिया और आरोप लगाया जो बहुत ही शर्मनाक है जिस समय मार्च पास्ट हो रहा था उस समय उ० प्र० की जो टीम थी न तो उनके पास हमारा झंडा था न किट थी । आपने कोई खेलकूद नीति नहीं बनायी आप कृपा करके कोई खेलकूद नीति बनायें ।

इसी तरह से जिन-जिन शहरों में स्पोर्ट्स स्टेडियम अधूरे पड़े हुए हैं कहीं 5 लाख रु० लग गये हैं 50 हजार की आवश्यकता है उन्हें पहले प्राथमिकता देकर उनको पूर्ण कराने की कार्यवाही करें ? पुलिस के बारे में कहना है आपने सही दिशा में काम सोचा है यह सोचा कि मेरठ मण्डल में अपराध बहुत बढ़े है आपने इसे स्वीकार किया और मेरठ मण्डल के अपराधों को रोकने के लिये वित्तीय प्राविधान किया गया है, मेरठ मण्डल में तो अपराधों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है आपको इस बात की जानकारी होगी कि नियंत्रण कैसे हुआ ? कागज पर क्या हुआ ? हत्याओं और अपहरण के मामले आज बढ़े हैं और इसको माननीय नेता सदन ने भी स्वीकार किया है । अभी पिछले दिनो माननीय नेता सदन मेरठ गये थे और वहां जाने के बाद अपने दल के नेताओं के साथ बैठकर एक मीटिंग भी की थी । उनकी अपील पर यह असर हुआ कि अपहरण के मामले तो कम हो गये मगर टेलीफोन पर फिरौती मांगने के मामले बढ़ गये । टेलीफोन पर यह कहा जाता है कि इतने पैसे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा ।

अभी कल इस माननीय सदन में माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर जो माननीय कांशीराम जी ने आरोप लगाया है उसके संबंध में चर्चा हुई थी लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन, मान्यवर, इस समय सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच में भयंकर असंतोष की ज्वाला जल चुकी है, आपस में ही झगड़ा हो रहा है जिसका परिणाम यह हुआ कि अपराध बढ़े और अगर यही स्थिति रही तो ये लोग देश के वातावरण को दूषित कर देंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया सुन लें । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय गुप्त जी सैकेन्ड सप्लीमेंटरी पर बोल रहे हैं या प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भाषण दे रहे हैं । सरकार कहां से पैसा लायी, कैसे लायी और कैसे चलेगी इसने इनका क्या मतलब है ? जबरदस्ती इस सदन का समय बरबाद न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और कुशल भी हैं । बड़ी ही कुशलता के साथ इन्होंने अपने सहयोगी होने का परिचय दिया है और डिफेन्ड भी किया है । मान्यवर, नियमावली देखें, जिन मदों का स्पर्श किया गया है उन्हीं की मैं आलोचना कर रहा हूं । पश्चिमी जिलों में इन्होंने शांति व्यवस्था में सुधार करने का इन्होंने प्राविधान किया है । मान्यवर, अब पुलिस विभाग को आप देखें। इस समय सरकार के पुलिस विभाग में और डी० जी० पी० में बड़ा भारी विवाद चल रहा है । उस विवाद के कारण पुलिस विभाग में ला एण्ड आर्डर की स्थिति को मेन्टेन नहीं कर पा रही है । मान्यवर,डी० जी० पी० ने एक सरक्यूलर जारी किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है न कि पुलिस विभाग के ऊपर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब हम बोलते हैं तो हल्ला मचाने लगते हैं । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि पश्चिमी जिलों में ला एण्ड आर्डर मेन्टेन किया गया है । अभी मैंने डी० जी० पी० द्वारा एक सरक्यूलर जारी करने की बात कही । उसका नम्बर है डी० जी०–5 दिनांक 22 फरवरी, 1994 जिसमें यह हिदायत दी गयी थी कि तुम लोग डायरेक्टली पुलिस विभाग में मिलने नहीं जाओगे । गृह सचिव कहता है कि मिलने आओ लेकिन वे लोग जाते नहीं हैं । तो इससे पुलिस प्रशासन में एक गतिरोध पैदा हो गया है और यह सरकार ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित न कर पाने की वजह से अपनी पार्टी की नीतियों को लागू करने में अक्षम साबित हो रही है । अब मान्यवर, होमगार्ड का मामला देखें .....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो भाषण दे रहे हैं यह अनुपूरक अनुदानों पर दे रहे या बजट भाषण पर ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी को बही खाता लिखने की आदत है इसीलिये ये वही पुरानी बातों को कह रहे हैं .....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियमावली देख लें । जिन मदों पर खर्चा हुआ है, मैं उसी पर बोल रहा हूं । यदि मैं रिपीटीशन करूं तो आप रोक दीजियेगा या किसी ऐसी मद पर बोल रहा हूं, जिसका इसमें उल्लेख न हो तो आप रोक दीजियेगा । अब मान्यवर, मैं चिकित्सा विभाग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । चिकित्सा विभाग में आपने परिवार कल्याण के लिये रुपया दिया और सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान दिया, मेडिकल कालेजों को अनुदान दिया । इसका असर क्या हो रहा है ? परिवार कल्याण के बारे में आप लोग रोज डिमडिम पीटते हैं लेकिन एक योजना जो वर्ल्ड बैंक की है जो यू० एस० ए० आई० की सहायता से चल रही है, 10 अरब रुपये की, उसके लिये आज तक सक्षम योग्य अधिकारी भी आपने नियुक्त नहीं किये हैं । पी० जी० आई० को भी पैसा दिया गया है । मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जापान की ओर से अरबों रुपये की मशीनें संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को मिली हैं.....

सदन में सदस्यों के बोलने की समय सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, जरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों की ओर से घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष जी, तिवारी जी बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, आप आखिरी बार व्यवस्था का प्रश्न उठा लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन की परम्परा देख लें, सदन का नियम देख लें । नेता सदन जब बोलने के लिये खड़े होते हैं तो उनके लिये कोई समय सीमा नहीं होती, इसी तरह जब नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े होते हैं तो कोई समय सीमा नहीं होती । लेकिन जो भी सम्मानित सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं, उनके लिये समय सीमा निर्धारित की जाती है । माननीय गुप्त जी, उप नेता, भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल हैं, कोई नेता विरोधी दल नहीं हैं, आप उनकी समय सीमा निर्धारित कर दीजिये कि 5–10 मिनट में वह अपनी बात समाप्त करें, जिससे और सदस्य भी बोल सकें ।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों की ओर से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेताओं को बोलने के लिये अवसर मिलना चाहिए । गुप्त जी, आप 5 मिनट का समय और ले लें ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे अफसोस है । अगर मैं सटीक आलोचना कर रहा हूं तो नेता कांग्रेस दल को क्यों मरोड़ हो रही है ?

मान्यवर, आप पृष्ठ संख्या–113 देखने की कृपा करें । इन्होंने जल निगम को रुपया दिया । आज जल निगम का हाल क्या है ? मैं जल निगम के अधिकारियों से जानना चाहूंगा कि जब सीतापुर में 1 करोड़ 20 लाख का प्राविधान हुआ, उसमें काम तो हुआ नहीं और 19 प्रतिशत के बजाय 34 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज लिये गये हैं । जब आप सारा पैसा अधिष्ठान पर खर्च कर देंगे तो निर्माण क्या होगा ? यह गम्भीर अनियमितता है, आप कृपा करके इस पर नियंत्रण लगाने की चेष्टा करें । अब आप देखें विधान सभा का खर्चा । विधान मण्डल के खर्चे पर कोई टिप्पणी नहीं होती है लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि आपने 60 लाख रुपया वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के वाहन क्रय करने के लिये इसमें प्राविधान किया है । एक लाख रुपये में कोई भी वाहन नहीं खरीदी जा सकती है इसलिये एक लाख की तादाद को आगे बढ़ा दें, यह सुझाव देना चाहूंगा । जो विधायक आवास हैं, मंत्री आवास हैं उनकी पुताई वगैरह पर मोटी रकम रखी गयी है । मैं भी विधायक आवास में रहता हूं, मान्यवर, केवल पानी से पुताई हुई है । आप कृपा कर इस मामले की जांच करा लें कि यह रुपया सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं । मान्यवर, उच्च शिक्षा पर आपने रुपया दिया है । उसमें मुझे केवल एक टिप्पणी करनी है । बहुत से ऐसे कालेजेज हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पर विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय डिग्री कालेज की बात बता दूं वहां विज्ञान में बी० एस० सी० के क्लास की फारमिलटीज पूरी हो गयी हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी ओ० के० हो गया है और शासन से भी ओ० के० हो गया है लेकिन फिर भी वहां विज्ञान का अध्यापक नहीं है । आप कृपा करके वहां अध्यापक भेजने की कृपा करें ।

सेवा योजन विभाग के लिये आपने पैसा दिया । इम्प्लाइमेंट एक्सचेंज के दफ्तर अब अप्रासंगिक हो गये हैं, क्योंकि अब नौकरियों में वहां से नाम आने आवश्यक नहीं हैं । एक नई व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो शासन का सरकुलर है उसमें लिखा है कि फोर्थ क्लास के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन जूनियर हाई स्कूल है, क्लर्क के लिये मिनिमम इण्टरमीडिएट है, लेकिन हाई स्कूल वालों के लिये इसमें कुछ नहीं कहा गया है । आप चपरासी मांगेंगे तो जूनियर हाई स्कूल पास भेज देंगे, क्लर्क के लिये इण्टरमीडिएट पास भेज देंगे लेकिन हाई स्कूल पास लोग जो पंजीकृत हैं उनको मौका नहीं मिल पायेगा । जो लेबर विभाग के प्रभारी मंत्री हैं वह इसको सुन लें और अपनी पत्रावली देख करके संशोधन करें । समाज कल्याण विभाग का मद मैंने पढ़ा । आपने कहा कि हर विकलांग को पेंशन दी जायेगी, किसानों को भी पेंशन दी जायेगी । मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन अगर यह घोषणा ढपोरशंखी नहीं है तो कहीं न कहीं प्रतीक अनुदान लिया जाना चाहिए था, अगर नहीं लिया तो आप कहां से पैसा देंगे ? जबकि आप हर विकलांग, विधवा, कमजोर को पेंशन देने की बात करते हैं ।

शासन के द्वारा एक सरकुलर भेजा गया है । सीतापुर जनपद में भी यह सरकुलर गया है । सीतापुर में मात्र 19 सौ लोगों को पेंशन मिलेगी । इस हिसाब से तो एक ब्लाक में मात्र 50-60 लोगों को मिल पायेगी । अगर घोषणा ढपोरशंखी नहीं है तो व्यय का प्राविधान किया जाना चाहिए था । जिनकी आलोचना की जा सकती है । इन्हीं शब्दों के साथ विचार करने के लिये कहता हूं, स्वागत भी करता हूं और मांग भी है, शायद व्यवस्था कर दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मांग पर बल देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने द्वितीय अनुपूरक अनुदान पर बोलने का मौका दिया ।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, इन्हें बोलने को कहा है, समय तो निर्धारित है ।

श्री अध्यक्ष–

पांच मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें आपने इस चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया । कदाचित हम ऐसा विचार नहीं रखते । माननीय तिवारी जी समय सीमा निर्धारित कर दीजिये । नेता, विधान मण्डल दल विषयान्तर से हटकर कानून व्यवस्था पर उतर आये थे इसलिये मुझे अपनी बात कहनी पड़ रही है ।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, जब भी कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है, उसमें टोकाटोकी होती है । सदस्यों के सदन में बोलने में भी अन्तर किया जाता है, उनका भी समय निर्धारित कर दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आश्चर्य का विषय है, बारहवीं विधान सभा में इतने बड़े दल के रूप में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है । पिछले सत्र में क्वेश्चन ऑवर में, विधायी कार्यों के समय केवल कानून व्यवस्था की स्थिति उठायी गयी । मान्यवर, श्री मिश्रा जी को वास्तविकता के धरातल पर ठहराने का प्रयास कर रहा हूं, परन्तु वह ठहरने नहीं देते हैं, यही दिक्कत है । अनुपूरक अनुदान प्रस्ताव में प्रचलित व्यवस्था स्वीकृति का अंग है । ऐसी आवश्यकतायें होती हैं, प्रस्ताव लाना पड़ता है । जब मूल आय-व्यय में किसी योजना में कोई व्यवस्था नहीं है, प्राविधान नहीं है तो यह सरकार की बाध्यता होती है तभी अनुपूरक अनुदान लाते हैं । अधिकृत व्यय है और अधिकृत व्यय से ऐसा कोई व्यय हो जाय कि भुगतान अपेक्षित हो तो भुगतान के लिये सरकार को अनुपूरक अनुदान लाना पड़ता है । मान्यवर, ऐसी कोई योजना है जिसके लिये व्यय तो है वार्षिक आय-व्यय में धन उपलब्ध है लेकिन उसे योजना में समावेश नहीं किया गया है, योजना का स्वरूप क्या है उसमें प्राविधान है या नहीं, उसके संबंध में भी अनुपूरक अनुदान लाना पड़ता है । मान्यवर, जो जनहित में है उन्हें वार्षिक आय-व्यय में लेकर आते थे। किसी सरकार की घोषणायें होंगी, उसे भी प्रभावी रूप दिया जायेगा, उस दिशा में आय-व्यय के संबंध में समर्थन भी करेंगे । अनुपूरक अनुदान के संबंध में धन लाया गया है उससे जनहित में क्षेत्र और योजना में आवंटित किया जाता है । कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा की है, पारित करने जा रहे हैं । शिक्षा मंत्री जी की घोषणायें पूरे प्रदेश में हैं कि सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि हम लड़कियों की शिक्षा के लिये विकास खंड के

स्तर पर कन्या विद्यालय खोलेंगे। लेकिन आज भी जो नियम पूर्व में लागू किया है। वही लागू है। विकास खंडों में कन्या विद्यालयों के लिये जहां पर भूमि और भवन उपलब्ध करायेगी।

(भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय श्री गुप्ता जी को भी 20 मिनट का समय दिया। अगर 1-2 मिनट ज्यादा भी हो जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है ? इस पर इतनी बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा ही करेंगे तो कोई भी नहीं बोल पायेगा। श्री पाल जी आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जितना समय व्यवधान में गया है, वह भी तो आप मुझे देंगे। जिस समय बी० जे० पी० के नेता व उप नेता मौजूद नहीं रहते हैं तो उस समय इस दल की वही स्थिति हो जाती है जैसे किसी समुन्दर में नाव तो है पर उसमें नाविक या मल्लाह नहीं है।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक आरोप है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई आरोप नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक साधारण सी बात है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस आचरण से क्या साबित हो रहा है ? ये वही प्रतिगामी शक्तियां हैं जो प्रदेश में दिक्कतें व वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास कर रही हैं, आज इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विकास के कार्य को भी अवरुद्ध कर रही हैं। मैं एक-दो बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपा करके बैठ जायं। अब मैं जनता दल के माननीय नेता श्री राम आसरे वर्मा जी को बुलवा रहा हूं। श्री पाल जी अब आप कृपा करके बैठ जायं। श्री रंगनाथ जी आप भी कृपा करके बैठ जायं। हर दल के माननीय नेता को पहले बुलवाऊंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करना सरकार का अधिकार होता है, इस सरकार ने भी प्रस्तुत किया है और समय-समय पर दूसरी सरकारों ने भी प्रस्तुत किया है। मान्यवर, हमारे भाजपा के बंधुओं को सबसे ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि यह सरकार और सरकार के सहयोगी प्रदेश में साम्प्रदायिकता के फन को कुचलने का संकल्प तो रोज लेते हैं लेकिन चिन्ता इस बात की है कि सरकार इसके बारे में धन उपलब्ध कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करती है। मान्यवर, अनुपूरक अनुदानों को बजट के रूप में लेंगे तो दिक्कत हो जायेगी। मेरा एक ही निवेदन है कि हर विभाग के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां यहां पर की गयीं तो उसे अनुपूरक अनुदानों में उचित नहीं समझता हूं जब बजट आयेगा उस वक्त आलोचना की जायेगी। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जनता दल का समर्थन सरकार को है इसलिये जनता दल अनुपूरक अनुदानों पर सरकार का समर्थन व्यक्त करता है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह बात सही है कि अनुपूरक अनुदानों पर व्यौरेवार बहस नहीं होती । जैसे आती है वैसे पास की जाती हैं और जितनी सरकारें आयी हैं या आयेंगी अनुपूरक अनुदान आयेंगे और पिछले खर्चों को पूरा करने के लिये धन देना पड़ेगा । मैं सिर्फ दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मूल बजट आने वाला है तो एक तो लड़कियों की शिक्षा के बारे में है क्योंकि उनका प्रतिशत बहुत कम है । इसके लिये दो चीजों की जरूरत है । जितनी संस्थायें स्कूल खोलना चाहती हैं लड़कियों के लिये उनको मान्यता जल्दी से जल्दी दी जाय उसमें जो प्रतिबन्ध सरकार ने लगाया है कि जो भवन और जमीन देंगे चाहे नाम किसी का हो उसको सरकार मान्यता दे देगी, दूसरा यह है कि हर ब्लाक में जहां हाई स्कूल नहीं है बालिकाओं के हाई स्कूल खोले जायेंगे । तो इन दोनों बातों को उदार बनाने की जरूरत है इसलिये आने वाले बजट में नीतिगत प्रश्न पर विचार सरकार करेगी । इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

एक दल के एक सदस्य बोले । (व्यवधान)

(श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रंगनाथ जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा । अभी माननीय वर्मा जी, माननीय ऊदल जी और माननीय पाल जी ने कहा बजट अभी पेश होगा जिस पर सामान्य चर्चा 5 दिन चलेगी व्यौरेवार चर्चा का मौका मिलेगा अनुपूरक मांगों का पास किया जाय । आपकी राय हो तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाऊं । आप कहें, तो एक दो सदस्य और बोल लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे अफसोस है सदन में वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य भी समय और परिस्थितियों को देख कर नियमों की व्याख्या करते हैं । आप परिपाटी देख लें इसके पहले भी अनुपूरक मांगों पर पूरे दिन बहस हुई है जब तक माननीय सदस्य रुचि लें । आपके विवेक पर है कि माननीय सदस्यों को बोलने दें या न दें । यह बात सही है मैंने उसका अनुपालन किया है । जिन मदों का उल्लेख होता है उन तक आलोचना सीमित होती है मैंने एक-एक मद पढ़ रखी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी राय ले रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सदन की परिपाटी रही है अनुपूरक अनुदानों पर पूरे-पूरे दिन चर्चा हुई है । जब तक मेरे माननीय सदस्य रुचि लें बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष–

समय बहुत हो गया है दो घंटे वैसे ही लग जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपको मौका देना चाहिए, इस पर मेरी राय क्या है आप माननीय सदस्यों की रुचि देख लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री गुप्ता जी बहुत अनुभवी और संसदीय नियमों के जानकार हैं और अभी कहा कि दिन दिन भर चर्चा हुई हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदानों पर कभी भी दिन-दिन भर चर्चा नहीं चली, बल्कि जबरदस्ती विचार रखें गये हो वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दिया था कि प्रत्येक दल से एक-एक माननीय सदस्य बोलेगा, इसलिए आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

श्री काशी सिह ऐरी जी आप बोलें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य भाजपा के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान) श्री ऐरी को आप क्यों बुलवा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

श्री ऐरी एक दल के नेता हैं इसलिए मै उन्हे बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप भी पुराने सदस्य हैं और सदन की परिपाटी रही है कि बोलने में हमेशा अध्यक्षपीठ से क्रम रखा जाता है कि एक व्यक्ति "हां" से और एक माननीय सदस्य "न" से बुलवाया जाता है और चाहें तो आप पुरानी कार्यवाही में देख सकते हैं। पुरानी परिपाटी के अनुसार कई बार इसमें पूरी चर्चायें होती रही हैं। लेकिन विवेक आपका है कि किसको बुलवायें और किसको नहीं। मान्यवर, यह समर्थन में बोल रहे हैं, जबकि परिपाटी है कि एक माननीय सदस्य "हां" लावी से और एक माननीय सदस्य "न" से बोलेगा, इसलिए आप हमारे दल के सदस्य को बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

जो गुप्त जी ने कहा है, वह बिल्कुल गलत है । यह आवश्यक नहीं है कि मैं समर्थन ही करूं ।

(व्यवधान)

* श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करूंगा । जो लोग ज्यादा बोलने की बात कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस सदन के प्रत्येक दल के नेता को बोलने का समान अपना अधिकार है, वह दल चाहे एक सदस्य का हो या ज्यादा सदस्यों का हो और उसके अपने विचार हो सकते हैं । उन्हें भी जनता तक पहुंचाना आवश्यक है । इसलिए आपके निर्देश का मैं समर्थन करता हूं और इसके विपरीत बात कहने वालों की मैं भर्त्सना करता हूं । मैं इस सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी के साथ बैठता हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए यही जगह निर्धारित की है, किन्तु आप गलती से यह न समझ लें कि मैं उन्हीं के दल का सदस्य हूं, इसका आप अवश्य ध्यान रखियेगा । जहां तक अनुपूरक अनुदानों का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार यह दिसम्बर में बनी है, पूरे वर्ष का बजट पहले ही पारित हो चुका है, और नई आई सरकार अपनी घोषणाओं और नीतियों के अनुरूप कार्य करना चाहेगी, तो इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी और वह अनुपूरक लाएगी जो आवश्यक होता है और यह आवश्यक भी था ।

किसी नई सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की आलोचना करना मैं समझता हूं कि ऐसी बात है जैसे कोई काम कर रहा हो तो उससे कह दिया जाए कि तुम जो काम कर रहे हो वह गलत है । (व्यवधान) आप लोगों की तरह हल्ला-गुल्ला करने की मेरी आदत नहीं है, मैं तथ्यपूर्वक बोल रहा हूं । अभी असल बात पर तो मैं आया नहीं । नई सरकार बनी, उसी अपनी नीतियों के हिसाब से, उन क्षेत्रों और लोगों के विकास की दृष्टि से जहां अभी तक विकास की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी–इन विरोध पक्ष के लोगों द्वारा बनाये गये बजट में नहीं थी, उनको पूरा करने के लिए ही यह अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है और इसका समर्थन करूंगा । एक बात संसदीय कार्य मंत्री जी से और कह देना चाहता हूं उसे भी सुन लें पर्वतीय विकास के बारे में जो इसमें दिया गया है, उसका नाम उत्तरांचल विकास दिया गया है, उसके स्थान पर उत्तराखण्ड विकास नाम दे दिया जाय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, आपसे बैठने को कहा गया था, इतना समय नहीं दिया है, आप बोले जा रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि कुछ महत्व की घोषणायें इसमें छूट गयी हैं, उनका बजट में प्राविधान होना रह गया है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह उन घोषणाओं को भी इसमें शामिल कराने की कृपा करें । इसके साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । दिसम्बर में जब प्रथम अनुपूरक अनुदान पेश हुआ था, मुझे मौका मिला था उस अनुपूरक अनुदान पर अपनी बात कहने का । मैं जानता हूं कि समय कम है, मैं पांच मिनट से भी कम में अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं आप लोगों की तरह समय के मामले में कोई अव्यवस्था नहीं करूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान कोई नई बात नहीं है । वर्ष में दो बार यह आ सकता है, उन्हें जो बजट के अप्राप्त हो जाते हैं । आप सदन से पास कराते हैं और हम उसे पास करते हैं । परन्तु यह हमारा अधिकार है कि सरकार को इस बात के लिए इंगित करें ।

[4 बजकर 35 मिनट]

जो खर्च उन्होंने किया है, वह सही दिशा में किया है कि नहीं ? अगर गलत तरफ हो रहा हो तो उसकी ओर ध्यान दिलाया जायगा । कल बजट आने वाला है, हम उस पर बोलेंगे लेकिन मान्यवर, इस वर्ष जो खर्चा किया गया है जो कुल मांगें हैं वह 2.287 करोड़ रुपये की हैं लेकिन जिन मतदेय मांगों पर मतदान कर रहे हैं वह 1.026 करोड़ की हैं । मान्यवर, यह जो मदें हैं उनको आप देखें उसमें ऊर्जा, खाद्य, कृषि, नगर विकास, उद्योग आदि की हैं, किसी भी मद को देख लें । तकलीफ एक यह हुई कि एक भी मद ऐसी नहीं है जिसमें कि इस प्रदेश के विकास, उन्नति या अन्य कोई उपयोगी कार्य परिव्यय किया गया हो · सारी मदें इस प्रकार की हैं जैसे ब्याज चुकाये हैं, घाटे को निगमों के फर्जी फर्नीचर, गाड़ियां आदि खरीदी गयी हैं । अनुत्पादक खर्चों पर इतना रुपया व्यय करना उचित नहीं है । सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए तथा दिये गये या दिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, में एक आवश्यक बात कहना चाहता हूं कि वह यह है कि अभी माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने उत्तरांचल शब्द की ओर संकेत किया है । विगत वर्षों में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने उत्तराखण्ड बनाने की मांग की थी । आज भी मान्यवर, एजेण्डा में भी उत्तराखण्ड के स्थान पर उत्तरांचल शब्द छपा है इसी तरह से अनुपूरक मांगों में भी उत्तरांचल छपा है । अतः मान्यवर, कृपया इसे संशोधित करवाकर उत्तराखण्ड नाम लिख दिया जाय ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय गुप्ता जी के साथ-साथ अपने तमाम वरिष्ठ साथियों के विचार अनुपूरक अनुदानों पर सुने लेकिन आश्चर्य हुआ गुप्ता जी की बात से ।

(विपक्ष की तरफ से एक आवाज कि तैयार होकर नहीं आये हैं)

तैयार होकर आने की जरूरत हमें नहीं है, आपकी जब सरकार हो तो उसे होगी । श्रीमन्, यह अनुपूरक अनुदानों को रखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विधान मण्डल को होता है और उसके बारे में कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार रखा जायेगा ? सामान्यतया दो ही बार लाया जाता है । इस पर इतनी लम्बी बहस की गयी है जैसे कि बजट प्रस्तुत किया गया हो और लोग उस पर अपने सुझाव दे रहे हों । अगर इसे आप ठीक से देखें तो यह कुल 97 करोड़ रुपये का है इसमें से 2287 करोड़ असली अनुपूरक है और बाकी सब का एडजेस्टमेंट है । इसमें आपने यह भी कहा कि तमाम घोषणायें की गयी हैं लेकिन उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं है । यह सही है कि तमाम घोषणाओं का इसमें उल्लेख नहीं है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो घोषणायें की गयी हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा है । आप इसमें ठीक से देखें हमारे वक्त का बहुत कम है । आपने इसमें कहा कि बिजली विभाग को भी पैसा दिया जा रहा है । पहले जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को ऋण दिया था । उसकी वापसी के लिए है । वापसी नहीं की जायेगी तो आगे उनको पैसा नहीं मिलेगा । सिर्फ 97 करोड़ रुपये पर इतनी लम्बी बहस हो गयी, यह तो पूरा हमारे कार्यकाल का है भी नहीं । मेरठ की शान्ति व्यवस्था से लेकर सीतापुर के डिग्री कालेज का उल्लेख कर दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

बाराबंकी खींच ले जाना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो साम्प्रदायिक कार्य किये गये हैं इसी वजह से यह उधर बैठे हैं यह अगले चुनाव में तो समाप्त हो जायेंगे, नष्ट हो जायेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब यह समाप्त हो जायेंगे तो उसका प्राविधान भी इसमें कर लीजिये, नहीं तो फिर धन की जरूरत पड़ेगी ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह समाप्त हो जायेंगे तो आप विरोधी दल में बैठेंगे ।

श्री रंगनाथ–

बैशाखियों के सहारे चलने की अपेक्षा सदन भंग कराकर चुनाव करा देते ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दुबारा विधायक भी नहीं बन पाओगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जितने सांसद हैं पहले अपने उन सांसदों को त्याग-पत्र दिलाकर उनके चुनाव करायें ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

यहां तो आप बैशाखियों पर चल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सच्चाई पर यह पर्दा डालते हैं । 6 दिसम्बर से बड़ा धोखा इस देश के साथ और नहीं हो सकता है । जब यह उसमें कामयाब नहीं हुए तो अब क्या होंगे ?

(व्यवधान)

देश तोड़ने वाले लोगों को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी । आप तो पता नहीं विरोध में भी कैसे आ गये ? अब आप चुनाव की बात करते हैं आपको जमानत बचाना मुश्किल हो जायेगा ।

(व्यवधान)

इनको अनुशासित दल कहते हैं । नियमों को मानने वाले कहते हैं । चाहे इनके लोग जितनी कड़वी बात कह दें हम अपने लोगों को शान्त रखते हैं । अगर हम सच्चाई भी कहते हैं तो एक साथ सब लोग खड़े होकर प्रतिवाद करते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमन् गुप्ता जी वरिष्ठ सदस्य हैं । उनसे कहूंगा कि वह अपने लोगों को सिख दें कि सदन की कार्यवाही में कैसे हिस्सा लिया जाता है ? सत्ता पक्ष को कैसे सुना जाता है ? महल में पैदा होने वाले लोगों को धूल चटाकर आये हैं यह सत्ता पक्ष के झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

अंधकार से रास्ता खोज रहे हैं राजनीतिक पराजय की शर्म को मिटाने के लिए...

अब कांग्रेस हमारा समर्थन कर रही है, जितनी भी प्रगतिशील पार्टियां हैं, वे समर्थन कर रही हैं । सामाजिक ध्रुवीकरण में पूरी तरह से हमारे साथ हैं । जिनकी बैशाखी पर और जिनके पैसे पर यह राजनीति करते थे, व्यापारी भी भाजपा की तरफ से भाग रहे हैं और हमारी तरफ जुड़ रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बालेने पर)

यह हमारी बातों को सुनना भी नहीं चाह रहे हैं । जिसके अन्दर सुनने की सहनशक्ति नहीं है धैर्य नहीं है, उसके लिए यह माना जाता है कि उसका लोकतन्त्र में यकीन नहीं है । इनका संविधान में यकीन नहीं है । इनका सदन की परम्पराओं और नियमों में यकीन नहीं है । एक बार भगवान का नाम लेकर वैतरणी पार कर गये दुबारा इनकी राम नाम की राजनीति नहीं चलेगी । यह यहां पर अनावश्यक

बहस कर रहे हैं। आपने शान्ति व्यवस्था की बात की। आप अपने वक्त को याद करें जब किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता था। आप हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार कार्यकाल में अपराध बढ़ रहे हैं। जो भी आपराधिक मामले हैं उसमें हमारे वक्त में गिरावट आयी है। आपके वक्त में अपराध बढ़े थे। आपके कार्यकाल में एक-एक समस्या को लेकर यहां पर दो-दो तीन-तीन घण्टे तक हाउस एडजर्न रहता था। हमारे कार्यकाल में कोई भी जनहित का मामला हो हम तुरन्त यहां पर संबंधित सदस्य को सन्तुष्ट कर देते हैं। हम लोग लोकशाही के वातावरण में जन्मे हैं। लोकशाही को मजबूत करने के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए जो भी प्रयास सम्भव होगा करेंगे। यह जो 97 करोड़ 24 लाख की अनुपूरक अनुदान है यह राज्यपाल के शासन के वक्त की है। यह एक तरह से औपचारिकता है। इसको तो सभी लोग बहुमत से पारित कर दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि। माननीय संसदीय कार्य मंत्री या जो भी उस तरफ से सदस्य बोलते हैं और हमारा दल उसको ध्यान से सुनता है। मान्यवर, इसका निर्णय आप स्वयं लें कि मुद्दे हमने क्यों उठाये ? में यहां से मुद्दे कुछ उठाता हूं और उस तरफ से जवाब कुछ मिलता है। मान्यवर, नियमावली का पृष्ठ 61 देखने की कृपा करें, इसमें लिखा हुआ है। मान्यवर, इसमें लिखा है कि अध्यक्ष सदन नेता से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिए एक या अधिक दिन नियत करेंगे। मान्यवर, पूरा-पूरा दिन चर्चा हुई है। एक से अधिक दिन चर्चा हुई है। मैंने जो मुद्दे उठाये हैं वह नियमावली के अन्तर्गत उठाये हैं उनका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम जानते हैं कि चर्चा होती है। नियमावली में प्राविधान है, चर्चा होती रही है। हमने अपने उत्तर में यह कहीं नहीं कहा है कि चर्चा नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो मुद्दे उठाये थे.....(शोर)

मान्यवर, संख्या के बल पर अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो आवाज दबाना हम भी जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो घोषणायें की गयी हैं उनको ढूंढ रहा था व मुझे मिली नहीं इसलिए मैंने आलोचना की है। पर्वतीय अंचल के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये की जलापूर्ति के लिए घोषणा की गयी थी, हमने ढूंढा वह नहीं मिली तो मैंने अपनी बात कही इसमें हमने कौन सी गाली दे दी। हमने कोई अप्रासंगिक बात नहीं की है।

मान्यवर, जरा एक मिनट का मौका और दे दें। एक बार राजा अकबर बोले, बीरबल तुम बहुत काबिल हो तुम्हारे पिता कितने काबिल होंगे। राजा अकबर ने कहा कि हम तुम्हारे पिता से मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि अगर कोई आये और आपसे पूछे और सवाल करे तो जवाब मत दीजियेगा। दूसरे दिन जब अकबर दरबार में आये तो बहुत झेंपे उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल अगर तुम्हारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाय तो तुम क्या करोगे ? इस पर बीरबल ने कहा चुप रहेंगे। तो

मान्यवर, ठीक यही स्थिति है । इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, मैं अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि चाहे 55 करोड़ रुपये की बात हो या 5 रुपये की अगर गलत तरीके से व्यय होता है तो उस संबंध में कहना हमारा कर्तव्य है । मैंने तारीफ भी की है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए अपने आरोपों को दुहरा रहा हूं कि शासन द्वारा जो दिखावटी घोषणायें की गयी हैं उनका पर्दाफाश हो गया है इन अनुपूरक मांगों को देखकर, इसलिए में अपनी बात पर बल देता हूं ।

अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 39,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 39,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 2–आवास विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 29,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 29,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 7,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 7,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 1,02,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम तथा लघु उद्योग) के अन्तर्गत 1,02,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,01,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,01,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 5,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) 5,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 13,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 13,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग

सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,18,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,18,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

(औद्यानिक विकास)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,85,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,85,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 17,88,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 17,88,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 6,25,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 6,25,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 5,38,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 5,38,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन विकास एवं मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,71,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,71,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार कीं जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 21,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 21,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पशुधन एवं मत्स्य विकास मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 27,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 27,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 1,65,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 1,65,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 59,93,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 59,93,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22–खेल विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 48,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 48,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,50,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,50,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,50,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,50,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार)

कारागार होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 9,51,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 9,51,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,50,77,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,50,77,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 3,41,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 3,41,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,81,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,81,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,59,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,59,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 23,15,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 23,15,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 38,16,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 38,16,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 6,69,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 6,69,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 26,01,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 26,01,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 25,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 25,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,37,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,37,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,41,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,41,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,24,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,24,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 21,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 21,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 11,23,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 11,23,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,28,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,28,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,09,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,09,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 2,99,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 2,99,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 17,42,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 17,42,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 19,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 19,33,000रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60–वन विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 92,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 92,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 1,75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 1,75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,76,59,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,76,59,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अंन्तर्गत 3,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 3,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 18,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 18,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 4,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 4,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,62,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,62,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 10,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 10,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवा योजन)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 1,42,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 1,42,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 77,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 77,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 47,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 47,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 1,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 1,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,07,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,07,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 26,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 26,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 3,36,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 3,36,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,20,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,20,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 9,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 9,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग

स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 1,39,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 1,39,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जाय ।

(प्रतियां बांटी गयी)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994

31 मार्च, 1994 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1994 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1993-94 के लिये 22,87,31,63,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1994 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से कितनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 22,87,31,63,000 रुपये (केवल बाइस अरब सत्तासी करोड़ इक्तीस लाख तिरसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	6,05	..	6,05
		पूंजी	33,72	..	33,72
2	आवास विभाग ..	राजस्व	29,02	..	29,02
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	7,55	..	7,55
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	1,02,19	..	1,02,19
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	1,01,92		1,01,92
		पूंजी	..	..	..
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	5,50,00	..	5,50,00
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	13,23	..	13,23
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	29,00	..	29,00
		पूंजी	1:18,11,00	..	1,18,11,00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3,19,68	*1,41*	3,21,09
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	1,66,25	..	1,66,25
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	10,54,18	..	10,54,18
		पूंजी	7,34,10	..	7,34,10
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	6,25,43	..	6,25,43
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	..	..	..
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	5,18,26	..	5,18,26
	(पंचायती राज)	पूंजी	20,00	..	20,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1,71,97	*2,44*	1,74,41
		पूंजी	..	..	..
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	21,71	..	21,71
		पूंजी	..	..	..
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	27,09	..	27,09
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	74,48	*34*	74,82
		पूंजी	90,71	*8,00,00*	8,90,71
19	कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5,00	..	5,00
		पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	..	*4,50*	4,50
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	5,15,79	..	5,15,79
		पूंजी	54,78,00	..	54,78,00
22	खेल विभाग	राजस्व	7,95	..	7,95
		पूंजी	40,43	..	40,43

उत्तर प्रदेश विधान सभा

23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	1,50,40	*8,80*	1,59,20
		पूंजी	..	*5,12*	5,12
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	..	*2*	2
		पूंजी	1,50,93	..	1,50,93
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	9,51,30	..	9,51,30
		पूंजी	..	..	..
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1,48,59,88	..	1,48,59,88
		पूंजी	2,18,00	..	2,18,00
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	3,41,91	..	3,41,91
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,81,55	..	1,81,55
		पूंजी	..	..	..
* 29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*20,12*	20,12
		पूंजी	..	..	..

* भारित विनियोग से संबंधित क्रम संख्या

उत्तर प्रदेश विधानमंडल

31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	7,52.33	..	7,52.33
		पूंजी	1.07.10	..	1.07.10
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	22,00.68	6.00	22,06.68
		पूंजी	1.14.44	..	1.14.44
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	1.48	..	1.48
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	28,80.16	..	28,80.16
		पूंजी	9,36.34	..	9,36.34
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	6,69.09	75	6,69.84
		पूंजी	..	..	..
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	26.01.95	..	26.01.95
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	7.81	..	7.81
		पूंजी	17.28	..	17.28
39	भाषा विभाग	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..

उदय प्रदेश विधान सभा

40 नियोजन विभाग	राजस्व	1,37,09	..	1,37,09
	पूंजी	..	..	..
42 न्याय विभाग	राजस्व	3,41,04	*1,06,01*	4,47,05
	पूंजी	..	*2,00*	2,00
43 परिवहन विभाग	राजस्व	1,14,46	..	1,14,46
	पूंजी	10,00	..	10,00
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	2,47	..	2,47
	पूंजी	19,50	..	19,50
50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	11,23,00	..	11,23.00
	पूंजी	..	..	..
52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा	राजस्व	16,28.60	..	16,28.60
अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	44,47	*20.01*	64,48
	पूंजी	64,80	..	64,80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	24,93	2,74	27,67
		पूंजी	2,74,82	..	2,74,82
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	17,42,11	..	17,42,11
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	19,33	..	19,33
60	वन विभाग	राजस्व	90,97	50	91,47
		पूंजी	1,61	..	1,61
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	7.12	..	7.12
		पूंजी	..	12,50,00,00	12,50,00,00
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	1,75,00,00	..	1,75,00,00
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	78	..	78
		पूंजी	2,95	..	2,95
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2,76,59,48	..	2,76,59,48
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	3,01	..	3,01
	पूंजी	..	..	..
66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	1,72	..	1,72
	पूंजी	..	..	..
67 विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	18,45	99	19,44
	पूंजी	..	..	..
69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
	पूंजी	60,00	..	60,00
70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	4,47	..	4,47
	पूंजी	..	..	..
72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	3,47,98	..	3,47,98
	पूंजी	15,00	..	15,00
73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	2	76,19	76,21
	पूंजी	..	..	..
76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	10,08	..	10,08
	पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	87,54	..	87,54
		पूंजी	54,69	..	54,69
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	8,56	..	8,56
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	77,98	..	77,98
		पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	47,35	..	47,35
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	1,13	..	1,13
		पूंजी	..	..	..
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	31	..	31
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	1,91	..	1,91
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	2,07,33	..	2,07,33
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	6,01	*44*	6,45
		पूंजी	20,00	..	20,00
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	35	..	35
		पूंजी	..	..	..
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	3,36,83	..	3,36,83
		पूंजी	..	..	..
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	2,20,35	..	2,20,35
		पूंजी	..	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	69	..	69
		पूंजी	..	..	..
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4,70,00	..	4,70,00
		पूंजी	..	..	..
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	9,65	..	9,65
		पूंजी	..	*15,00*	15,00
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	85,86	*6*	85,92
		पूंजी	54,04	..	54,04
	योग :	राजस्व	7,98,51,04	*2,51,32*	8,01,02,36
		पूंजी	2,28,07,15	*12,58,22,12*	14,86,29,27
	कुल योग :		10,26,58,19	*12,60,73,44*	22,87,31,63

उत्तरांचल विधानसभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग मानने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 मार्च, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 9 मार्च, 1994 से 18 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित करने की सिफारिश की है :–

मार्च, 1994	
9 बुधवार	1–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर विचार एवं उसका पारण—एक घण्टा 2–माननीय मुख्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण– "यह सदन संसद के सदनों द्वारा यथापारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा 'भारत का संविधान' में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है।" 3– 5.00 बजे अपराह्न (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्यय का प्रस्तुतीकरण। (2) वित्तीय–वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिए लेखा अनुदान का प्रस्तुतीकरण।
10 गुरूवार	(शिवरात्रि का अवकाश)
11 शुक्रवार	
12 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
13 रविवार	
14 सोमवार	
15 मंगलवार	(ईद-उल-फितर का अवकाश)

मार्च, 1994

16 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिए लेखा अनुदान के प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक, का पुरःस्थापन उप पर विचार एवं उसका पारण । 2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
17 गुरूवार	
18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
19 शनिवार	
20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
21 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । (अन्तिम दिन)
22 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 बुधवार	बैठक नहीं होगी ।
24 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 शुक्रवार	
26 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
27 रविवार	
28 सोमवार	
29 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
30 बुधवार	
31 गुरूवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा